50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५०पैसे 50PAISE
50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५०पैसे 50PAISE

1-20

एस०सी०ए०नं० 1970/95

प्रतिलिपि ... की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,

द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. श्यामलाल मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- ... 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्भी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह सेधू आ० राबेल सिंह सेधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०ई०बी०ऑफिस बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

2-50

Witness No. ...42............... for.......अभियोजन की ओर से..........................Deposition taken

on ......20-4-95...... day of .... Witness's apparent age ...42 वर्ष.........

States on affirmation   my name is ...अशोक कुमार पुरकाईत.........

son of ...स्वर्गीय श्री के०डी०पुरकाईत... occupation ...सर्विस...

address ...कैम्प-1, भिलाई...

[illegible] :-

1. मैं [illegible] के जवाहर मेमोरियल स्कूल नं०-1, [illegible] में लैब-टैक्नीशियन हूं। मैं क्वार्टर नं०-170र में वर्तमान में रहता हूं। मैं सन् 83 से लगभग साल-डेढ़ साल क्वार्टर नं०-6आई०, कैम्प-1में रहा हूं। नियोगी जी की हत्या के समय मैं कैम्प-1, क्वार्टर नं०-6आई० में रहता था।

2. मैं अभयसिंह को जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है। अभयसिंह मेरे मकान के सामने ब्लॉक नं०-7 में रहता था, उसके मकान का नंबर मुझे नहीं मालूम। मेरे क्वार्टर से दो क्वार्टर छोड़कर क्वार्टर नं०-6एफ० स्थित है। नियोगी जी की हत्या से पूर्व मैंने क्वार्टर नं०-6एफ० में किसी को रहते नहीं देखा था, इस मकान में ताला लगा हुआ था।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही, केस डायरी कथन देखा अनुमति दी गई।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

3. इस मुकदमे के सिलसिले में पुलिस वालों ने और सी०बी०आई० वालों ने मुझसे पूछताछ किया था। मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानता। मैंने प्रदर्श पी-132 में अ से अ में अभयकुमारसिंह - - - - - - - - क्वार्टर में आना-जाना रहता था, का बयान नहीं दिया था। मैंने ब से ब पल्टन - - - - - - रखवाया था का बयान भी नहीं दिया था। स से स अभयकुमार एवं पल्टन - - - - - - हिम्मत नहीं करते थे का बयान भी नहीं दिया था। मैंने पल्टन का नाम पुलिसवालों को नहीं बताया था, लेकिन यह बताया था कि एक चश्मा लगाकर एक व्यक्ति (धूप का चश्मा) पी-132

[signature]

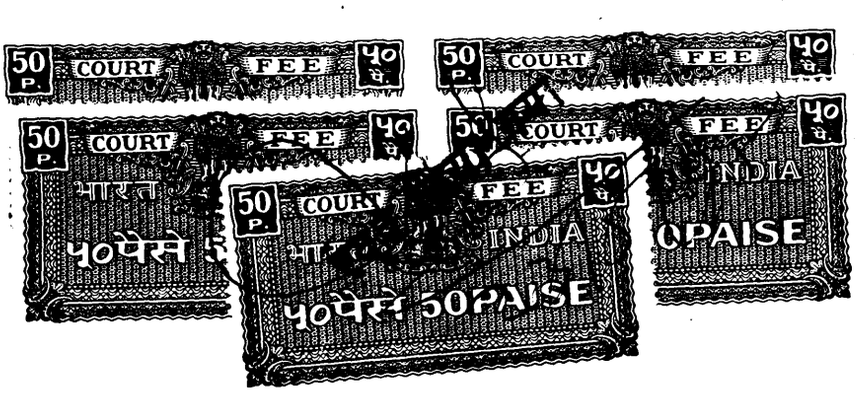

पठान मोटरसायकिल पर आता-जाता था । मैंने पुलिस के ब्यान [illegible] पठान
- - - - - -- आना-जाना करता था ~~[illegible]~~ में सिर्फ पठान
का नाम नहीं बताया था ।

4. मैंने प्रदर्श पा-133 में अ से अ अभयसिंह एवं ज्ञानप्रकाश - - - - - - - डी-133
जुलाई 1991 में हो रहा गया का ब्यान नहीं दिया था । इसी प्रकार मैंने प्रदर्श पा-133 में पठान का नाम मोटरसायकिल में आने-जाने के संबंध में नहीं लिखाया, बल्कि यह लिखाया था कि एक लाल रंग की मोटरसायकिल में एक व्यक्ति आता-जाता था । त्रिवेणी जी की हत्या होने के बाद मैंने दो दिन तक अभयसिंह को देखा था उसके बाद नहीं देखा था । उसके बाद मैंने अभयसिंह को जमानत पर छूटने के बाद देखा था । मैंने पुलिसवालों को मोटरसायकिल वाले को पहचानने की बात नहीं बताई थी । आज भी मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकता । मेरा अड़ोस-पड़ोस में किसी से बातचीत नहीं होता न ही उठना -बैठना होता है, इसलिये मैंने अभयसिंह से नहीं पूछा कि इतने दिन कहां रहे ।

5. स्कूल के परीक्षा के प्रश्नपत्र थाने में रखते हैं, इसलिये पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं । थाना कोतवाली के मिश्रा जी 2 पुलिस वाले मेरे घर पर आये और बैठ गये और एक कागज पर दस्तखत करा लिया । मेरी मिश्रा जी से पहले से जान-पहचान थाने में आने-जाने के कारण थी । मिश्रा जी ने मुझसे कहा कि जितना जानते हो उतना बोलो तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता । मुझसे मिश्रा जी ने कहा कि जितना कुछ जानते हो उतना बता देना और दस्तखत करा लिये । मैंने मिश्रा जी से यही कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता । मैं इस मुकदमे के बारे में नहीं जानता । मैं केवल अभयसिंह को पहचानता हूं । मैंने सादे कागज पर हस्ताक्षर किये थे । यह सन् 91 की बात है । मैंने इस बात की दरख्वास्त कि कोरे कागज पर दस्तखत करा लिया गया है, इसके संबंध में कलेक्टर या अदालत में दरख्वास्त मैंने नहीं दिया ।

6. मैंने अपने ब्यान प्रदर्श पा-132, 133 देख लिये हैं, जिनमें मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं । यह बात गलत है कि आज मैं अभयसिंह को बचाने के लिये झूठ बोल रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, नवीन शाह-

7. कुछ नहीं ।

[signature]

गवाह नं0:- 43 पेज नं0:- 2

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अंसारी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

10. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

J. W. Ryan

[जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म0प्र0]

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J. W. Ryan

[जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म0प्र0]

COURT FEE 50 P. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

COURT FEE 50 P. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

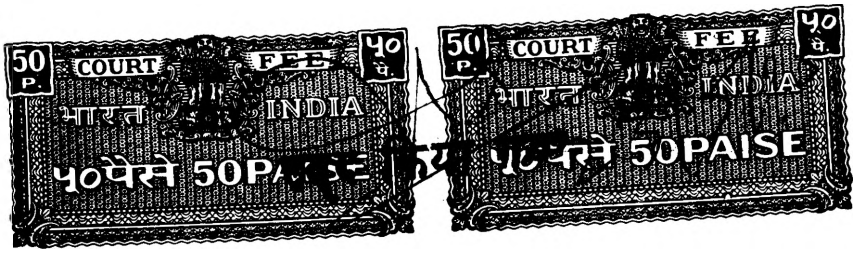

सत्यप्रतिलिपि
2/8/85
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

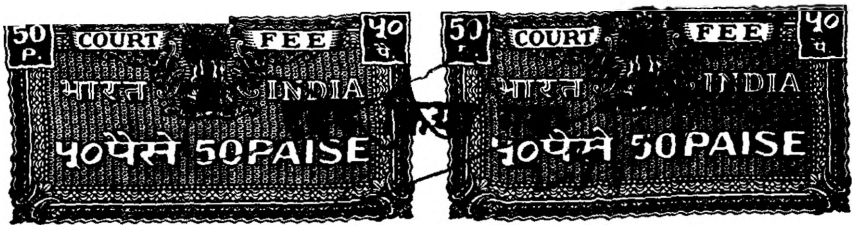

1—00

[illegible]
1970/95

प्रतिलिपि [illegible] ---- को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
मा किन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा.. [illegible] मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बा.. आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश रा.. आ0 रामआशीष रा..,
साकिन- [illegible]- 7ए, रोड नं0-5, से.. टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देव.. या (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेपू आ0 रावेल सिंह टेपू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई ...... अभियुक्तगण

2-50

TRPI-153-7Lakhs-8-92

H-157
C. J.

Witness No. 44 for अभियोजन की ओर से Deposition taken 20-4-95 day of .... Witness's apparent age 40 साल

States on affirmation my name is जोरेराम

son of श्री आनीराम .... occupation कारपेन्टरी

address ग्राम लोहारा, दल्लीराजहरा.

शपथपूर्वक :-

1. राजहरा में मेरी दुकान सुभाष चौक में है, मेरी दुकान कारपेन्टर का है। बी०एस०पी० के अस्पताल, कार्यालय के खिड़की, दरवाजे का काम मुझसे कराया जाता है। लालूलाल पटेल को भेजकर नियोगी जी ने भिलाई के मकान के खिड़की दरवाजे ठीक करने के लिये मुझे बुलाया था और खिड़की में ग्रिल लगाने के लिये बोला था। यह बात नियोगी जी ने मुझसे दल्लीराजहरा के ऑफिस में कही थी। यह बात दिनांक 23-9-91 की है। मैं 23-9-91 को ही नियोगी जी के साथ भिलाई आ गया। रात में मैं उनको ऑफिस में ठहरा था। दूसरे दिन सुबह मैं नियोगी जी जहां रहते थे वहां भिलाई के मकान में गया। मैं वहां करीब 9.00 बजे सुबह पहुंचा था।

2. मैं वहां चाय-पानी पिया और मकान के खिड़की-दरवाजे का नाप-जोख लिया। नियोगी जी ने मुझसे कहा कि यहां दंगा-फसाद होते रहता है, इसलिये खिड़की में चिटकनी और ग्रिल लगाना है। खिड़की, दरवाजों को मैंने चिटकनी ठीक किया और ग्रिल के लिये नाप लेकर मैं 24 तारीख को दल्लीराजहरा चला गया। सुरेन्द्र शर्मा के यहां मैंने दल्लीराजहरा में ग्रिल बनाने के लिये ऑर्डर दिया था, लेकिन नियोगी जी की हत्या से पहले ग्रिल नहीं बन पाई।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. जिस खिड़की में मैंने चिटकनी लगाई वह खिड़की आसानी से अंदर से बंद हो सकती थी, जिसमें मुझे ग्रिल लगाना था। खिड़की में पहले रॉड लगे हुये थे। ग्रिल का कोई नमूना नहीं दिया था, कहा था कि ऐसा ग्रिल लगाना, जिससे कोई अंदर हाथ न डाल सके।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

J. Kr. Ryan

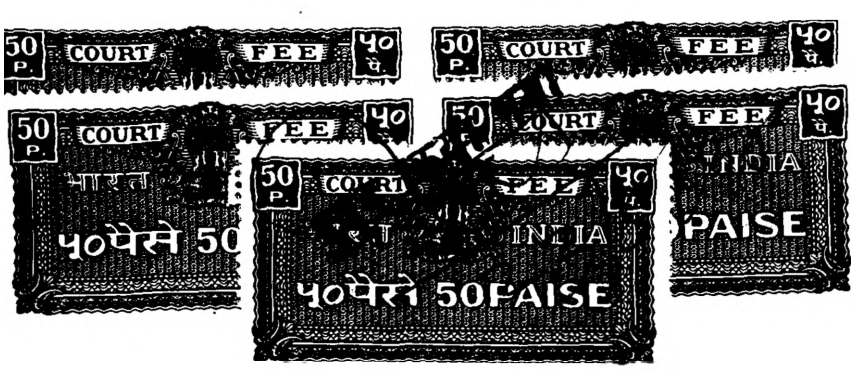

4. मैं अपना खुद का काम करता हूँ। मैं छ०मु०मोर्चा का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं नियोगी जी के यहाँ जो काम करता था उसका मुझे पैसा मिलता था। मुझको रोजी के अनुसार [illegible] नाप के अनुसार पैसा मिलता था। मेरे साथ दो चार भी रहते थे, जिनका नाम शिवराम एवं रतन था। शिवराम को मजदूरी 30/- रुपये मैं कोई रोजी में नहीं देता था। मेरे हेल्पर को मजदूरी देते थे। नियोगी जी के घर में मिलाई में जो काम किया उसकी भी मैंने कोई रोजी नहीं ली। मेरे हेल्परों को भी नियोगी जी ने कोई रोजी नहीं दी। उनका संग/काम करते रहते थे, इसलिये कभी-कभी बेगार भी करते थे। घर का किराया भी मैं अपनी जेब से दिया था। यह कहना गलत है कि आज सी०बी०आई० वालों ने मुझे अपना बिजली [illegible] दिखाया था। मैं उनकी मृत्यु के एक-दो दिन पहले आया था, इसलिये मुझे 23-9-91 की तारीख याद है। 24-9-91 को नापकर यहाँ से चले गये उसके दूसरे दिन पता लगा कि नियोगी जी खत्म हो गये।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

6. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
31/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

4-5-95
2-5-95
23-5-95
4-5-95
22-5-95
23-5-95
23-5-95
23-5-95
23-5-95
3-5-95

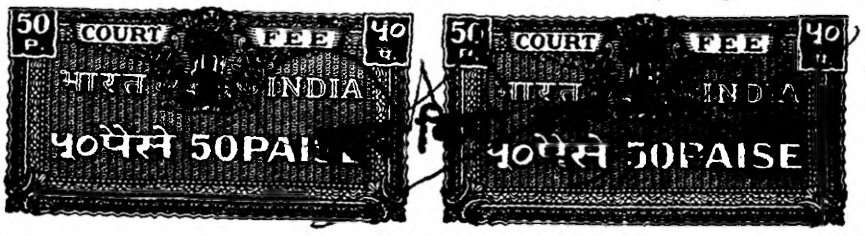

COURT FEE 50 P. ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

COURT FEE 50 P. ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

एच०ओ०सी० ए०ए०नं०
1970/95

प्रतिलिपि [illegible] – – को जो कि श्री जे.के.एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7R, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सिद्धू आ0 रावेल सिंह सिद्धू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

2-50

CPPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. ....45............ for..........अभियोजन की ओर से........Deposition taken the .....20-4-95..... day of .... Witness's apparent age ..37..वर्ष......

States on affirmation my name is [illegible]लाल ....

son of ....श्री [illegible]राम.................................. occupation ..बिजली मिस्त्री

address..........अन्नपूर्णा, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible].......................

शपथपूर्वक :-

1. मैं बिजली मिस्त्री का काम करता हूं । मैं सी०एम०एस०एस० का कार्यकर्ता हूं । 9 सितम्बर 91 को मैं नियोगी जी के साथ दिल्ली ज्ञापन देने के लिये गया था, अन्य लोग भी गये थे । करीब 300-400 लोग रहे होंगे । 11 सितम्बर 91 को वहां पहुंचे । भिलाई के मजदूरों की मांग चल रही था, जिसे मनवाने के लिये हम लोग दिल्ली गये थे । दिल्ली पहुंचने के दूसरे दिन हम लोग धरने दिये सदन के सामने । दिल्ली में नियोगी जी ने ज्ञापन दिया और लोगों से भी मिले । 9 आदमियों का एक ग्रुप राष्ट्रपति जी से मिलने गये थे और ज्ञापन दिये । इसके बाद नियोगी जी 25 लोगों को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गये । हम लोग दिल्ली से किस तारीख को वापस चले याद नहीं है ।

2. दिल्ली से वापस आने के 2-3 दिन नियोगी जी से मेरा बातचीत हुआ था । भिलाई से 23-9-91 को नियोगी जी राजहरा गये और मुझे वहां बुलाकर बताया कि मैंने हुडको भिलाई में मकान लिया है, वहां का दरवाजा, खिड़की ठीक से लगता नहीं है और बिजली पंखा काम नहीं करता है । उसे रिपेयर करना है । उस दिन नियोगी जी ने मुझको कहा कि उनको आभास होता है कि उसे जान का खतरा है, उससे पहले भी नियोगी जी ने यह बात कही थी । नियोगी जी बोले कि भिलाई आंदोलन चल रहा है, इसलिये मुझे भिलाई के उद्योगपतियों से उसे जान का खतरा है । नियोगी जी ने मुझसे कहा कि आज ही तुम मेरे साथ भिलाई चलो और एक बढ़ई को लेकर चलो । मैंने अंजोरीराम को यह बताई । 23-9-91 को मैं, अंजोरीराम और उसके दो साथी भिलाई आये और हुडको ऑफिस में रुके । नियोगी जी आते ही और अन्य साथियों के साथ मीटिंग में लग गये । नियोगी जी रात को अपने नये मकान में सोने के लिये चले गये ।

[signature]
र० के० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म० प्र०)

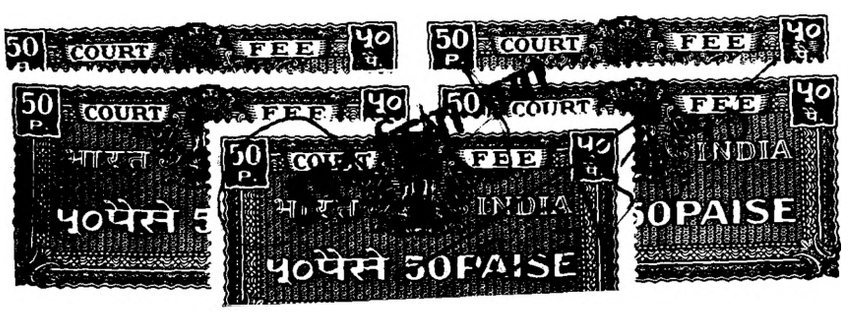

3. [illegible] के ग्रिल तारीख 24-9-91 को मैं, अंजोरीराम और [illegible] लोग [illegible] घर पहुँचे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई । मैं वहाँ पर [illegible] का नाप लिया । अंजोरीराम ने उनसे जो हेल्पर के साथ [illegible]-खिड़की [illegible] नहीं रखा था उसको [illegible] लिया । नियोगी जी ने राजहरा में भी और 24 तारीख को भिलाई में अपने कुटिया [illegible] था कि खिड़की में जो रॉड लगा है उसको तोड़कर कोई भी व्यक्ति उस पर [illegible] कर सकता है, इसलिये रॉड को [illegible] ग्रिल लगाना है । अंजोरीराम ने ग्रिल का नाप लिया । नियोगी जी ने कहा कि ग्रिल राजहरा से बनवाकर लाओ [illegible] तारीख को हम लोगों को बीच का ट्रायन्वर का स्टैंड छोड़ने गया और और हम लोग [illegible] राजहरा आये । मैं और अंजोरीराम राजहरा स्थित शर्मा ग्रिल हाऊस गये और वहाँ पर ग्रिल बनवाने का आर्डर दिया । नियोगी जी की हत्या के पूर्व ग्रिल नहीं लग पाई ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. नियोगी जी जिस कमरे में सोते थे उसमें दो खिड़कियां थी । अंजोरीराम ने खिड़कियों और दरवाजों की चिटकनियां ठीक कर दी थीं । अंदर से खिड़कियों में चिटकिनी लगा देने पर बाहर से कोई खिड़की नहीं खोल सकता था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अवधेश, अभय, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पल्टन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(के0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म0प्र0

(के0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म0प्र0

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

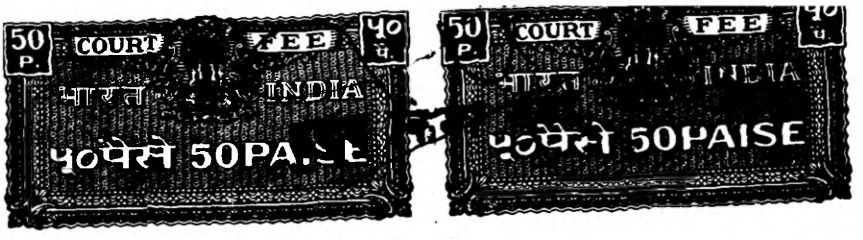

1—09

ए०सी०ए०नं० 1970/95

प्रतिलिपि के०व्यास के.एल.साहू -- को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा[illegible]कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- बा[illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभेरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह [illegible] आ० रावेल सिंह [illegible]
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 46 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 20-4-95 day of .... Witness's apparent age 45 साल

States on affirmation my name is जे०एस०नाग हूँ

son of श्री ....सिंह नाग occupation कार्यालय सचिव, सी०एम०एम०.

address दल्लीराजहरा.

मुख्यपरीक्षण :-

1. मैं छ०मु०मोर्चा कार्यालय में कार्यालय सचिव हूं । यह कैम्प-नं०-1, शहीद चौक, दल्लीराजहरा में स्थित है । मैंने शंकर गुहा नियोगी को लिखते और हस्ताक्षर करते देखा है, जिन्हें मैं पहचानता हूं । प्रदर्श पी-103 की चिट्ठी नियोगी जी को मिली थी, इसके बारे में नियोगी जी ने मुझसे कहा कि इसकी फोटो कापी कराकर और ऑफिस के चिट्ठी के जरिये थाना राजहरा भिजवा दीजिये । मैंने पी-103 की फोटो कापी बनवाई, जो प्रदर्श पी-50 है, जिसे मैंने पत्र प्रदर्श पी-49 दिनांक 29-4-91 के जरिये थाने भेजा । प्रदर्श पी-49 पर अंश अ से अ पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इसे देने थाना हिरामनसिंह ठाकुर गया था ।

2. ओरिजनल चिट्ठी प्रदर्श पी-103 मैंने नियोगी जी को वापस कर दी ।

नोट :- वायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण वायकाल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(signature)	(signature)
(के०के०एस०राजपूत)	(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

नोट :- वायकाल पश्चात् साक्षी को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

3. डायरी प्रदर्श पी-93 में लेख, जो लाल पेंसिल से घिरा हुआ है, जिस पर क्यू-2 से क्यू-7 पड़ा है तथा प्रदर्श पी-94 से पी-99 है के लेख शंकर गुहा नियोगी के हाथ के हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूं । इसी प्रकार लेख जो नीली पेंसिल से घिरा

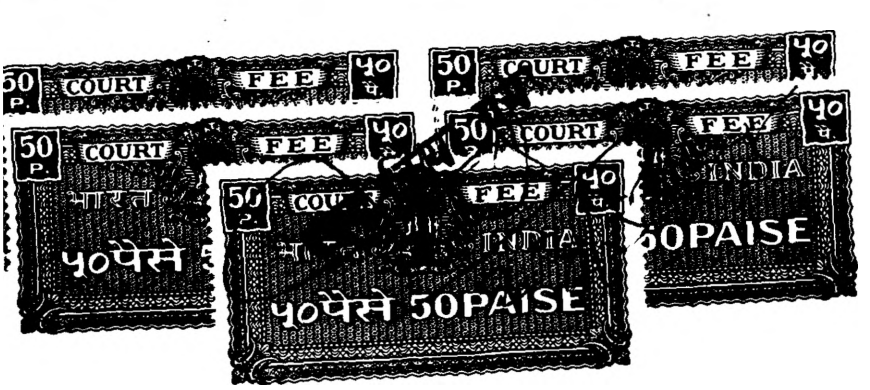

[illegible] लिखा पर आर्टिकल ए-1 से ए-9 कहे हैं तथा प्रदर्श पी-72 से प्रदर्श पी-80 [illegible] शंकर गुप्ता सिंघोदी जी के हाथ के लिखे हुये हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० फुलचंद शाह, नवीन शाह.

4. मैं 79 से [illegible] गवाह हूँ। सिंघोदी जी ने मुझे कभी देखा नहीं [illegible] कि उनको [illegible] है। प्रदर्श पी-94, 95, 96, 97 से 99 तक के आदमियों के नाम लिखे हुये हैं उनमें से मैं किसी को नहीं जानता।

5. [illegible] रूप में मैं कार्यनिष्पादन चिट्ठी वगैरह लिखने और चिट्ठियों को [illegible] और भी लिखा-पढ़ी का काम करता था। पी-72 से 80 तक के सिंघोदी जी के हाथ के लिखे हुये हैं [illegible] किसको लिखे गये हैं मैं नहीं बता सकता। पी-72 से पी-80 तक के दस्तावेजों में जो रुपये-पैसे के बारे में लिखा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। हमारी संस्था में जो रुपया आता था उसका हिसाब-किताब जौहरीराम यादव कैशियर रखता था। मैंने हिसाब-किताब की किताब नहीं देखी है।

6. हमारे यहां महीने में कितनी आमदनी हो जाती थी यह मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं मालूम कि महीने में 6-7 लाख रुपये की आमदनी आती थी। [illegible] कहाँ रखा जाता था यह मैं नहीं बता सकता, कैशियर बता सकता है। मेरी संस्था का बैंक एकाउंट था या नहीं था यह मुझे नहीं मालूम।

7. मुझे एक हजार रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी। मुझे जौहरीराम यादव तनख्वाह देता था। मैं तनख्वाह प्राप्त करने का रसीद नहीं [illegible] था। [illegible] मुझे देखने को नहीं मिला। मैं [illegible] में [illegible] पढ़ा था, [illegible] याद नहीं है। प्रदर्श पी-10 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि यही [illegible] में लिखा था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रवक्ष एवं बलदेव.

9. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त फाटन.

[signature]
आ० के० एस० राजपूत
[illegible] अति० सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म० प्र०)

अभियोजन साक्षी क्र0- 46 पेज नं:- 2
10. कुछ नहीं ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

(के0के0 एस0 राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(के0के0 एस0 राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

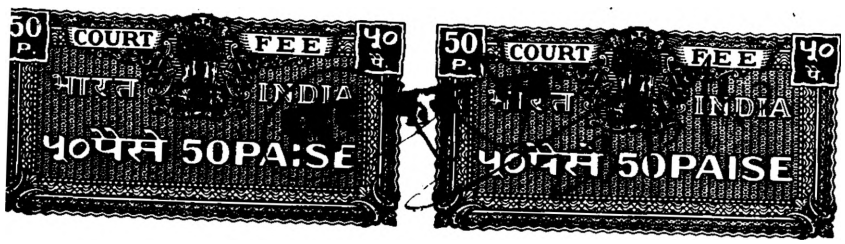

सत्यप्रतिलिपि
3/8/90
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

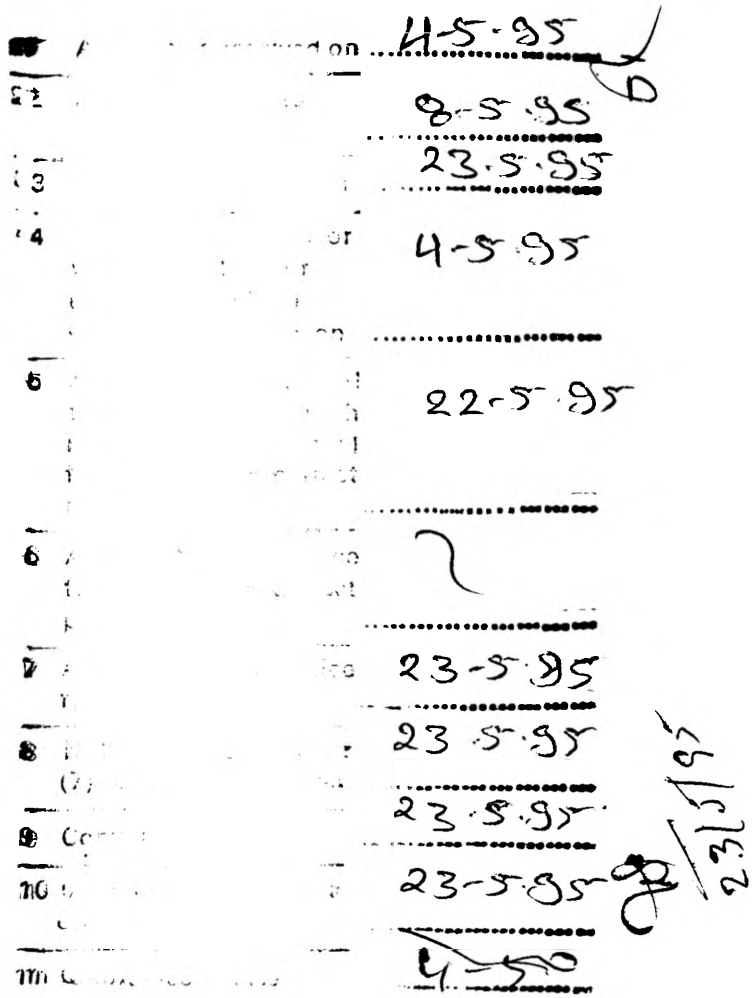

1 ... on 11-5-95

2 8-5-95

3 23-5-95

4 ... or 4-5-95

... on

5 22-5-95

6

7 23-5-95

8 23-5-95

(7)

9 Co... 23-5-95

10 23-5-95

11 4-5-95

23/5/95

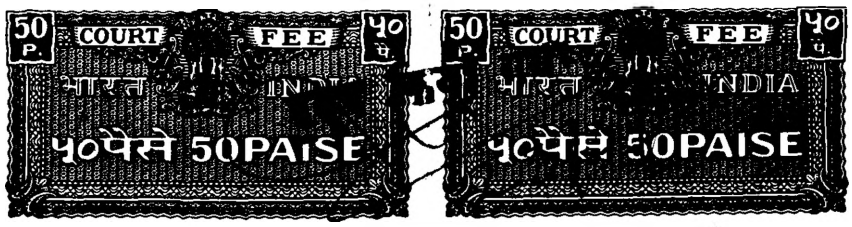

1-00

ए०प०सी०प०नं०
1970/95

प्रतिलिपि श्याम एल-सी. भारद्वाज - को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शारदा प्रसाद मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेंधू आ० रावेल सिंह सेंधू
   साकिन- आर-37, एम०पी०इण्डस्ट्रियल हाउसिंग कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

CSPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. ....47............ for ......अभियोजन की ओर से............Deposition taken ......-4-95..... day of .... Witness's apparent age ..52 वर्ष......

States on affirmation my name is ....एस0डी0सरकार..........

son of ......स्वर्गीय श्री एस0के0सरकार.............................. occupation सर्विस......

address.....क्वा0 सेक्टर 10-30ए..

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1\. मैं भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस आर्डलाईन में कार्य करता हूं। मैं 63 से यह काम कर रहा हूं। 90 में मैं जूनियर एक्जीक्यूटिव प्रमोट हुआ था। शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का शिफ्ट्री ड्यूटी करना और उनसे काम लेता था। कर्मचारियों की छुट्टी का आवेदन मेरे द्वारा अग्रेषित किया जाता था। अभयसिंह मौजूद अदालत मेरे यहां काम करता था। अभयसिंह 90 में ऑपरेटर का काम करता था।

2\. कर्मचारियों की लीव बुक हमारे यहां रखी जाती थी। प्रदर्श पी-134 पी-134
अभयसिंह की लीव बुक है। ~~लीव बुक 87 से 91 के बीच की है~~। इस बुक में आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश वगैरह का इंद्राज किया जाता है। इसमें अभयसिंह ने जो-जो छुट्टियां ली हैं और मैंने तथा मेरे सीनियर अधिकारी ने फारवर्ड किये हैं तथा हस्ताक्षर हैं उनका इंद्राज है। मेरे सीनियर ऑफिसर जी0एन0सिंह हैं। उनके हस्ताक्षर मैं पहचानता हूं। इस बुक में मेरे इंद्राज से पहले जो इंद्राज हैं वो एम्पलाई खुद लिख लेता है और नहीं तो किसी से लिखवा लेता है।

3\. 20-5-91 का छुट्टी का जो दो इंद्राज हैं उन पर अभयसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूं तथा मेरे भी हस्ताक्षर हैं। यह प्रदर्श पी-135 है, जो पी-135
लाल स्याही से आज घेरा गया। इसमें 5-3 से लेकर 22-3-91 तक अभियुक्त अभयसिंह अर्जित अवकाश पर रहा है। इन इंद्राजों के सामने अभय के हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी- पी-136
136 है, जो आज लाल स्याही से घेरा गया। इस बुक में आखरी इंद्राज 19-9-91 की है। अभयसिंह के हस्ताक्षर मैं पहचानता हूं, लिखावट को मैं निश्चित रूप से नहीं पहचान सकता। आखरी प्रदर्श पी- 71 में लिखा लेख मैं नहीं पहचान सकता हूं कि यह अभयसिंह का है।

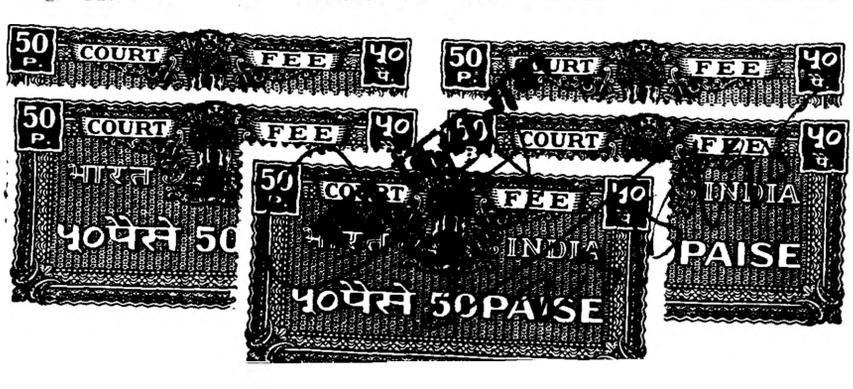

4. प्रदर्श पी-70 में लिखा लेख मैं नहीं पहचान सकता हूं कि वह अभयसिंह [illegible] है । प्रदर्श पी-137 मेडिकल सर्टिफिकेट पर अभयसिंह का हस्ताक्षर अ से अ पी-137
[illegible] मैं पहचानता हूं, लेकिन प्रदर्श पी-138 के हस्ताक्षर के मैं नहीं बता सकता कि [illegible] हस्ताक्षर अभयसिंह का है । पी-138

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री रघुवीरसिंह, अधि० वास्ते अभि० भूपेंद्र शाह, नवीन शाह.

5. अभयसिंह के जो हस्ताक्षर मैंने बताये हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसमें हैण्डराईटिंग अनपढ़ आदमी के समान है या पढ़े हुये आदमी के जो हुये रायटिंग के समान है । प्रदर्श पी-136, 137 एवं 138 के हस्ताक्षर अभयसिंह के हस्ताक्षर के जैसे दिखते हैं । इन तीनों हस्ताक्षरों का एक-दूसरे से न मिलना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तीनों अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं । पहले हस्ताक्षर में ए०के०एस० लिखा हुआ है तथा दूसरे में के०एस० के साथ है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अपस्त्री, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

7. हमारे विभाग में दर्शनानंद तिवारी डब्लूडब्लू अटेंडेंट भी कार्य करते हैं ए०ए०फारूकी वार्डमैन भी मेरे विभाग में काम करता है । यदि कोई कर्मचारी अचानक छुट्टी जाना चाहे तो छुट्टी का आवेदन अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ भेजता है और छुट्टी ग्रान्ट भी होती है । प्रदर्श डी-16 मेरे पास आया था, जो अभयसिंह ने भेजा था, जिसके बावजूद मैंने अपने उच्च अधिकारी को टेलीफोन से सूचना दे दिया था तथा इस आवेदन को छुट्टी की स्वीकृति हेतु फारवर्ड भी कर दिया था । डी-16

8. अभयसिंह अधिकतर छुट्टी लिया करता था । मुझे नहीं मालूम कि उसकी पत्नी बीमार रहती थी और गांव में रहती थी, जिसके कारण वह छुट्टी लेकर जाया करता था । हमारे विभाग में डी०पी०आर० होता है, जिसमें कर्मचारियों की हाजिरी लगती है । डी०पी०आर० में छुट्टी का इंद्राज नहीं किया जाता उसको अलग से इंद्राज किया जाता है । हमारे विभाग से टाईम ऑफिस काफी दूर है । डी०पी०आर० का एक सार्टिफिकेट बनाकर शिफ्ट मैनेजर को भेज देते हैं, जो उसे टाईम

गवाह नं:- 47 पेज नं:- 2

ऑफिस भेज देता है । डी०पी०आर० के आधार पर बनाये गये सार्टिफिकेट में मिस्टेक भी हो जाती है, जो चेकिंग में ठीक हो जाता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० फलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

(हस्ताक्षर)

(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर)

(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

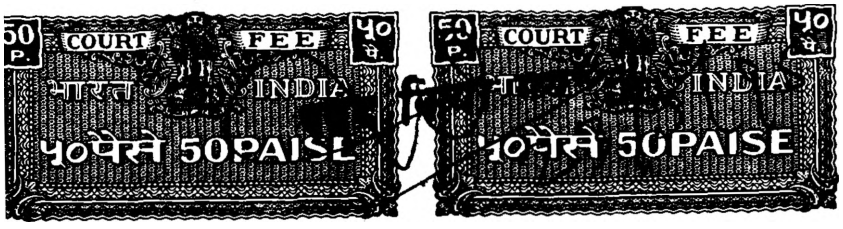

सत्यप्रतिलिपि
3/8/90
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

1 ... on 4-5-95

2 2-5-95

3 23-5-95

4 ... or 4-5-95

5 22-5-95

6 ....

7 23-5-95

8 ... (7) 23.5.95

9 Copy 23.5.95

10 Copy ... on 23.5.95

11 Court-fee 4-50

23/5/95

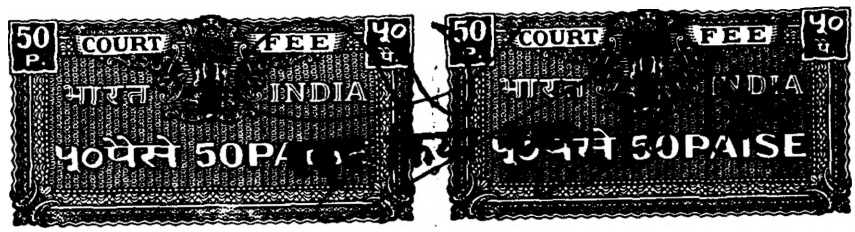

1-00

[illegible]
1970/95

प्रतिलिपि [illegible] की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. [illegible] मिश्रा उर्फ [illegible] आ0 छोटकन,
   साकिन- [illegible] बेकरी [illegible] कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. [illegible] राय आ0 [illegible] राय,
   साकिन- [illegible] 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह [illegible] आ0 रावेल सिंह [illegible],
   साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

COURT FEE भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE   COURT FEE भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

GPPI-153-7Lakhs-8-92

157

Witness No. 43 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 20-4-95 day of ... Witness's apparent age 31 वर्ष

States on affirmation my name is राजकुमार पांडे

son of श्री रामस्वरूप पांडे occupation हॉटल

address ... ऐक्स-1, ... गार्डन, भिलाई

सत्यापूर्वक :-

1. मैं मैट्रिक पास हूं । मैट्रिक मैं कैम्प-1, हायर सेकेण्डरी स्कूल से सन् 84 में पास किया हूं । ज्ञानप्रकाश मिश्रा और अवधेश को मैं जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद हैं । अभयसिंह को भी पहचानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है । मेरा कैम्प-2 में हॉटल है । ज्ञानप्रकाश और अवधेश कभी-कभी मेरी हॉटल में आते थे । अभयसिंह मेरा हॉटल में नहीं आता था । मैं हितेश उर्फ टोनी को नहीं जानता । मैंने और ज्ञानप्रकाश ने हाईस्कूल में लगभग 84 में एक ही साथ परीक्षा दी थी तब से उसे जानता हूं । अवधेश मेरा पड़ोसी है मैं उसे तब से जानता हूं । अभयसिंह मेरी हॉटल में कभी-कभी खाने खाना आता था । मैं उसे एक साल से जानता हूं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० गुलचंद शाह, नवीन शाह,

2. मेरी हॉटल में बहुत अच्छा खाना बनता है, इसलिये बहुत से लोग वहां खाना खाने आते हैं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं कलदेव.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

(जे०के०एस०राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(जे०के०एस०राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
23/5/95

1	... on	4-5-95
2	...	8-5-95
3	...	23-5-95
4	... or ... on	4-5-95
5	...	22-5-95
6	...	?
7	A...	23-5-95
8	N... (7) ... on	23-5-95
9	Copy ...	23-5-95
10	Copy ... on	23-5-95
11	Co...	9...

23/5/95

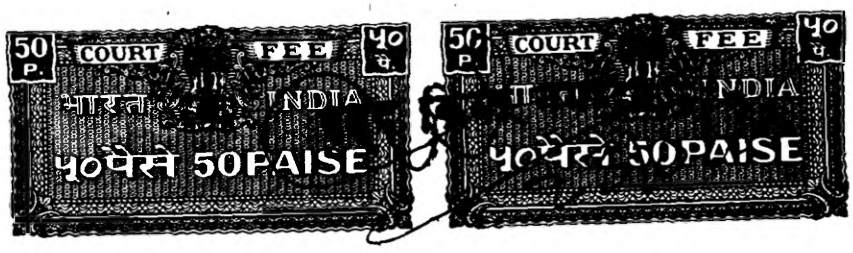

1-00

[illegible]
19/10/95

प्रतिलिपि [illegible] - को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. [illegible] मिश्रा उर्फ [illegible] आ0 [illegible],
साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश [illegible] आ0 [illegible] राय,
साकिन- [illegible]- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 [illegible] मल्लाह,
साकिन- [illegible] थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह [illegible] आ0 [illegible] सिंह [illegible]
साकिन- [illegible]-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....

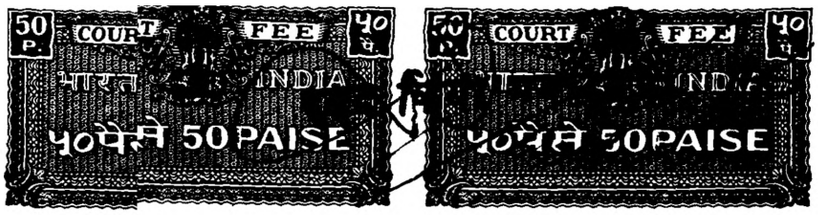

C-N-153-7Lakhs-8-92

2-80

57/J.

Witness No. 49 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 21-6-95 day of ... Witness's apparent age 26 वर्ष

States on affirmation my name is बिहारीलाल ठाकुर

son of श्री कार्तिकराम ठाकुर occupation समाजसेवक

address [illegible]

[illegible] :-

1. छत्तीसगढ़ स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट था । सन् 90-91 में मैं सी0 एम0एस0एस0 का कार्यकर्ता था । सन् 91 में सी0एम0एस0एस0 का आंदोलन नियोगी जी चलाते थे । मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी की हत्या हो गई है । प्रदर्श पी-111 मेरे हाथ का लिखा हुआ है, जो मैंने 30-9-91 को लिखा है । नियोगी जी की हत्या के बारे में नियोगी की पत्नी आशागुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ी में बोला था, जिसे गणेशराम चौधरी ने शुद्ध हिंदी किया, जिसे मैंने लिखा । इसमें आशागुहा नियोगी ने हस्ताक्षर किये और मैंने इस पत्र को गणेशराम को दे दिया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री रविन्द्रसिंह, अधि0 पास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह

2. 28-9-91 को नियोगी जी की हत्या के बारे में रिपोर्ट थाने में हो चुकी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैं दि0 30-9-91 को सी0एम0एस0एस0 के दल्लीराजहरा कार्यालय में बैठा हुआ था, इसी कार्यालय में प्रदर्श पी-111 की रिपोर्ट करीब 11.00 बजे दिन को लिखी गई थी । रात और दिन मैं इस ऑफिस में रहता हूं । 28 और 29-9-91 को भी मैं इसी ऑफिस में रात-दिन था । 28, 29, 30 तारीख के 11.00 बजे दिन तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि रिपोर्ट करना है । मुझे नहीं मालूम कि 28 और 29 तारीख को संगठन के सभी प्रमुख कार्यकर्ता राजहरा में आ गये थे । हमारे कार्यालय में बैठने के 2-3 अलग-अलग स्थान हैं । नेताओं के अलग और कार्यकर्ताओं के अलग और मजदूरों के अलग स्थान हैं । सभी इसी कार्यालय में बैठते हैं । इस कार्यालय में 4 कमरे हैं ।

3. 29 तारीख को हमारे कार्यालय में नेता लोग आकर बैठे थे या नहीं बैठे थे मुझे नहीं मालूम । 29 तारीख को मुझसे किसी ने भी यह नहीं कहा कि नियोगी की हत्या में उद्योगपतियों का हाथ है ।

म0 क0 एस0 राजपूत
तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म0 प्र0)

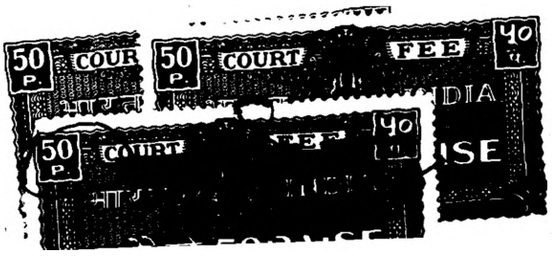

... ने 11.00 बजे तक भी मुझे किसी ने नहीं कहा कि अधोहस्ताक्षरियों के ... गया है ।

4. नियोगी जी की पत्नी हमारे कार्यालय में दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, वहाँ मुझे बुलाया गया । नियोगी जी की पत्नी नेताओं के कमरे में बैठी हुई थी । वहाँ पर मैं, आशागुहा नियोगी और गणेशराम चौधरी तथा आशागुहा नियोगी के बच्चे लोग थे । आशा गुहा नियोगी ऑफिस में कब से बैठी थी मुझे नहीं मालूम ।

5. कानूनी कार्यवाही छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं होती है, इसलिये प्रदर्श पी-111 हिन्दी में लिखी गई है । हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, इसलिये रिपोर्ट हिन्दी में लिखा था । गणेशराम जी हिन्दी में बोलते गये और मैं लिखता गया । लिखकर मैंने आशा जी से हस्ताक्षर करा लिये । आशा जी वहाँ से इसके बाद उठकर चली गई । मैं गणेशराम को रिपोर्ट देने के बाद चला गया । रिपोर्ट लिखने के बाद रिपोर्ट के बारे में आज तक मेरी आशा जी से कोई बातचीत नहीं हुई है । यह कहना गलत है कि यह रिपोर्ट आशा जी का नहीं है और हम लोगों ने मिलकर जालसाजी से यह रिपोर्ट बनाया है ।

6. भिलाई के आंदोलनों में मैं कभी नहीं गया । मैं गांव में जाकर आंदोलन चलाया करता था । सन् 91 में मैंने नियोगी जी को भिलाई में आंदोलन चलाते नहीं देखा, अपितु सुना है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(जे०के०एस०राजपूत)	(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
3/8/90
प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

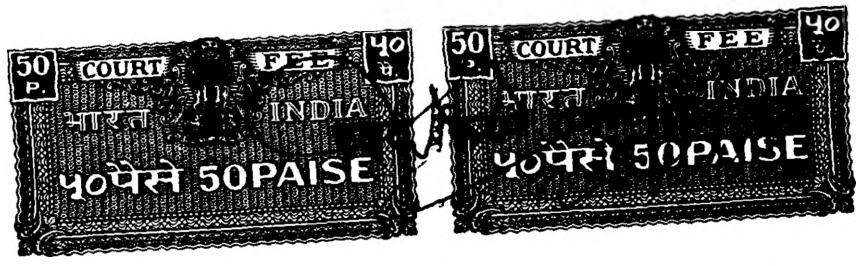

50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

50 COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

1-00

एस०सी०सी०एस०नं०
1970/95

प्रतिलिपि बयान हितेश कुमार मलोन - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. शान्ताप्रकाश मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बालाजी आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह सैंधू आ0 रावेल सिंह सैंधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakhs-8-92

Witness No. 50 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 21-[illegible] day of [illegible] Witness's apparent age 32 वर्ष

States on affirmation my name is [illegible] कुमार भसीन

son of [illegible] occupation ट्रांसपोर्ट.

address [illegible] मंदिर, कैम्प-1, भिलाई

अभ.मु.परी. :-

1. मैं जय भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी, तीन दर्शन मंदिर के पास, कैम्प-1, भिलाई में 2 साल पहले काम करता था । वहां पर मेरे साथ हरजीतसिंह मेरा पार्टनर था । उस कंपनी में मेरा भी एक ट्रक है । मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है । मुझे लोग टोनी नाम से भी बुलाते हैं, पर मैं बचपन से मेरा नाम टोनी है । मेरा कंपनी के सामने ज्ञानप्रकाश मिश्रा के भाई प्रभुनाथ मिश्रा का आफिस (कार्यालय) था । मैं अवधेश राय को पहचानता हूं । अभयसिंह को नहीं पहचानता । चित्रसिंह ठाकुर को नहीं जानता । देवेन्द्र पाठनी को जानता हूं । देवेन्द्र पाठनी [illegible] का है । [illegible]सिंह, [illegible]सिंह को भी मैं नहीं जानता । [illegible] को भी मैं नहीं जानता ।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही, केस डायरी कथन देखा अनुमति दी गई ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन

2. इस मुकदमे के सिलसिले में सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे दो महीने तक पूछताछ की थी । प्रदर्श पी-139 में मैंने अ से अ में ज्ञानप्रकाश मिश्रा - - - - - - - - अच्छी तरह जानता हूं, का बयान नहीं दिया था । मैंने ब से ब इसके अलावा - - - को भी अच्छी तरह जानता हूं, का बयान नहीं दिया था । मैंने स से स में पिछले 6-7 महीने - - - - - - - - - [illegible] और [illegible] - - - - - उनके साथी हैं, का बयान नहीं दिया था । मैंने द से द मेरे साथ - - - - - मालूम हुआ का बयान पुलिस को नहीं दिया था । इ से इ में ज्ञानप्रकाश - - - - - जाते थे का बयान नहीं दिया था । पी-139

[signature]
के० के० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
[illegible]

[illegible] के० के० सिंघो जी [illegible] ------ जनता पाया का बयान [illegible] दिया था । मैं दिनांक 27-9-91 को ज्ञानप्रकाश [illegible] के घर नहीं गया था । [illegible] दिनांक 27-9-91 ------ मालूम नहीं, नहीं [illegible] था । [illegible] ------ [illegible] नहीं दिया था । [illegible] सन् 91 में वहां [illegible] टैक्सी स्टैंड का ठेका किसके पास था मुझे नहीं मालूम । मैंने पुलिस [illegible] बयान [illegible] ज्ञानप्रकाश ------ किया था, [illegible] नहीं दिया था । प्रदर्श [illegible]-140 पर [illegible] ज्ञानप्रकाश [illegible] सिंडीकेट बैंक में खोलने के समय [illegible] ~~[illegible]~~ + [illegible] हस्ताक्षर [illegible] किया था । पी-140

[illegible] हस्ताक्षर [illegible] हैं । ज्ञानप्रकाश [illegible] ने मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं किया [illegible] था । [illegible] ज्ञानप्रकाश [illegible] प्रस्तावेब पर [illegible] किया है, क्योंकि मैं ज्ञानप्रकाश [illegible] को जानता था ।

[illegible] मुझे नहीं मालूम कि [illegible] टैक्सी स्टैंड [illegible] करने के लिये खाता खोला गया था । 4-10-91 की जो तारीख पड़ी हुई है वो मैंने नहीं लिखी है । मैंने इंट्रोड्यूस के रूप में हस्ताक्षर किये । मैं अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं [illegible] । [illegible] खोलते हैं तब मैं डालता हूं । मैं यह भी नहीं कह सकता कि खाता खोलने की बात 91 की है या नहीं है ।

प्रश्न:- क्या आप [illegible] से मना करते हैं कि दिनांक 4-10-91 को प्रदर्श पी-140 पर आपने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश का सिंडीकेट बैंक में खाता खोलने के लिये इंट्रोड्यूस किया ?

उत्तर :- मैंने अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि नहीं डाली है, इसलिये मैं न्यायालय में कैसे बोल दूं ।

4-10-91 की तिथि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ।

नोट :- [illegible] ~~[illegible]~~ पूछा [illegible] कि क्या पुलिस में बयान हुआ, इसी [illegible] गवाह ने [illegible] दिया । पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया और ना ही मुझसे पूछताछ की । मुझसे सी०बी०आई० वालों ने मुझसे 2 महीने तक पूछताछ की थी । यह बयान मैंने नहीं दिया है । साक्षी स्वतः कहता है कि मुझको टॉर्चर किया गया था

5. प्रदर्श पी-139 में [illegible] के दिनांक 4-10-91 को ------ चाहिये था [illegible] बयान नहीं दिया था । मैंने एस के एस उसी दिन शाम को ------ देहू की मदद की जरूरत है, [illegible] बयान नहीं दिया था । देहू की [illegible] में है, उसका

J. M. Agra.
डा० के० एल० राजपूत
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश
[illegible]

[illegible] नं0:- 50 पेज नं0:- 2 [illegible]

[illegible] मैं नहीं जानता । मैं [illegible] में पढ़ा जानता हूँ । [illegible] नहीं है मुझे नहीं मालूम । [illegible]-139 [illegible] में और [illegible] - - - - - - [illegible] पर [illegible] का बयान नहीं दिया था । 10-10-91 को मैं [illegible] में नहीं आया था । मैंने [illegible] में उसके बाद दिनांक 10-10-91 - - - - - - - आया था का बयान नहीं दिया था । [illegible] का बयान [illegible] - - - - - पुलिस ने [illegible] नहीं दिया था ।

6. [illegible] वालों ने 1-12-91 को मुझसे बयान नहीं लिये थे, उन्होंने कई बार बयान लिखे और फाड़े । मैं नहीं बता सकता कि मेरा यह बयान क्यों लिख लिया गया । प्रदर्श पी-140 का फार्म सी0बी0आई0 वालों ने मुझे नहीं दिखाया था । मुझे अपना खाता नंबर सिंडीकेट बैंक का नहीं मालूम । मैं पैसा निकालने गया था, इसलिये फार्म में अपना खाता नंबर डाल दिया । 4128 जो खाता नंबर [illegible] है वह पासबुक देखकर डाला गया है । पी-141 [illegible] 1991 - - - - [illegible] पी-141 जाहिर भी नहीं किया था । [illegible] आपने - - - - [illegible] है, [illegible] बयान नहीं दिया था । [illegible] मैंने अपनी ओर से - - - - - करवाये थे का बयान नहीं दिया था । प्रदर्श पी-142 पर [illegible] मेरे हस्ताक्षर पी-142 हैं यह मुझे याद नहीं है । मैं यह नहीं कह सकता कि दिनांक 4-10-91 को ज्ञानप्रकाश के नाम से खाता नंबर 5405 में 501/- रुपये मैंने [illegible] कराया था ।

7. सी0बी0आई0 वाले [illegible] होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, इसलिये मेरे पास भी पहुंच गये । सी0बी0आई0 द्वारा मुझे [illegible] का [illegible] डर था, इसलिये मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई । अभी भी मुझको सी0बी0आई0 वालों का डर है । यह [illegible] है कि ज्ञानप्रकाश [illegible] और दूसरे अभियुक्तगण मेरे दोस्त हैं, इसलिये मैं उन्हें बचाने के लिये आज झूठ बोल रहा हूँ ।

प्रति-परीक्षण द्वारा [illegible] राजेन्द्र सिंह, [illegible] वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. प्रदर्श पी-142 के हस्ताक्षर तथा पी-140 के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं ।

नोट :- इस प्रश्न पर आपत्ति पेश की गई कि यह ओपिनियन प्रश्न है, आपत्ति निरस्त की गई । साक्षी ने कहा कि हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री आस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० उमेद, अवधेश, अमृतलाल, चंद्रपाल एवं प्रदीप.

10. मुझे सी०बी०आई० वाले पूछताछ के लिये बिलाई आफिसर्स हॉस्टल, सेक्टर-4, भिलाईनगर में ले गये थे । मुझे वहां पर सुबह से शाम तक बैठी कराते थे और शाम को छोड़ देते थे तथा एक-दो दिन भी आड़ में रोज मेरा बयान लेते थे । मुझसे मारपीट भी की जाती थी । मेरे घर की तलाशी भी ली गई थी । मेरे जन्मदिन के दिन भी मुझे बहुत मारा गया था । यह बात 17 नवम्बर की है । मुझसे यह भी कहा था कि 164 दं०प्र०सं० का बयान दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं । मुझसे पूछा गया था कि क्या तुम्हारा कोई रिकार्ड खराब है तो मैंने कहा था कि नहीं है । मुझको यह धमकी दी गई थी कि रिकार्ड खराब करने के लिये धारा 154 भा०दं०वि० में बंद कर देते हैं ।

11. इतना होने के बाद भी मैं इतना डरा हुआ हूं कि अपनी सुरक्षा की मांग मैं नहीं करता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर)

(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(हस्ताक्षर)

(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
(हस्ताक्षर)
प्रधान प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

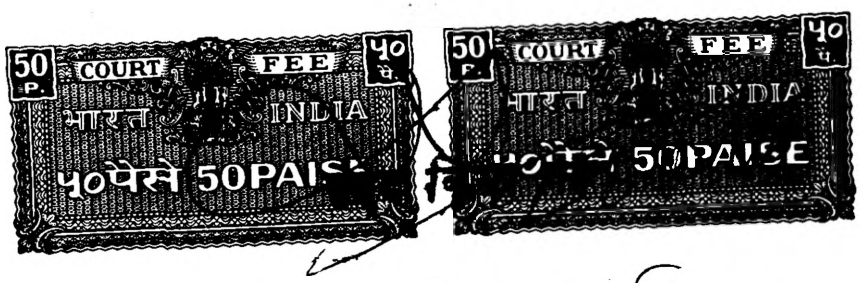

1—४०

एस.सी.पी.एस.नं.
1970/95

प्रतिलिपि ब्यान रेकार्ड — — — की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग {म0प्र0} के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. शा..काश मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बा..र आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश रा.. आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, से..टर-5, भिलाई

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्बी थाना रुद्रपुर, जिला देव..या {उ0प्र0}

8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह सेंधू आ0 रावेल सिंह सेंधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakh 8-92

Witness No. ....51........ for.....अभियोजन की ओर से................Deposition taken

the ....21-4-95....... day of .... Witness's apparent age ....42 वर्ष......

States on affirmation   my name is ..देवकीमाई..................

son of ....पलटन... occupation ..गृहिणी....

address .....मिलाई-3...

तपेश्वरी :-

1. अदालत में उपस्थित पलटन को मैं जानती हूं । पलटन को मैं विगत 7 वर्षों से जानती हूं । पलटन देवरिया (बिहार) का रहने वाला है । पलटन मेरा आदमी है, मेरी उससे शादी नहीं हुई है । मेरा विवाहित पति का नाम कांतिलाल था । एक बार पलटन जब देश से वापस आया तो जैसे ही घर में पैर रखा वैसे ही उसे पुलिस वाले पकड़ लिये । मुझे सन् याद नहीं है, यह 3-4 साल पहले की बात है । मैंने उसके जमानत का प्रबंध किया तो वह जमानत पर छूटा था ।

2. मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी की हत्या हुई है । मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, इसलिये मैं सन् नहीं बता सकती । आज से 4 साल पहले पलटन मेरे पास रहता था । जब एक कांड हुआ उसके 2 महीने पहले पलटन गांव चला गया था । क्या कांड हुआ था मुझे नहीं मालूम । पलटन किस मुकदमे में बंद है यह मुझे नहीं मालूम ।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

3. इस मुकदमे के सिलसिले में सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे पूछताछ की थी । मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानती । प्रदर्श पी-153 में मैंने अ से अ पलटन हाल के ------- रहने लगा था का बयान नहीं दिया था । ब से ब नियोगी जी के ------ न दे पाई का कथन भी नहीं दिया था । स से स नियोगी जी की हत्या के बाद ------ कहीं चला गया है का कथन नहीं दिया था । यह मुझे मालूम है कि नियोगी जी की हत्या कांड के सिलसिले में सी0बी0आई0 वाले मुझसे पूछताछ करने आये थे । पहले सी0बी0आई0 वाले मेरे पास नहीं आये थे, थाने वाले आये थे । पी-153

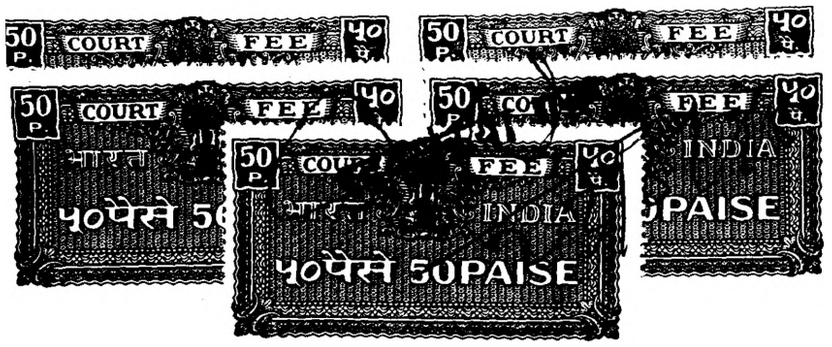

[illegible] एक रात को उठाकर ले गये थे और मारे तथा पूछे कि पलटन कहाँ है तो मैंने कहा कि मालूम नहीं है। पुलिस वाले 8 दिन तक मेरे को पूछताछ करते रहे और [illegible] करते रहे और कहते रहे कि पलटन को छिपाकर रखा है। मेरा पैर भी टूट गया था। सी०बी०आई० वालों से मालूम पड़ा कि पलटन को नियोगी जी के हत्या के मामले में तलाश किया जा रहा है। पलटन से मेरी शादी नहीं हुई है। मैं रोजी-मजदूरी करती हूं। मैं प्रतिदिन 20/- रुपये कमा लेती हूं।

4. नियोगी जी की हत्या के एक साल बाद पलटन मुझे आकर भिलाई में नहीं मिला था। उसके फिर एक साल बाद पलटन मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी ओर से पलटन की खोज-खबर नहीं की थी। मैं क्या करती। मेरे साथ पलटन भिलाई में 7 साल साथ में रहा। पलटन सायकल दुकान का काम करता था। वह कुम्हारी में है, लेकिन स्थान नहीं मालूम है। मैंने वह दुकान नहीं देखी है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

8. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(हस्ताक्षर)
(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(हस्ताक्षर)
(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
23/5/96
प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

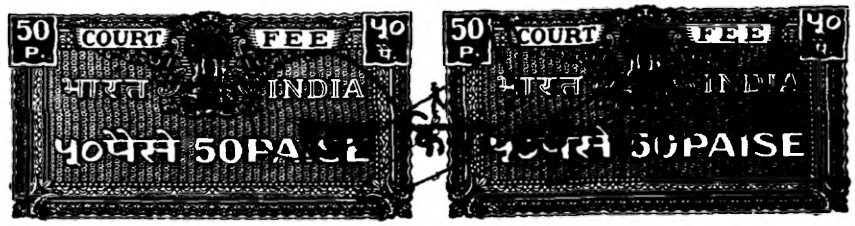

1-00

50 P. COURT FEE ५० पै.
भारत INDIA
५० पैसे 50 PAISE

50 P. COURT FEE ५० पै.
भारत INDIA
५० पैसे 50 PAISE

एस०ए०सी०एस०नं०
1970/95

प्रतिलिपि आदेश पत्रिका/निर्णय/साक्ष्य - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैंधू आ० रावेल सिंह सैंधू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

2-510

ORPI-153-7Lakhs-8-92 — II-157 / C. J.

Witness No. 52 for अभियोजन पक्ष ओर से Deposition taken the 21-4-95 day of .... Witness's apparent age 42 वर्ष

States on affirmation my name is [illegible] तिवारी

son of श्री [illegible]नाथ तिवारी occupation [illegible]

address [illegible]-4, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. 28 फरवरी 87 को मैंने भिलाई स्टील प्लांट खलासी की हैसियत से ज्वाइन किया । इससे पहले मैं आर्मी में था । 15 साल की सेवा के बाद मैं वहां से सेवानिवृत्त होकर यहां आ गया । मैं अभयसिंह को जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है । अभयसिंह भी भिलाई स्टील प्लांट में काम करता है । अभयसिंह ने मार्च 87 में ज्वाइन किया । अभयसिंह राजपूत रेजिमेंट में था, जो मेरे से कुछ कम समय पहले डिस्चार्ज ले लिया । अभयसिंह भी खलासी थी । मैं शुरू में भिलाई के कैम्प नं0-1 में क्वार्टर नं0=39 में रहता था । मेरा बहन सिद्धी देवी भी क्वार्टर नं0-69ए में वहीं रहती थी । मेरे बहन के मकान में मैं और अभयसिंह भी कुछ समय तक साथ में रहे हैं । अभयसिंह बाद में कुछ समय राधेश्याम के साथ रहा , उसके बाद उसे क्वार्टर मिल गया ।

2. अभयसिंह ब्लॉक नं0-7 में किरायाा लेकर रह रहा हैं । अलग रहने के बाद भी मेरी और अभयसिंह से भेंट हो-ती रही है । मैंने अभयसिंह को लिखते हुये और हस्ताक्षर करते हुये देखा है । मैं अभयसिंह के लेख को देखकर थोड़ा बहुत पहचान सकता हूं ।

3. 3-10-91 को अभयसिंह ने मुझे छुट्टी का आवेदन प्रदर्श पी-144 दिया पी-144
था,इस पर अभयसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं पहचानता हूं, जो क्यू-18 लिखा जाकर घेरा गया है । 3-10-91 को लगभग 7.00 बजे शाम को मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ तो अभयसिंह आया और बोला कि घर में कुछ जरूरी काम है, इसलिये मैं घर जा रहा हूं, यह एप्लीकेशन दे देना । अभयसिंह ने यह भी कहा कि जीजा ने खबर लाई है, गांव जाना है । मैं यह छुट्टी की दरख्वास्त लेकर नाईट शिफ्ट में 10.00 बजे रात को पहुंचा था । हम लोग टाईम ऑफिस के पास खड़े थे कि अभयसिंह भी पहुंच गया । अभयसिंह से मैंने पूछा कि तुम क्यों आ गये तो उसने कहा कि पैसे की

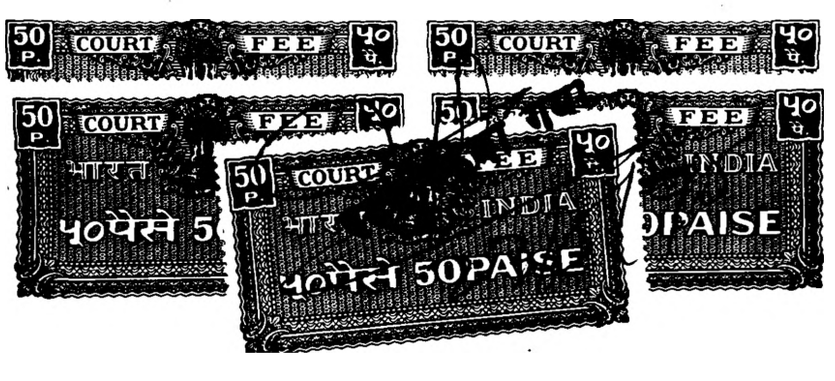

[illegible] हुई है, इसलिये मैं जा सकूँगा [illegible] । मैं यह दरख्वास्त 5-10-97 [illegible] और उसमें [illegible] आवेदन [illegible] उसके हाथ से लाया हूँ । [illegible] आवेदन में छुट्टी की अवधि या तिथि अंकित नहीं है ।

4. [illegible] तारीख की शाम को अभयसिंह से मेरी भेंट हुई थी उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसलिये आवेदन 5 तारीख को दिया था ।

5. हम लोग जो छुट्टी लेते हैं, उसकी लीव ~~[illegible]~~/रखी जाती है । लीव बुक मेंटेन होती है, छुट्टियां उससे ड्राफ्ट होती हैं । छुट्टी जाते हैं तो लीव बुक पेश करना पड़ता है, जिस पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं । लीव बुक पेश करने पर आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है । आवेदन न दिये जाने पर लीव बुक में कारण दर्शा कर दिया जाता है । आवेदन-पत्र किसी के व्दारा भेज दिये और लीव बुक हमारे पास नहीं है तो वापस आने पर दुबारा लीव बुक में उस छुट्टी को भरना पड़ता है । लीव बुक प्रदर्श पी-134 अभयसिंह ने मुझे नहीं दी थी । लीव बुक में इंडीविजुअल का जो कॉलम है उसमें हस्ताक्षर वह आदमी करता है, जिसकी लीव बुक है । प्रदर्श पी-71 में लेख क्यू 16 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह किसका लेख है मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-70 में लेख क्यू 21 से 23 को देखकर साक्षी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि ये लेख किसके हैं । 9-10 के बाद अभयसिंह से मेरी मुलाकात उसके आफिस पर लौटने के बाद हुई ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह,

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

8. मैं अभयसिंह के घर आता-जाता था । अभयसिंह के घर के बाजू में दो घर छोड़कर कृष्णकुमार नामक व्यक्ति रहता है यह बात मैं जानता हूँ । अभयसिंह की पत्नी उसके साथ कुछ दिन तक रही, फिर गांव चली गई । मैंने अभयसिंह से पूछा कि फ़ैमिली को गांव में छोड़कर क्यों आये तो उसने कहा कि कृष्णकुमार के घर से झगड़ा होता है और उसकी तबियत भी खराब रहती है ।

50 P COURT FEE INDIA 50 पैसे 50 PAISE

गवाह क्रं0:- 52   पेज नं0:- 2

ऐसा सुना था कि पुष्प कुमार की पत्नी अक्सर अपने घर का पैसा अभयसिंह के घर ले जाकर फेंक देती थी, इसी बात पर प्राय: उनके परिवारों में झगड़ा हुआ करता था, जिससे परेशान होकर अभयसिंह ने अपनी पत्नी को गांव भिजवा दिया । अभयसिंह का जीजा हरविंदसिंह रायपुर में रहते हैं ।
गांव जाने के बाद अभयसिंह ने अपने जीजा के मार्फत हमारे विभाग में यह खबर भिजवाई थी कि उसकी पत्नी की तबियत खराब है, इसलिये उसे आने में देरी होगी, इसकी मुझे थोड़ी सी जानकारी है । अभयसिंह के पिता ने जब वो गांव से आयेथे तो उन्होंने मुझे बताया था छुट्टी बढ़ाने हेतु रजिस्ट्री और टेलीग्राम गांव से भेजा गया है । यह सही है कि लीव बुक हम लोग शीपिंग ऑफिस में कभी-कभी छोड़ भी देते हैं और जरूरत होने पर ले जाते हैं । लीव बुक यदि पास न हो तो अपने किसी सहकर्मचारी के हाथों छुट्टी का आवेदन भेज दिया जाता है ।

9. कभी-कभी अचानक भी छुट्टी की दरख्वास्त दी जाती है तो उसमें छुट्टी की अवधि नहीं डाली जाती है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 फलटन.

10. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(के0के0एस0राजपूत)	(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या, जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

1 ... on 4.595

2 8.595

3 23.595

4 ... or 4.595

5 22.595

6

7 23.595

8 23.598

9 23.595

10 23.595

11 ~~4.5~~

23/5/95

Free LOMN

[illegible]

अभियोजन

53

16-10-95 31 वर्ष

केवल कुरियन —

श्री के०एस० कुरियन पर्सनल ऑफिसर

भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला-दुर्ग (म०प्र०)।

शपथपूर्वक :-

1. वर्तमान समय में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में उप-प्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कार्य कर रहा हूं। सन् 91 में मैं सहायक प्रबंधक (कार्मिक) ब्लास्ट फर्नेस में कार्य करता था। उस समय मेरा काम कर्मचारियों के स्थापना संबंधी मामलों को देखना और अभिलेखों का संधारण करना था। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश पर जाना होता था तो वह निर्धारित लीव बुक में आवेदन देता था। वह आवेदन (लीव बुक) उच्चाधिकारियों से अनुशंसा सहित कार्मिक सेक्शन में चला जाता था, वहां से वह लीव बुक टाइम ऑफिस में चला जाता था। कर्मचारियों का अवकाश कार्ड टाइम ऑफिस में रखा जाता था। टाइम ऑफिस में कर्मचारियों की छुट्टी को चढ़ाने के बाद लीव बुक पुनः कार्मिक सेक्शन में आ जाता था और संबंधित कर्मचारी उसे प्राप्त कर लेता था। लीव बुक में अनुशंसा करने वाले अधिकारी और छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी कर्मचारियों को एक पर्सनल नंबर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारियों को वह जिस विभाग में काम करता है वहां का टोकन नंबर भी दिया जाता है।

2. अभियुक्त अवधकुमार सिंह ब्लास्ट फर्नेस में ट्रैक्टर कार सेक्शन में ऑपरेटर के पद पर कार्य करते थे। न्यायालय में उपस्थित अवधकुमार सिंह को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। मैंने अ०कु० अवधसिंह के अवकाश का अभिलेख मैं सी०बी०आई० के अधिकारी को पेश किया था। उसका रिकॉर्ड मेरी छुट्टी पी-145 है, जो दि० 4-12-91 का है। पी-145 इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पत्र को सी०बी०आई० अधिकारी प्रभाकर ने मेरे सामने लिखा था। ब से ब भाग पर मेरे सामने प्रभाकर ने हस्ताक्षर किये हैं। सी०बी०आई० अधिकारी को अ०कु० अवधसिंह का लीव बुक, दो मेडिकल सर्टि० पेश किया था।

3.   मैने इस केस के साथ जो दस्तावेज पेश किये है वह प्रदर्श पी-134, 137 एवं 138 है । कि उक्त तीनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किया है । वर्तमान समय में अपि० अमरसिंह भिलाई स्पात संयंत्र में काम नहीं करता । अपि० अमरसिंह 5-10-91 से काम से अनुपस्थित हो गया था । उसके बाद वह काम पर लौटा नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अपि० वास्ते अपि० प्रमोद शाह, नवाब शाह एवं

4.   अपि० अमरसिंह को नौकरी से दिनांक 25-1-92 को निकाला गया था । वह बर्खास्तगी का आदेश आज मैं अपने साथ नहीं लाया हूं । चूंकि मेरा उस विभाग से ट्रांसफर हो गया था, इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि उस आदेश को अपि० अमरसिंह ने श्रम न्यायालय में चुनौती दी है या नहीं । यह कहना गलत है कि अपि० अमरसिंह की नौकरी सी०बी०आई० के कहने से बर्खास्त की गई है । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-134 का ड्राफ्ट मेरे सामने नहीं किया गया था । मुझे इस बात का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है कि उक्त ड्राफ्ट किस अधिकारी के हाथ से लिखा गया है । अधिकारियों को लेटर वाली ड्राफ्ट किसके हाथ का है मैं नहीं बता सकता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते अपि० इन्दुलाल शाह एवं अवधकुमारसिंह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा अपि० ज्ञानप्रकाश तिवारी, अशोक रॉय, चंद्रभान एवं करदेव.

6.   कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा अपि० यादव.

7.   कुछ नहीं ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

सत्यप्रतिलिपि

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

प्रधान प्रतिलिपिकार

20/10/97

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग

54 अभियोजन

16-10-95 30 वर्ष

सुदामाप्रसाद —

श्री कालीसिंह

सविल सिम्प्लेक्स में करता था, अभी नहीं करता

रामदास नगर, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन 84 से फीटर के पद पर सिम्प्लेक्स उद्योग में काम करता था। मैं 23-12-90 से हड़ताल पर हूं। मैं दिसम्बर 90 से हूं या नवम्बर 90 से यह मुझे ठीक से याद नहीं है। हड़ताल छ०मु०मोर्चा यूनियन के द्वारा किया गया था। अब मालिक कहता है कि हड़ताल नहीं किये, मालिक ने छोड़ दिया था। हमसे साढ़े आठ घंटे काम कराया जाता था, हमारी मांग थी कि 8 घंटे काम कराया जाये। हमारी यह भी मांग थी कि अस्थायी मजदूरों को स्थायी किया जावे और मजदूरों को जीने लायक वेतन दिया जावे। मांग-पत्र लेकर मैं मूलचंद शाह और अरविंद शाह के पास गया था। उन लोगों ने मांग-पत्र लेने से इंकार कर दिया। हम लोग 10-12 आदमी मांग-पत्र लेकर गये थे, किंतु बाकी लोगों को जाने नहीं दिया गया था। उन लोगों ने कहा कि जो बात करना है जबानी करो, कागज से बात मत करो। उन लोगों ने कहा कि कागज से बात करोगे तो वे लोग भी कागज से बात करेंगे। हमने कहा कि जो बात लिखा हुआ है वह हमारा जो जोखा गया बात है इसको पढ़ लीजिये तो वे पढ़ने से भी इंकार कर दिये।

2. हम लोग वापस आ गये और मांग-पत्र को रजिस्ट्री डाक से भेज दिये। मांग-पत्र लेने से इंकार करने की बात सितम्बर-अक्टूबर 90 की है। सिम्प्लेक्स में जो मजदूर काम करते थे उनको 6 महीने में निकाल दिया जाता था। हम लोग ये बोले कि इनको क्यों निकालते हो तो बोले कि यूनियनबाजी करोगे तो तुम लोगों को भी निकाल कर बाहर कर देंगे। मुझे आज याद नहीं है कि 21-12-90 को क्या हुआ था। हम लोग साढ़े 8 घंटा काम करना बंद कर दिये और 8 घंटा काम करने के बाद गेट पर आकर बैठ जाते थे। यह बात 20 दिसम्बर 90 का है। दूसरे दिन अर्थात 21-12-90 को कुछ बाहरी आदमी जिनको हम लोग नहीं पहचानते फैक्टरी के अंदर आये और

मुझे, गोपचंद माहेश्वरी और एक आदमी, जिसका नाम याद नहीं है के साथ
वे लोग मारपीट किये। उस समय सिक्योरिटी के [illegible] एन०के० जैन भी वहाँ पर
मौजूद थे। हम लोग पुलिस में रिपोर्ट भी किये, किन्तु हमलावरों के खिलाफ कोई
कार्यवाही नहीं हुई और पुलिस ने हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही किये। हम लोग
जेल चले गये और 3-4 दिन बाद जमानत पर छूटे थे। अब साक्षी कहता है कि 21
तारीख को पुलिस ने हमको थाने से छोड़ दिया था। हम लोग जब 22 तारीख को
ड्यूटी पर गये तो हम लोगों को काम नहीं दिया गया। उस समय करीब 290
व्यक्तियों को काम नहीं दिया गया था। करीब 50 लोग जो स्थायी श्रमिक थे वे
भी हम लोगों के साथ थे। अभियुक्त [illegible] ने कहा कि जो लोग [illegible] यूनियन से
संबंध नहीं रखेगा वह हस्ताक्षर करे उसको काम पर लिया जायेगा और जो संबंध
रखेगा उसको काम पर नहीं लिया जायेगा। करीब 10-20 मजदूरों ने कागज पर
हस्ताक्षर किये और बाकी लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किये। हम लोग जब 23 तारीख
को काम पर गये तो वहाँ ताला लगा दिया गया था।

5. रामजतन मजदूर को मैं जानता हूँ। मैं अभियुक्त ब्रह्मप्रकाश मित्तल को
जानता हूँ। रामजतन ने 17 सित०90 को मुझसे अभि० ब्रह्मप्रकाश मित्तल का परिचय
कराया था। रामजतन ने अभि० ब्रह्मप्रकाश मित्तल को यह कहकर परिचय कराया था
कि वह असामाजिक तत्वों का आदमी है। रामजतन ने यह भी बताया कि अभि०
ब्रह्मप्रकाश मित्तल सिक्योरिटी कंपनी में बराबर आया-जाया करता है। रामजतन
ने कहा कि ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और मालिक से मिले हुए हैं, इनसे जरा
सतर्क रहिये।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० [illegible] आदि, [illegible] आदि.

4. मैं इंटर पास हूँ तथा आई०टी०आई० भी पास हूँ। मैं 23-9-90 से हड़ताल पर
हूँ और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा
स्कूल भी जाता है। संगठन [illegible] यूनियन से मुझे राशन मिल रहा है और कपड़े और
बाकी खर्चों के लिये पैसा घर से आता है। मेरा घर उत्तरप्रदेश में है। उत्तरप्रदेश में
मैं ग्राम [illegible], थाना भटनी, जिला-देवरिया में रहता हूँ। गांव से पैसा मनीआर्डर
से आता है। चेक भी आता है। मैंने अपने घर से एक बार 5,000/- रुपये तथा एक
बार 2,000/- रुपये मंगाया था तथा मेरा स्वयं का बैंक में 17,000/- रुपये जमा
भी था। मेरे पास बैंक में जो 17,000/- रुपये जमा था वह मेरा फैक्टरी से कमाया
हुआ ही पैसा था। मैंने फैक्टरी में सन् 84 से करीब 6 वर्षों तक काम किया था।

किसी -किसी महीने में पूरा पैसा जमा करता था और किसी महीने में 100/- रुपये ही जमा करता था ।

5. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यदि किसी मजदूर की सेवा समाप्त कर दी जाये तो वह सीधे श्रम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है या नहीं । मैंने श्रम न्यायालय में आवेदन लगाया था । मैंने एडवोकेट तु 90 दिलाया था । 2-3 महीने पहले ही श्रम न्यायालय से यह फैसला हुआ कि मुझे पुनः नौकरी पर लिया जाये या मुआवजा पेमेंट किया जाये । मैंने आर0बी0 अधिकारी को यह बताया था कि मजदूरों से 8 घंटे के बदले साढ़े आठ घंटे काम लिया जाता है, यदि यह बात प्रदर्श डी-17 में नहीं लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । यह बात सही है कि प्रदर्श डी-17 में यह बात नहीं लिखी है । डी-17

6. यह बात सही है कि मैं ठेकेदार का आदमी था । साक्षी स्वतः कहता है कि उसका भतीजा निलेश कंपनी में रहता था । मेरे ठेकेदार का नाम मोहनप्रसाद था । यह बात सही है कि यह प्रशासनिक लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट किया था तो हमें चोटें आई थी और पुलिस ने हम लोगों का डॉक्टरी मुलाहिजा भी कराया था ।

7. यह कहना गलत है कि मैं, गोपाल, चंदू, रा0रा0राम, श्यामानंद और भोट के साथ मिलकर कारखाने में रामनारायण को हाथ और पत्थर से मारपीट की । मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों के खिलाफ रामनारायण ने रिपोर्ट किया था नहीं । यह बात सही है कि पुलिस ने हम लोगों को 23-12-90 को बंद किया था । यह हो सकता है कि यह बात 24-12-90 की हो । उस समय कंपनी का ठेकेदार मौजूद नहीं था । मैंने पुलिस बयान में अ से अ तक का यह बयान कि मारपीट ठेकेदार के सामने हुई थी का बयान नहीं दिया था । अब साक्षी कहता है कि बयान देने के बाद कि उसे याद नहीं है कि मारपीट ठेकेदार के सामने हुई थी या नहीं ।

8.   उस समय मैं [illegible] जोशी यूनियन का सदस्य था । उस समय मैं यूनियन का मुखिया था । माँग-पत्र की कापी मुकेश जोशी के ऑफिस में हो सकता है । रजिस्ट्री मैंने स्वयं किया था । उसकी रसीद मैंने ऑफिस में जमा कर दिया था । मुझे आज याद नहीं है कि मैंने माँग-पत्र को रजिस्ट्री से भेजने की बात सी0बी0आई0 को बताया था या नहीं । अब साक्षी कहता है कि यह बात उसने सी0बी0आई0 को बताया था । यह बात यदि डी-17 में नहीं लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । मैंने सी0बी0आई0 को यह बताया था कि माँग-पत्र में हमारी एक माँग यह भी थी कि अस्थायी मजदूरों को स्थाई किया जावे, यदि यह बात नहीं लिखी हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । मैंने यह भी बताया था कि माँग-पत्र में यह भी लिखा था कि मजदूरों को जीने के लायक वेतन दिया जावे । यह बात डी-17 में न लिखा हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता ।

9.   सन् 90 में मुझे करीब 850/- रुपये मासिक वेतन मिलता था । सप्ताह में सिर्फ शुक्रवार को अवकाश रहता था । यह बात सही है कि शासन की ओर से यह निर्धारित किया गया था कि मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिये । यह कहना गलत है कि हमें शासन द्वारा निर्धारित दर से ही मजदूरी मिलती थी । उस समय शासन द्वारा अस्थायी मजदूरों को 21/- रुपये दैनिक वेतन तय किया गया था । अब साक्षी कहता है कि शासन द्वारा कितनी मजदूरी तय की गई थी उसे याद नहीं है । उस समय बाजार में जो मजदूर काम करते थे उनको 15/- रुपये दैनिक मजदूरी मिलती थी । यह बात सही है कि इन लोगों को नौकरी पर रखने पर मालिकों को कोई एतराज नहीं था, उनका सिर्फ यह कहना था कि लाल-हरा झंडा से संघ अलग रखो । यह बात सही है कि मैंने जब से कार्य करना आरंभ किया था तब से ही ठेकेदार के आदमी के रूप में काम किया करता था ।

10.   मैंने डी-17 में यह बताया था कि रामआसरे ने मुझे यह बताया था कि आ0प्र0 ओमप्रकाश असामाजिक तत्व का आदमी है । यह बात नहीं लिखी गई हो तो मैं कारण नहीं बता सकता । मैंने सी0बी0आई0 को यह बताया था कि आ0प्र0 चन्द्रप्रकाश मालिक का आदमी है और फैक्टरी में आना-जाना करता है, यदि यह बात डी-17 में नहीं लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता ।

11. 23-9-90 को फैक्टरी के दरवाजे पर ताला लगाया गया था, हम लोग गेट पर ही यह कहकर देते थे कि ड्यूटी पर आये हैं। यह बात सही है कि 23-9-90 के बाद में ड्यूटी पर नहीं गया। यह कहना गलत है कि दि० 21-12-90 को स्वरूप फैक्टरी के बाहर हुआ था। स्वरूप फैक्टरी के अंदर हुआ था। स्वरूप 21-12-90 को नहीं, बल्कि 21-9-90 को हुआ था। यह बात सही है कि दि० 21-9-90 को फैक्टरी के अंदर जाने हेतु कोई रोकटोक नहीं था। 21-9-90 को जब हम लोग फैक्टरी में काम करने गये थे तो हमारा [illegible] हो गई थी। उस समय यूनियन बना रहे थे, इसलिये हमारे साथ मारपीट किया गया था। यूनियन बनाने में जो प्रमुख लोग थे उन्हीं के साथ मारपीट किया गया था। मैं भी यूनियन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक था। हम लोग फैक्टरी के अंदर नहीं, बल्कि फैक्टरी के बाहर मीटिंग करते थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते अधि० [illegible]

12. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा अधि० [illegible]

13. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा अधि० [illegible]

14. कुछ नहीं।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। [illegible] सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

ह० टी०के०[illegible] ह० टी०के०[illegible]
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग. द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

1	Application received on	20.10.95
2	Applicant told to appear on	30 10 95
3	Applicant appeared on	20 10 95
4	Application (with or without further or correct particulars) sent to recordroom on	20 10 95
5	[illegible] received [illegible] with [illegible] record [illegible] correct [illegible]	20-10 95
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	Notice in column [illegible] (7) complied with on	
9	Copy ready on	20-10 95
10	Copy delivered or sent on	20-10 95
11	Court-Fee realised	[illegible]

20-10-95

True copy

एम0सी0आर0सी0 1072/95 प्रतिलिपि [illegible] - जो कि श्री जे.के.एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. [illegible] मिश्रा उर्फ बाबू आ0 छोटेलाल,
   साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 [illegible] राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7E, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 [illegible] सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बख्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. [illegible] सिंह [illegible] आ0 [illegible] सिंह [illegible]
   साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 [illegible] कालोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

57 अभियोजन

17-10-95

32 वर्ष

भारतभूषण पांडे — बेरोजगार

श्री वेदबंधु पांडे

[illegible]नगर, भिलाई।

<u>मुख्यपरीक्षण:-</u>

1. मैं सिम्प्लेक्स कंपनी में यूनिट नं0-1 में [illegible] बोरिंग मशीन चलाता था। मैं सिम्प्लेक्स में नौकरी सन् 87 अगस्त से कर रहा था। मैं 13 जनवरी 93 से नौकरी पर नहीं हूं। भिलाई गोलीकांड में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके बाद मेरी नौकरी समाप्त कर दी गई।

2. मैं नियोगी जी को जानता था। वे हमारे श्रमिक संघ के नेता थे। मैं संगठन में पहले सचिव था और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हूं। हमारे संगठन का नाम प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ था। हमारा संघ जून 1990 से बनना चालू हुआ था और 17 सितम्बर 90 से पहला जुलूस निकला था। मैं 90 से 91 तक सचिव था और जब 91 में चुनाव हुआ तो मैं उपाध्यक्ष बना।

3. मैं ग्राम देवरिया जिला के नेरवार का रहने वाला हूं। मैं विश्वनाथ त्रिपाठी को जानता हूं। वह भिलाई स्टील प्लांट में मैनेजर था। वे मेरे [illegible] के [illegible] हैं।

4. अप्रैल 91 में त्रिपाठी जी के लड़के की शादी बिलासपुर में हुई थी। मैं भी उस शादी में गया था। उस शादी में फोटो भी खींचे गये थे।

5. मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नाम से जानता हूं। ज्ञान0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा त्रिपाठी के रिश्ते में लगता है। अगस्त 91 में श्रमिकों का आंदोलन चल रहा था और उस दौरान उद्योगों के मालिकों के द्वारा गुंडे नियोजित कर मजदूरों पर हमले कराये जा रहे थे। अगस्त 91 में मैं [illegible]नगर में रहता था। घर में मैं और मेरी पत्नी रहती थी।

6. ज्ञानेन्द्र पांडे मेरे जीजाजी हैं। वे बालभारती विद्यालय, कैलाशनगर में शिक्षक हैं। अगस्त 91 में मैं जब एक दिन घर आया तो मेरी पत्नी रो रही थी और पूछने पर उसने बताया कि जीजा जी आये थे और उन्होंने बताये हैं कि सिम्प्लेक्स के मालिकों ने मेरा फोटो गुंडों को दिये हैं, इससे मुझे खतरा है और मुझे भाग जाना चाहिये।

के०पी०एन०पांडे मेरे गुरु का लड़का है । मेरी पत्नी ने बताया कि त्रिपाठी चौबे यह जानकारी पांडे को पता चला था । के०पी०एन०पांडे ने यह बात राजेन्द्र पांडे को बताया था ।

7. इसके बाद मैं पुलिस ऑफिस गया । वहाँ लोगों से बातें कर एक आवेदन जामुल थाने में दिया । मैंने जो आवेदन बनाया था उसे पुलिस वालों ने कहा कि आवेदन अच्छा नहीं है । पुलिस वालों ने आवेदन बनाया था, जिसे मैंने थाने में पेश किया था । मैंने जामुल थाने में जो आवेदन पेश किया था वह प्रदर्श पी-48 है, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सेठी, अधि० वास्ते अभि० प्रशांत राय, नवीन शाह.

8. शादी में पूरे ग्रुप की फोटो ली गई थी । पत्नी के होने की बात और उसके द्वारा बताये गई बात पुलिस को बताया था । मैंने पुलिस को यह भी बताया था कि मेरी पत्नी ने बताई थी कि पांडे ने आकर यह बताया है कि सिम्पलेक्स के मालिकों ने मेरा फोटो गुंडों को दिया है । यदि यह बात प्रदर्श डी-19 में नहीं लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । यह बात मुझे मेरी पत्नी के अलावा किसी और ने नहीं बताया । मैंने पुलिस को प्रदर्श डी-19 का अ से अ का बयान त्रिपाठी जी - - - - - कहा था नहीं दिया था । यह बात सही है कि मेरी, पत्नी, त्रिपाठी और के०पी०एन०पांडे कहाँ रहते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पाठक, अधि० वास्ते अभि० चन्द्रकांत, [illegible], [illegible] एवं [illegible].

9. [illegible] के [illegible] में मेरा काम औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों से चंदा एकत्र करना था । मजदूरों से एकत्र किया गया चंदा सुविधा लोगों के जरिये मुझे प्राप्त हो जाता । पहले प्रत्येक श्रमिक 2/- रुपये मासिक चंदा देते थे बाद में बढ़ा करके 5/- रुपये मासिक चंदा कर दिया गया था । उस समय भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में करीब साढ़े पाँच हजार मजदूर थे । हमारा यह संगठन छ०मु०मोर्चा के अंतर्गत ही था । इस तरह के करीब 13-14 संगठन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे, जो कि छ०मु०मोर्चा के अंतर्गत थे । मुझे नहीं मालूम कि सारे संगठन मिलाकर कुल कितने मजदूर थे । इन संगठनों का कार्यकर्ता एक ही समान था और मजदूरों से एकत्र किया गया चंदा सुविधा के [illegible] से [illegible] के पास आता था । [illegible] मेरा [illegible] करना है इसकी जानकारी [illegible] को रहती थी । इसकी

जानकारी संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव को भी रहती थी।
हो सकता है यह सम्भव हो कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में छ0मु0मोर्चा के करीब 50 हजार सदस्य हों। यह बात नहीं है कि छ0मु0मोर्चा अपने स्वतः के बल पर विधायक खड़ा करता है और वर्तमान समय में उनका एक विधायक भी है। छ0मु0मोर्चा में सुधा भारद्वाज नाम की कार्यकर्ता भी है। सुधा भारद्वाज की आई0टी0 कानपुर के बी0टेक अध्ययन कुमला से पहले हुई थी। वैचारिक मतभेद होने के कारण सुधा का अपने पति से तलाक हो गया और बाद में सुधा छ0मु0मोर्चा के लिये काम करने लगी।

10. मैं सिम्पलेक्स कंपनी में सन् 93 तक काम किया हूं। यह बात नहीं है कि भिलाई गोलीकांड वाले मामले में भा0द0वि0 की धारा 302 में जेल जाने के कारण मुझे नौकरी से निकाला गया है। यह कहना गलत है कि नियोगी जी के मृत्यु के पूर्व संगठन में गुटबाजियां चल रही थी और नेताओं में मतभेद हो गया था। मरने के बाद हो गया था। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि राजेन्द्र स्याल, सुधा भारद्वाज, हरकलाल ठाकुर, अनुपसिंह, गणेशलाल चौधरी नियोगी जी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। यह बात सही है कि नियोगी जी की हत्या के बाद श्रमिक आंदोलन में बहुत अधिक खींचतान हुआ है। यह बात सही है कि नियोगी जी की हत्या के बाद नेताओं में ऐसा तालमेल हुई है कि आंदोलन में बिखराव आ गया है। यह बात सही है कि नियोगी की हत्या के बाद ये लोग ही अधिक शक्तिशाली हैं और छ0मु0मोर्चा के सर्वेसर्वा हैं। यह बात सही है कि नियोगी जी के जो सच्चे अनुयायी थे वे इनके प्रभाव के कारण संगठन से अलग हो गये हैं और संगठन में बिखराव आ गया है। यह कहना सही कहना कि राजेन्द्र स्याल, सुधा भारद्वाज और अनुपसिंह ने नियोगी जी की हत्या करवाई है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

11. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अनीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 पल्टन.

12. कुछ नहीं।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। मेरे निर्देश पर टंकित।

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
9.01.05

। टी0के0झा। । टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग. द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

1	Application received on	20-10-95
2	Applicant told to appear on	20-10-95
3	Applicant appeared on	20-10-95
4	Application (with or without further or correct particulars) sent to recordroom on	20-10-95
5	Application received from record room with record or without record for further or correct particulars on	20-10-95
6	Applicant given notice for further or correct particulars on	
7	Applicant given notice for further funds on	
8	Notice in column (6) or (7) complied with on	20-10-95
9	Copy ready on	
10	Copy delivered or sent on	20-10-95
11	Court-Fee realised	Free copy

20/10/95

(E.2) 48

Rao
O/o 17/MW.

स्व0सं0/प्र0सं0 4072 प्रतिलिपि [illegible] - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. डा0 ओम मिश्रा उर्फ भानु आ0 छोटेलाल,
साकिन- बाटा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 [illegible] सिंह,
साकिन- 7 ए, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मुलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 मोलाई मल्लाह,
साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच0सी0एल0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. [illegible] सिंह पिंटू आ0 राजेन्द्र सिंह [illegible]
साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 [illegible] कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

58

अभियोजन

18-10-95 39 साल

बांके बिहारी यादव

श्री इंद्रदेव यादव चौकीदार

ग्राम छावनी, जिला-दुर्ग

शपथपूर्वक :-

1. मैं उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। आजमगढ़ में पढ़ाई के बाद मैं होमगार्ड के रूप में भर्ती हुआ था। मैं सन् 80-81 में भर्ती हुआ था और 87-88 तक वहाँ होमगार्ड के रूप में काम किया। मैं वहाँ से सन् 88 में भिलाई आया और केमिकल एसोसिएशन में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में भर्ती हुआ। बी०के० सिंह पहले गार्ड था और बाद में वह ऑफिसर बन गया। अफसर के रूप में बी०के० सिंह की ड्यूटी यह थी कि वह गार्डों को भर्ती करता था और उनकी ड्यूटी की जांच करता था।

2. सितम्बर महीने में 28 तारीख को डेरा में सो रहे थे। साल कौन सा था यह मुझे याद नहीं है। सुबह हम लोगों को खबर मिला कि ड्यूटी पर बी०ई०सी० गेट पर आ जायें। हम लोग सुबह जब ड्यूटी पर आये तो थोड़ी देर बाद यह हल्ला हुआ कि नियोगी जी मर गये। उसके बाद बी०ई०सी० फैक्टरी बंद हो गई। संभवतः यह बात सन् 91 की है।

3. 3-4 दिन बाद मेरी ड्यूटी बी०ई०सी० गेट पर सेकंड शिफ्ट में थी। मेरी ड्यूटी उस दिन दोपहर के 1.30 बजे से रात के 9.30 तक थी। मेरी ड्यूटी के दौरान बी०के० सिंह आये और उन्होंने चारों तरफ गार्डों को चेक किया। करीब 9.30 बजे सिंह ने मुझे बुलाया और बोले कि 3 कारतूस एस०बी०बी०एल० के बाहर सत्यनारायण सिंह को दे देना। बी०ई०सी० कंपनी से लगी हुई दूसरी कंपनी [illegible] थी, जिसमें सत्यनारायण मनेजर था, जिसे मैंने रात में ही ले जाकर कारतूस 3 एस०बी०बी०एल० के बाहर दे दिया और बताया कि इन्हें बी०के० सिंह ने भेजी है। मैं वापस अपने डेरा में आ गया। बी०के० सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सत्यनारायण सिंह कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मैं अभी वर्तमान समय में शर्मा इंकारपोरेशन, भिलाई छावनी में सर्विस कर रहा हूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मुकुंद राव, ...

4. बी०के०जैन बी०ई०ओ० (मलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन) में काम करते थे। ... बी०आर०ई०डब्ल्यू० भारत ... में काम करता था। बी०ई०ओ० कंपनी के मालिक श्री बी०आर०जैन थे तथा बी०आर०ई० डब्ल्यू० कंपनी के मालिक श्री बी०आर०जैन थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अग्रवाल, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत राव.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अमृत, अवधेश, चंद्रकला एवं ...

6. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि० वास्ते अभि० चंदन.

7. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के०शा०)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी०के०शा०)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्य प्रतिलिपि
20/10/95
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

Application received on 20-10-95
2 Applicant told to appear on 30-10-95
3 Applicant ... 20-10-95
4 Application ... with or without ... correct ... particulars 20-10-95
5 Application ... records ... for further or correct particulars 20-10-95
6 Applicant given notice for further or correct particulars on —
7 Applicant given notice for further funds on —
8 Notice ... column (7) or ... 20-10-95
9 Copy ... 20-10-95
10 ... 20-10-95
11 ... 20-10-95

Force

एम०सी०आर०सी०नं० 6072 आज दिनांक [illegible] को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ईश्वर प्रकाश मिश्रा उर्फ भानु आ० छोटेलाल,
   साकिन- वार्ड 1 आदर्श बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामनारायण राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह आ० [illegible] सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोहरी मल्लाह,
   साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र प्रकाश सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सिद्धू आ० [illegible] सिंह सिद्धू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

59 अभियोजन

18-10-95 50 साल

रामबहादुर

श्री जगमालसिंह आरमोरर

पुलिस लाईन, रामपुर.

शपथ :-

1. मैं सन् 79 से पुलिस लाईन, रामपुर में आरमोरर का काम कर रहा हूँ। आरमोरर होने के नाते मुझे हथियारों के बारे में जानकारी है। मैं सन् 65 में U.P. पुलिस में भर्ती हुआ था। मेरे पास एक 12 बोर की बंदूक है, जिसे मैंने रामपुर के बदरुद्दीन की दुकान से खरीदा था।

2. रामबहादुर सिपाही था, जिसकी पोस्टिंग पुलिस लाईन, रामपुर में थी। मैं उसके लड़के को नहीं जानता। मुझे उसके लड़के का नाम नहीं मालूम। मुझे बाद में रामबहादुर के लड़के का नाम पता नहीं चला।

3. मुझे सिपाही रामबहादुर ने यह कहा था कि उसके लड़के का लाइसेंस मंजूर हो गया है और उसे बंदूक खरीदना है। रामबहादुर और एक आदमी मेरे पास आया। रामबहादुर ने बताया कि यह मेरा लड़का है। उसके लड़के का नाम उसने नहीं बताया था। हम तीनों रामपुर में सिटी कोतवाली के आगे बदरुद्दीन की बंदूक दुकान में गये। मैंने पसंद करके 12 बोर की एक बंदूक रामबहादुर को खरीदवाया। उसके बाद मैं वापस चला आया। मुझे याद नहीं कि बंदूक कितने में खरीदी गई थी। रामबहादुर ने बंदूक का लाइसेंस दुकानदार को दिया था। उस समय बंदूक खरीदी का इंद्राज दुकानदार ने रजिस्टर में मेरे सामने नहीं किया था।

4. बंदूक के साथ कारतूस और सफाई का सामान दुकान वाले ने दिया। कितना कारतूस दिया यह मैं नहीं बता सकता। रामबहादुर ने [illegible] मोटरसायकिल से मुझे पुलिस लाईन छोड़ दिया।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 गुलचंद आदि, बचाव आदि.

5. मुझे नहीं मालूम कि जिस आदमी ने बंदूक और कारतूस खरीदा था उसका नाम बी0के0सिंह था।

12

6. अभि०सा०क्र० चार्ली ने ऐसा बयान लिया था। मैं सा०सा०क्र० चार्ली को प्रदर्श डी-20 का अ से अ का बयान ... मैं - - - - - ... नहीं दिया था।

डी-20

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री ... अति० ... अति० ...

7. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अति० ... अति० ..., ..., ...

... एवं ...

8. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री ... अति० ... अति० ...

9. कुछ नहीं।

साक्षि को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना माना।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्यप्रतिलिपि

20/10/95

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1. Application received on 20-10-95
2. Applicant told to appear on 30-X-95
3. Applicant appeared on 20-X-95
4. Application (with or without further or correct particulars) sent to record-room on 20-X-95
5. Application received from record-room with record/document for further or correct particulars on 20-X-95
6. Applicant asked to furnish further or correct particulars on ....
7. Applicant [illegible] notice for further [illegible] on ....
8. Notice in [illegible] (7) complied with on ....
9. Copy ready on 20-10-95
10. Copy delivered or sent on 20/10/95
11. Court-fee realised ....

20/10/95

Free exam.

C.exam. [illegible]

56 अभियोजन

17-10-95 42 वर्ष

पुत्र भारत टावरे

श्री रायोबा टावरे [illegible]

सेना बैंक, पावर हाउस, भिलाई।

शपथपूर्वक !-

1. वर्तमान समय में सेना बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूं। मैं क्लर्क के पद पर सन् 93 से कार्य कर रहा हूं। उसके पहले मैं सन् 85 से चपरासी था। वर्तमान समय में मैं स्टेट बैंक कॉलोनी कैम्प-2 में रह रहा हूं। पहले मैं रेलवे क्वार्टर नं०-[illegible], कैम्प-1, भिलाई में रहता था। उस क्वार्टर में मैं सन् 89 से 5 मई 95 तक रहा। मेरे क्वार्टर के एक तरफ क्वार्टर नं०- 6[illegible] तथा दूसरी तरफ 6[illegible] है। अप्रैल-सितम्बर 91 में क्वार्टर नं०- 6[illegible] में कोई नहीं रहता था। मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस क्वार्टर में कोई रहता था या नहीं।

2. अभियुक्त अवतार सिंह को मैं जानता हूं। वह मेरे क्वार्टर के सामने वाले क्वार्टर में रहता था। मुझे नहीं मालूम कि अभि० अवतार सिंह के यहां कौन-कौन आया-जाया करते थे।

नोट :- केस डायरी कथन को देखते हुये विशेष लोक अभियोजक ने गवाह को पक्ष विरोधी घोषित करने की अनुमति चाही।
केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई।

3. सन् 89 में मैं जब क्वार्टर नं०- [illegible] में आया था तो उस समय क्वार्टर नं०[illegible] में कोई मुसलमान परिवार रहता था। वह मुसलमान परिवार उस क्वार्टर में लगभग एक साल रहे और फिर क्वार्टर छोड़कर चले गये थे। संभवतः मैं जब 89 में उस क्वार्टर में आया तो उसके पूर्व से ही मेरे सामने वाले क्वार्टर में अभि० अवतार सिंह रहा करता था। मैं जब तक उस क्वार्टर में था तब तक सामने वाले क्वार्टर में अभि० अवतार सिंह रहता था।

4. समाचार-पत्रों में पढ़ने से हुई नियोगी जी की हत्या का पता चला था। मैंने कभी भी समाचार-पत्रों में नियोगी जी के हत्यारों का फोटो नहीं देखा था। संभवतः मैंने नियोगी जी की हत्या का समाचार सितम्बर 91 के पहले सप्ताह में पढ़ा था।

नियोगी जी की हत्या के 2-3 महीने पहले मेरे मकान के क्वार्टर नं0-6ए0 में रहने के लिये कोई नहीं आया था। उस क्वार्टर में ताला लगा रहता था। मैं सुजुकी मोटरसाइकिल को जानता हूं। मैंने अपने मकान के क्वार्टर में लाल रंग की सुजुकी कभी नहीं देखी। मैंने अभि0 अभयसिंह के पास किसी भी दुकानदार को लाल रंग की सुजुकी में आता-जाता नहीं देखा।

5. यह बात सही है कि सी0बी0आई0 वाले मुझसे कई बार पूछताछ किये थे। मुझे सी0बी0आई0 वाले किसी भी व्यक्ति का फोटो नहीं दिखाये। सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे दिल्ली में पूछताछ किये थे, किंतु वह बयान किसने लिखे और क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। मैंने सी0बी0आई0 वालों को प्रदर्श डी-18 में अ से अ उसमें - - - - उपस्थित नहीं है का बयान नहीं दिया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री मैनी, अभि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, पलटन मल्लाह.

6. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अभि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकांत एवं नवीन.

7. मेरे पड़ोस में कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति भी 3-4 क्वार्टर के दूर परिवार सहित रहता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कृष्ण कुमार और अभि0 अभयसिंह के बीच पटती नहीं थी। यह कहना गलत है कि मुझे उस रात सी0बी0आई0 के अधिकारी मुझे अपने साथ ले गये थे। यह कहना गलत है कि रात में मुझे सी0बी0आई0 वाले विशाखापटनम आंध्रप्रदेश ले गये थे। यह कहना गलत है कि सी0बी0आई0 वाले मुझ पर यह दबाव डाल रहे थे कि मुझे क्या बयान देना है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अभि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सरूप अहमद, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

9. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार 20/09
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

Free

[illegible] U 072 [illegible] ... श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. [illegible] मिश्रा उर्फ बाबू आ० छोटेलाल,
साकिन- [illegible] बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामाधार राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7B, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह आ० [illegible] सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सेठू आ० रावेल सिंह सेठू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

19-10-95

61 वर्ष

श्रीपाद जगन्नाथ भाटेगांवकर

बा०स०पा० रिटायर्ड

श्री जगन्नाथ भाटेगांवकर

एम०आई०जी०-1-66 हुडको, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं अक्टूबर 86 से एम०आई०जी०-1-66 हुडको में रह रहा हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी श्रीमती सुधा भाटेगांवकर, पुत्र हेमंत, बहू भाग्यश्री और पोती छोटी रहते हैं। वर्तमान समय में मेरे लड़के हेमंत की उम्र करीब 35 वर्ष है। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मेरे पास बजाज स्कूटर है। एम०आई०जी०-1-65 मेरे क्वार्टर के ठीक सामने है। बीच का रोड 30-35 फीट की दूरी में है। दोनों क्वार्टर का डिजाइन मूल रूप से एक है। एम०आई०जी०-1-65 वाले ने और मैंने अपने क्वार्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करवाये हैं। मेरे मकान के कंपाउंड वाल और सामने सड़क की दूरी करीब 9-10 फीट है। कंपाउंड वाल में लोहे का गेट लगा है उसकी चौड़ाई करीब 4-साढ़े चार फीट होगी। एम०आई०जी०-1-65 में भी कंपाउंड वाल और गेट है।

2. सन् 91 में एम०आई०जी०-1-65 में मई महीने से नियोगी जी रहते थे। श्री नियोगी जी के साथ उनके एक-दो अर्दली रहते थे। दि० 27-9-91 की रात में करीब 11.00 बजे मैं अपने घर में सो गया था। हमारे परिवार के सदस्य भी सो गये थे। अंदाजन 3.45 बजे रात में हमारे कंपाउंड वाल के गेट को बजाने की आवाज सुनाई देने पर मेरी नींद खुली। मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र तुरंत बाहर आये। हमारे गेट का दरवाजा एक आदमी खटखटा रहा था, जिसका नाम बलराम है यह बाद में पता चला। वह आदमी काफी घबराया हुआ था और उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने किसी तरह बोला कि नियोगी बाबा को कुछ हो गया है। आप चलकर देखिये।

3. मैं और मेरा लड़का उस आदमी के साथ क्वा० नं०-1-55 में गये। वह आदमी हमें नियोगी जी के बेडरूम में ले गया। हमने देखा कि नियोगी जी दाहिने करवट लिये सो रहे थे और उनके पीठ में खून अत्यधिक मात्रा में था। नियोगी जी

ठिठ-कुल रहे थे और अपना आंखों में हाथ रखे थे, फिर नियोगी जी बेहोश हो गये।

4. जो आदमी हमें जगाने आया था उसने पूछा कि अब क्या करना होगा तो मैंने कहा कि एम्बुलेंस बुलाना होगा और पुलिस को सूचना देना होगा। वह कहने लगा कि वह कैसे जायेगा तो मैंने उससे कहा कि मेरा लड़का तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देगा। उनका ऑफिस एम0आई0जी0-2 में है। मेरा लड़का मेरे स्कूटर से उस आदमी को एम0आई0जी0-2 तक ले गया। मैं एम0आई0जी0-55 के गेट के पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक एम्बेसडर कार आई, जिसमें नियोगी जी के कार्यालय के कुछ लोग थे। उन लोगों ने नियोगी जी को एम्बेसडर में रखे और उसे ले गये। मैं उनके साथ नहीं गया था।

5. सुबह करीब 6.00 बजे मुझे पता चला कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधिवक्ता वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

6. मेरा आना-जाना नियोगी जी के घर में नहीं था। उस समय मैं नौकरी में था और मुझे यह नहीं मालूम कि नियोगी जी के घर कौन लोग आते-जाते थे। नियोगी जी के घर में रहने वाले अटेंडेंट को भी मैं नहीं पहचानता। नियोगी जी के घर में मैं 2-3 लोगों को हमेशा देखा करता था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवध, अवधेश, चंद्रकांत एवं बल्देव.

7. मैं उस मकान में नियोगी जी के आने के पहले से ही रह रहा हूं। नियोगी जी जिस मकान में रहते थे वह मकान मो0 कोया का था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मो0 कोया अपने भाई के साथ हे0-1 में रहा करता था। मैंने यह सुना था कि मो0 कोया के एक लड़के ने मो0 कोया के भाई का मर्डर कर दिया था। इस बात की मुझे जानकारी है कि उस लड़के को सजा हुई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नियोगी जी की हत्या के कुछ दिनों पहले ही वह लड़का जेल से छूटकर आया था।

8. हुडको में भिलाई इस्पात संयंत्र के जिन कर्मचारियों को मकान मिला था, जिनको किश्तवार भुगतान करीब 2 वर्ष बाकी था। मेरे मकान की रजिस्ट्री नहीं हुआ है, किंतु अन्य कर्मचारियों के मकान की रजिस्ट्री हुई है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे स्ट्रीट के अन्य कर्मचारियों के मकान की रजिस्ट्री हुई है या नहीं । इस बात की संभावना है कि हमारे स्ट्रीट के मकान की रजिस्ट्री हुई होती तो मुझे मालूम होता ।

9. जिस मकान में नियोगी जी रहते थे उस मकान की कीमत 4-5 लाख रुपये हो सकता है । एम0आई0जी0-2 टाईप के मकान एम0आई0जी0-1 से बड़े होते हैं, इसलिये उनकी कीमत ज्यादा होगी । कुछ लोगों ने बिना रजिस्ट्री के भी अपना मकान बेचा है । मो0कोया चले गये और उसमें नियोगी जी आ गये, इससे यह दर्शित होता है कि मकान बेचा रहा गया होगा । मुझे नहीं मालूम कि मो0 कोया ने अपने लड़के की सहमति के बिना यह मकान नियोगी जी को बेचा था । मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि लड़का मकान को वापस लेना चाहता था ।

10. एम0आई0जी0-1 टाईप के 2 मकान जुड़े हुये हैं और उनके बीच एक सामान्य दीवार है । हमारे स्ट्रीट के सारे मकान इसी तरह से 2-2 की जोड़ी में सामान्य दीवाल द्वारा जोड़ी हुई है । और सभी में लोग रह रहे हैं ।

11. मैंने रात में 3-45 बजे के बाद जब अपने लड़के को उस आदमी के साथ यूनियन ऑफिस भेज दिया उसके बाद मैंने किसी भी पड़ोसी को नहीं जगाया । मैंने किसी को नियोगी जी की घटना के बारे में भी नहीं बताया । चूंकि नियोगी जी पड़े थे, इसलिये मैं गेट पर खड़ा रहा और मैंने किसी का दरवाजा खटखटाकर यह बात बताना उचित नहीं समझा ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 पल्टन.

13. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा) (टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग. द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
20/10/92

Application received on	20.10.95
2 Applicant told to appear on	30-10 95
3 Applicant appeared on	20-10 95
4 Application (with or without further or correct particulars) sent to record room on	20-10 95
5 Application received from record room with record or without record for further or correct particulars on	20-10 95
6 Applicant given notice for further or correct particulars on	
7 Applicant given notice for further stamps on	
8 Notice in (6) or (7) complied with on	
9 Copy ready on	20-10 95
10 Copy delivered to applicant on	20 10 95
11 Court-Fee realised	

Freecom

[illegible] [illegible]/ यह आवेदन [illegible] की जो कि श्री के. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्रकरण 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 [illegible],
   साकिन- [illegible] आदर्श बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामाश्रय राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7[illegible], रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
   साकिन- 7 बी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 लोलाई मल्लाह,
   साकिन- [illegible] थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0 कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सेंधू आ0 [illegible] सिंह सेंधू,
   साकिन- [illegible]-37, [illegible] कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

61 अभियोजन

19-10-95 78 वर्ष

जकरुद्दीन

श्री बशरुद्दीन ~~[illegible]~~

सदर बाजार, रामपुर. । व्यवसाय।

शपथपूर्वक :-

1. मेरा सदर बाजार, रामपुर में बंदूक व कारतूस की दुकान है। यह दुकान हमारे दादा के समय से करीब 100 सालों से चली आ रही है। मैं इस दुकान में सन् 1936 से बैठ रहा हूँ। हमारे दुकान का नाम बशरुद्दीन पुत्र जहरुद्दीन एंड संस के नाम से है। हमारे व्यवसाय में 3 भागीदार हैं। मेरा बेटा [illegible] भी मेरे व्यवसाय में भागीदार है। मेरे 3 और बेटे हैं, जो भी मेरे व्यवसाय में भागीदार हैं। मुझे बंदूक और कारतूस बेचने का लाइसेंस प्राप्त है। लाइसेंस मेरे नाम पर है। लाइसेंस के जरिये हम लोग राइफल, राइफल कार्टिरिज, रिवाल्वर, .22 बोर एवं कार्टिरिज, गन्स एंड कार्टिरिज बेचते हैं। शार्ट गन सिंगल बैरल और डबल बैरल दोनों की है।

2. लाइसेंस के जरिये हम लोग जो बंदूक और गोलियाँ बेचते हैं उसका ब्यौरा पहले सेल रजिस्टर में करते हैं। रजिस्टर में ब्यौरा दुकान में जो बैठा रहता है वह करता है। लाइसेंस के आधार पर जिसको बंदूक और कारतूस बेचा जाता है रजिस्टर में उसका नाम, उसके पिता के नाम, संबंधित थाना, उसका पता एवं लाइसेंस नंबर सब लिखा जाता है। रजिस्टर में हम लोग खरीददार के हस्ताक्षर भी लेते हैं। इसके बाद हम लोग खरीददार के नाम से कैश मेमो/बिल बनाते हैं। लाइसेंस में पृष्ठांकन कर देते हैं। जो बंदूक या कारतूस बेचा जाता है उसका विवरण पृष्ठांकन के जरिये खरीददार के लाइसेंस में कर दिया जाता है। हम लोग स्टॉक रजिस्टर भी रखते हैं। नया बंदूक और कारतूस प्राप्त होने पर स्टॉक रजिस्टर में जोड़ देते हैं और जो बंदूक और कारतूस बेचते हैं उसको स्टॉक रजिस्टर में घटाते हैं। स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज रोज का रोज करते हैं।

3. प्रदर्श पी-147 का लाइसेंस [illegible] के नाम पी-147 पर है। इस लाइसेंस पर मेरे द्वारा दि० 14-9-91 को पृष्ठांकन किया गया है। इस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पृष्ठांकन के अनुसार मैंने 13 कारतूस बेचा

15

है । प्रदर्श पा-148 हमारे दुकान का सेल रजिस्टर है । इस रजिस्टर में दि० 14-9-91 को मेरे द्वारा इंद्राज किया गया है । लाइसेंस नंबर 2208/1562 मेरे द्वारा इंद्राज किया गया है । यह लाइसेंस सत्यनारायणसिंह का । प्रदर्श पा-147 । है, जिसका नंबर 2208/1562 है । दि० 14-9-91 को किया गया इंद्राज सत्यनारायणसिंह आ० रामनारायणसिंह के नाम पर है । सेल रजिस्टर के अनुसार मि सत्यनारायणसिंह को 13 कारतूस बेचा है । इस सेल रजिस्टर में वीरेन्द्रकुमार ने हस्ताक्षर किया है । वीरेन्द्रकुमार ही कारतूस लेने आया था । वीरेन्द्रकुमार ने हस्ताक्षर मेरे सामने किये थे । प्रदर्श पा-148 के पेज नं०- 29 के अ से अ भाग पर इंद्राज मेरे द्वारा किया गया है । पा-148

4. बिल नं०- 205 मेरे द्वारा बनाया गया है । इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । बिल की मूल कापी खरीददार वीरेन्द्रकुमार को दे दिया गया था । यह बिल की कार्बन कापी है । इस बिल के जरिये 13 कारतूस बेचा गया था । ये कारतूस [illegible] कारतूस थे, जो 289 रुपये में बेचे गये थे । बिल यह प्रदर्श पा-149 है । मेरे हस्ताक्षर इस पर अ से अ भाग पर हैं । पा-149अ

5. दिनांक 14-9-91 को ही दूसरा इंद्राज मेरे द्वारा वीरेन्द्रकुमार के नाम पर पा-148 में किया गया है । इस इंद्राज के द्वारा एक सिंगल बैरल ब्रीचलोडिंग बेचा गया था और 5 कारतूस भी बेचा गया था । लाइसेंस नं०- 46/5/91 के जरिये मि उक्त बंदूक और कारतूस बेचा था । इस बंदूक और कारतूस को वीरेन्द्रकुमार खुद ले गया था । वीरेन्द्रकुमार ने मेरे सामने सेल रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया था । इस रजिस्टर पर ब से ब भाग का इंद्राज मेरे द्वारा किया गया है । बिल नं०- 206 मेरे द्वारा बनाया गया है । इसकी मूल कापी खरीददार वीरेन्द्रकुमार को दी गई है । इस बिल में उसकी कार्बन कापी लगी हुई है, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । यह बिल वीरेन्द्रकुमार के नाम पर काटा गया है । इस बिल के जरिये वीरेन्द्रकुमार को एक सिंगल बैरल गन और 5 कारतूस तथा एक क्लिनिंग रॉड और एक स्लिंग और एक कवर भी बेचा गया है । इस बिल के द्वारा रु० 2601/- रुपये वसूला गया था । पी-149बी
बिल नं०- 205 प्रदर्श पा-149 अ है और बिल नं०- 206 प्रदर्श पा-149बी है । पा-149बी

मैं अलग-अलग शहर देवास, इंदौर, बंबई आदि शहर से माल खरीदता हूं।
प्रदर्श पी-150 के बिल मुझ द्वारा मैंने 23-7-91 को देवास से कार्ट गन पी-150
•4, •12 बोर के, कारतूस 150। खरीदा था। कारतूस खरीदने का मैंने
लिखित आदेश दिया था। कारतूस मेरे पास परिवहन से आया था तथा बिल
डाक से आया था। मैं देवास वाले को कुछ दाम दिया था और कुछ दाम
मैंने देवास वालों से प्राप्त किया था। अंत के बिल का आपस में हिसाब कर
लिया गया था।

6. देवास से माल हमारे यहाँ 12-8-91 को पहुंचा था। स्टॉक
रजिस्टर प्रदर्श पी-151 है, जिसके पृष्ठ पृ0- 56 पर अ से अ भाग पर उक्त
माल का मेरे द्वारा इंद्राज किया गया है। 13-9-91 का इंद्राज मेरे पी-151
द्वारा स्टाक रजिस्टर में किया गया है। उस दिन क्लोजिंग बैलेंस में 57
कार्ट गन 1 बी0बी0एम0एल0 थे। कारतूस 4,963 थे। अन्य और भी बहुत से
आइटम थे।

7. 14-9-91 का इंद्राज मेरे द्वारा स्टाक रजिस्टर में किया
गया है। उस दिन मैंने 65 बी0बी0एम0एल0, 23 कारतूस क्रय किया है। बैलेंस
उस दिन शाम को 36 बी0बी0एम0एल0 और 4,985 कारतूस था। यह इंद्राज ब
से ब भाग पर है।

8. ये सभी दस्तावेज मुझसे सी0बी0आई0 वालों ने जप्त किया था।
इस जप्ती की पावती मुझे दिये थे। साक्षी को प्रदर्श पी-152 का जप्ती-पत्र
दिखाया गया। साक्षी ने कहा कि इस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर पी-152
हैं तथा यह जप्ती-पत्र उसके सामने लिखा गया था। अधिकारी ने उस पर
मुझे दस्तखत करके दिया था। मुझे जप्ती-पत्र की प्रति दी गई थी उसकी मैंने
पावती दी थी, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

9. 3-10-91 का इंद्राज प्रदर्श पी-149 का साक्षी को, जो कि
पेज नं0- 33 पर है दिखाया गया, जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह
इंद्राज उसके द्वारा किया गया है। उक्त इंद्राज शम्भूनारायण त्रिपाठी के
नाम से है। लाईसेंस नं0 डी-178/80 है। इसके द्वारा मैंने 10 कारतूस लिये।
3 कारतूस थे और 7 ब्वाई फायर थे। रजिस्टर पर खरीददार ने मेरे सामने
ही हस्ताक्षर किये थे। इस रजिस्टर पर स से स भाग पर मेरे इंद्राज हैं।

10. बिल नं0- 318 प्रदर्श पी-149 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसके
द्वारा मैंने 10 कारतूस 3 कारतूस और 7 ब्वाई फायर बेचे थे। मैंने 171/- रुपये
25 पैसे लिये थे। बिल की मूल कापी मैंने खरीददार को दिया है।

11. स्टॉक रजिस्टर -प्रदर्श पी-151 के पेज नं०- 58 का इंद्राज दिनांक 2-10-91 मेरे द्वारा किया गया है। उस दिन कारतूस का क्लोजिंग बैलेंस 4332 था। दि० 3-10-91 को पेज 59 का इंद्राज भी मेरे द्वारा किया गया है। उस दिन 38 कारतूस मेरे द्वारा बेचा गया था, जो क्लोजिंग बैलेंस के अनुसार 4294/रहा गया था। इसके अ से अ भाग का इंद्राज मेरे द्वारा किया गया है।

12. मैं वीरेन्द्रकुमार को नहीं पहचानता। रामपुर पुलिस लाईन के श्री ठाकुर को मैं जानता हूं। ठाकुर को लेकर वीरेन्द्रकुमार आया। वीरेन्द्रकुमार ने बोला कि बंदूक वह ठाकुर के पास से लेगा। वीरेन्द्रकुमार और ठाकुर के अलावा उनके साथ एक और आदमी था। उस आदमी को मैं नहीं पहचानता।

13. सी०बी०आई० अधिकारी ने मेरा बयान नोट किया था। उसके बाद मैं भी उस आदमी का नाम पता नहीं पूछा था। दि० 3-10-91 को जयनारायण मेरे यहाँ से कारतूस ले गया था उस समय उसके साथ 3-4 उसके दोस्त भी थे। जयनारायण के साथ जो लोग थे उन्हें भी और मैं जयनारायण को भी नहीं पहचानता। वे लोग मेरे यहाँ 2 मिनट के लिये आये थे।

14. प्रदर्श पी-153 एवं 154 का फोटोग्राफ इस साक्षी को दिखाया गया। उक्त दोनों फोटो के पीछे मेरे अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं और उसके नीचे दिनांक 11-12-91 डाला है। जो आदमी फोटो लेकर आया था उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे लड़के ने मुझे ये दोनों फोटो दिये और बोला कि कोई साहब आये हैं और फोटो के पीछे हस्ताक्षर करने के लिये बोले हैं। मैं प्रदर्श पी-153 एवं 154 के फोटोवाले व्यक्ति को नहीं पहचानता। पी-153, 154

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री मेंदी, अधि० वास्ते अभियुक्तगण राव, श्याम राव.

15. पुलिस ने मेरा बयान दो बार नहीं, बल्कि एक बार लिया था। मेरे पास जो भी बंदूक और कारतूस खरीदने आये थे उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। किसी भी फार्म में मैंने किस मेक के कार्टिज थे यह नहीं लिखा है। त्रिपाठी जी के साथ 4-5 लड़के आये थे, जो दुकान के बाहर खड़े थे। वे लोग पैदल आये थे। त्रिपाठी जी के साथ 4-5 लोग आये थे, जिनमें 2 लोग अंदर आये थे और बाकी लोग बाहर खड़े थे। मैंने यह नहीं बताया था कि त्रिपाठी के साथ 2 लोग आये थे। प्रदर्श डी-21 का मैंने अ से अ उस समय - - - - - से बयान नहीं दिया था। डी-21

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० भानुप्रताप, अजय, अवधेश, चंद्रभान एवं नरेन्द्र.

16. बंदूक लटकाने के बेल्ट को स्लिंग कहते हैं। स्टैण्डर्ड बंदूक में [illegible] के नीचे काम आता है। बंदूक को साफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बंदूक का नाल में जंग भी पकड़ लेता है।

मार्क किया नं.- 203 को ट्रैकर पर नहीं बताया जा सकता कि वह कारतूस किस व्यक्ति को दिया गया है, जब तक कि संबंधित सेल रजिस्टर न देखा जावे। इसी तरह किया नं.- 205 को भी ट्रैकर पर नहीं बताया जा सकता कि कि कारतूस किस व्यक्ति को दिया गया है। मैंने यह भी नहीं लिखा है कि कारतूस किस क्वांटिटी का है, मैंने सिर्फ संख्या लिखी है।

17. 14-9-91 को श्री मि वीरेन्द्रकुमार को गन के साथ 5 कारतूस दिया है। प्रदर्श पी-1499 के अनुसार मैंने 13 कारतूस रखे हैं। मैंने 14-9-91 को 25 कारतूस दिया है।

18. यह बात सही है कि स्टॉक रजिस्टर में भी मैंने कारतूस की क्वांटिटी नहीं लिखा है। ट्रैकर की रसीद इस मामले में पेश किया गया है वह उस मात्रा का है जो मैंने बताया है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अति० [illegible] अधि० [illegible]

19. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अति० [illegible] अभियुक्त [illegible]

20. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, स्वीकार किया गया।
सही होना पाया।   मेरे निर्देश पर टंकित।

(हस्ता०)   (हस्ता०)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.   द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्य प्रतिलिपि
20/10/92
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

1	Application received on	20·10·95
2	Applicant told to [illegible]	30·10 95
3	[illegible]	20·10 95
4	Application [illegible] without [illegible] [illegible]	20-10 95
5	[illegible] the further or correct particulars on	20·10 95
6	Applicant [illegible] for further [illegible] particulars	
7	Applicant [illegible] notice for further [illegible]	
8	[illegible] (7) [illegible]	
9	[illegible]	20 10 95
10	[illegible]	20 10·95
11	[illegible]	Free (cm)

20/10/95

63 अभियोजन

20-10-95 44 साल

एस0पी0 सिंह

सहायक जेलर

श्री एस0पी0 सिंह
उप-जेल, संजारी, बालोद, जिला-दुर्ग.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 92 से उपजेल बालोद में पदस्थ हूं । मैं दि0 20-8-88 से दुर्ग जेल में सहायक जेलर के पद पर पदस्थ था । सहायक जेलर का दायित्व से मेरा ड्यूटी जेल में बंदियों की व्यवस्था, सुरक्षा और पेशियों में भेजना था ।

2. दुर्ग जेल में विचाराधीन बंदी और सजायाफ्ता बंदी भी रहते थे । विचाराधीन बंदियों को अलग बैरक में रखा जाता था । बैरक को सुबह 6.00 बजे खोला जाकर बंदियों को बाहर निकाला जाता था और नित्यक्रिया वगैरह से निपटने के बाद बंदियों को पुनः बैरक में लगभग 8.00 बजे बंद कर दिया जाता था । उसके बाद करीब 10.30 बजे बैरक खोला जाता था और बंदी लोग स्नान वगैरह का काम करते थे, खाना-खाना खिलाने के बाद बंदियों को 12.00 बजे करीब बैरक में पुनः बंद कर दिया जाता था । बंदी लोग करीब 4.00 बजे तक बैरक में रहते थे । बंदियों को करीब 4.00 बजे बाहर निकालकर पुनः शाम का खाना खिलाने के बाद पुनः बंदियों को 6-6.30 बजे बंद कर दिया जाता था । बैरक से दैनिक क्रिया, स्नान या भोजन के लिये बंदियों को जब बाहर निकाला जाता था तो वे आपस में मिल सकते थे ।

3. मैं अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित [illegible] और [illegible] को पहचानता हूं । यह बात सही है कि ये तीनों अभि0 सन् 85 से 88 [illegible] जिला जेल, दुर्ग में विचाराधीन बंदी के रूप में अविरत में अलग-अलग समय में रहे हैं ।

4. न्यायालय से जब किसी व्यक्ति को जेल में दाखिल किया जाता है तो उसका इन्द्राज जेल के रजिस्टर में किया जाता है । किसी व्यक्ति को जेल से जब रिहा किया जाता है या जमानत पर छोड़ा जाता है, उसका भी इन्द्राज जेल के रजिस्टर में किया जाता है । प्रदर्श पी-155 एवं पी-155ए का पत्र डिप्टी जेलर के0पी0 अग्रवाल द्वारा पी-155 155ए [illegible] लिखा है । इस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूं ।

प्रदर्श पी-155ए का विवरण रिकार्ड के आधार पर मैंने तैयार किया है । जेल में जो व्यक्ति बंद रहते हैं उनसे मिलने के लिये आने वाले वकीलों के लिये और उनके परिवार के सदस्यों के लिये अलग-अलग रजिस्टर रखा जाता है ।

5. मैं शंकर गुहा नियोगी को जानता था । सन् 91 के मार्च महीने में शंकर गुहा नियोगी दुर्ग जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद थे । मैं आज अपने साथ जेल से संबंधित सब रिकार्ड लेकर आया हूँ ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकांत एवं पल्टन.

6. हमारे दुर्ग जेल में 8 खंड हैं । अलग-अलग खंडों में बैरकों की संख्या अलग-अलग है । खंड नं०-1 में 5 बैरक, खंड नं०-2 में 3 बैरक, खंड नं०-3 में 5 बैरक, खंड नं०-4 सभागृह, खंड नं०-5 में उद्योग सेक्शन है, खंड नं०-6 में अस्पताल है तथा खंड नं०-7 में सेल है तथा खंड नं०-8 मेनगेट से शुरू होता है । सेल को छोड़कर खंड नं०-1, 2, 3 में कैदी रहते हैं । जब कैदी बैरक में बंद हो तो एक खंड से दूसरे खंड में नहीं जा सकता । यदि एक खंड का कैदी दूसरे खंड में जाना चाहे तो उसे जेलर या सहायक जेलर से अनुमति लेना पड़ती है, किंतु ऐसी अनुमति का कोई रजिस्टर जेल में नहीं रखा जाता । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-155 ए में अभि० अवधेश राय सन् 85 में 23-7 से 24-7 तक मात्र एक दिन ही बंदी रहा है । सन् 91 में अभि० अवधेश राय 26-10 से 29-10-91 तक बंदी रहा है ।

7. यह बात सही है कि हर खंड के कैदियों को उनके ही खंड में खाना पहुंचाया जाता है । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-155 ए को देखने से यह दर्शित नहीं होता कि अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश एवं पल्टन मल्लाह कभी एक खंड में रहे हैं या नहीं । इस बात का कोई मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये तीनों अभि० कभी एक खंड में रहे हों ।

8. न्यायालय में पेशी में लाये जाने पर सामूहिक रूप से बंदी एक ही वाहन में लाये जाते हैं और ले जाये जाते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पल्टन.

9. मैं आज अपने साथ जेल का जो रजिस्टर लाया हूँ उससे यह दर्शित नहीं होता कि कौन सा बंदी किस बैरक या किस खंड में बंद रहा है । यह बात सही है कि प्रतिदिन बंदियों की खंड के अनुसार गिनती की जाती है ।

गवाह नं०:- 63   पेज नं०:- 2

दिनांक 29-1-91 से 27-3-91 के बीच अभियुक्त फत्तन मल्लाह दुर्ग जेल में भा0द0वि0 धारा 457, 380, 379, 394/भा0 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित हवालाती और दि0 7-10-86 से 10-10-86 के बीच यह आरोपी फत्तन धारा 107/116 द0प्र0सं0 के आरोप में बंद था। यह बात सही है कि अभि0 फत्तन मल्लाह दि0 1-3-88 से 10-3-88 तक भा0द0वि0 की धारा 353, 307, 397, 341, 294, 506बी, 323 तथा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट का हवालाती था।

10. सन् 1986 से 1991 के बीच अभि0 फत्तन मल्लाह हत्या के किसी केस में दुर्ग जेल में बंद नहीं था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सेंगर, अधि0 वास्ते अभि0 कुलदीप, नवीन आदि.

11. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अग्रवाल, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत आदि.

12. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया।   मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0आर0)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी0के0आर0)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

[illegible]
कार्या. जिला एवं [illegible]
दुर्ग [illegible]

1	Application received on	20·10·95
2	Applicant told to appear on	30 10 95
3	Applicant appeared on	20. 10 95
4	Application (with or without further or correct particulars) sent to record-room on	20·10 95
5	Application received from record-room with record or without record for further or correct particulars on	O/c 20·10 95
6	Applicant given notice for further or correct particulars on	
7	Applicant given notice for further funds on	
8	Notice in column (6) or (7) complied with on	
9	Copy ready on	20·10 95
10	Copy delivered or sent on	20 10 95
11	Court-Fee realised	

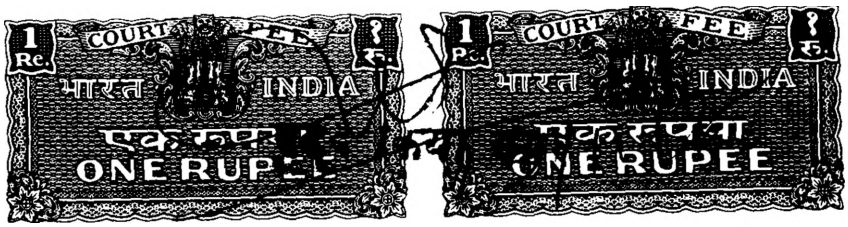

1 Rs. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1 Rs. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

200

Ex. एच०सी०यू०नं० ८४२२/९५ प्रतिलिपि अभियोजन (धारा) १०-६४ से-६९ तक की जो कि श्री ~~जे०के० एस० राजपूत द्वितीय~~ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:—

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शान्ताप्रसाद मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० शिवकुमार सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोनाई मल्लाह,
साकिन- निमडी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र. बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह पिंटू आ० रावेल सिंह पिंटू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Ex copy dt 2-11-95 प्रतिलिपि बहलराम के ब्यान
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय के सत्र क्र.
233/92 में अभिलिखित प्रकार लिया है।

...1-153-71.akhs-8-92 म.प्र. शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह कोठ

II-157
C.T.

4-00

Witness No. 64 for अभियोजन Deposition taken the 30-10-95 day of ... Witness's apparent age 33 वर्ष

States on affirmation my name is बहलराम

son of श्री लखन occupation ड्रायव्हर

address दल्लीराजहरा.

शपथपूर्वक :-

1. मैं दल्लीराजहरा का रहने वाला हूं। वर्तमान समय में मैं दल्लीराजहरा में रह रहा हूं। मैं छ0 माइंस श्रमिक संघ में ड्रायव्हर हूं। मैं जीप चलाता हूं। मैं पिछले 5-6 सालों से छ0 माइंस श्रमिक संघ में ड्रायव्हर हूं। मेरे पिताजी पहले खदान में काम करते थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरी मां भी खदान में काम करती थी और वह भी सेवानिवृत्त हो चुकी है। हम लोग 5 भाई हैं। सभी लोग दल्लीराजहरा में रहते हैं। मैं मां-बाप के साथ में रहता हूं।

2. मैं शंकर गुहा नियोगी को पहचानता था। नियोगी जी ने दल्लीराजहरा में जो संगठन बनाया था उसमें मेरे मां-बाप सदस्य थे। और उस समय मैं होटल में काम करता था। मैं जलाऊ लकड़ी लाकर बिक्री किया करता था। लकड़ी बेचने का काम मैं 4-5 साल तक किया।

3. सन् 84 में नियोगी जी का पैर टूट गया था और उन्हें शहीद अस्पताल दल्लीराजहरा में भर्ती किया गया था। उस समय मैं उनकी देखभाल करता था। नियोगी जी जब अच्छे होकर घर चले गये तो उन्होंने मुझे गैरेज में ड्रायव्हरी का काम सीखने के लिये कहा। मैंने सत्तार गैरेज, दल्लीराजहरा में गाड़ी चलाना सीखा। वहां मुझे नियोगी जी ने काम पर लगा दिया था। नियोगी जी ने मेरे गाड़ी चलाने का लायसेंस भी बनवा दिया था। मैं छ0 माइंस श्रमिक संघ का गाड़ी चलाने लगा। मैं 86-87 से जीप चलाने लगा। जीप का नंबर 7978 था। 7971। अभी भी मैं इसी जीप को चला रहा हूं। उस समय नियोगी जी दल्लीराजहरा में रहते थे। संगठन का काम वे दल्लीराजहरा से ही करते थे।

4. नियोगी जी सन् 90 में भिलाई में संगठन बनाये। नियोगी जी ने भिलाई में हुडको में ऑफिस लगाया था। नियोगी जी शुरू में हुडको के ऑफिस में रहते थे और दल्लीराजहरा से आना-जाना करते थे। कुछ दिनों बाद नियोगी जी ने हुडको में

2-11-95

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

55 नंबर का क्वार्टर लेकर रहने लगे । हुडको में संगठन का जो कार्यालय था वह क्वार्टर नं0-273 था । क्वार्टर नं0-55से क्वार्टर नंबर 273 की दूरी करीब 1-डेढ़ किलोमीटर होनी चाहिये ।

5. नियोगी जी की एक पत्नी और 3 बच्चे हैं । नियोगी जी की पत्नी का नाम आशाबाई है । लड़की क्रांति, मुक्ति और लड़का जीत हैं । मैं दल्लीराजहरा से भिलाई संगठन के आदमियों को लाने-ले जाने का काम किया करता था ।

6. सन् 91 में मैं दल्लीराजहरा रहता था और संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर भिलाई जाना-आना करता था । नियोगी जी की हत्या दिनांक 28-9-91 को हुई थी । नियोगी जी की हत्या के करीब 4 दिन पहले मैं दल्लीराजहरा से भिलाई आया था उस दिन 24 तारीख थी । मेरे जीप में भिलाई के कुछ कार्यकर्ता और अनूप जी थे । अनूप जी भी संगठन के कार्यकर्ता थे । हम लोग उस दिन शाम को करीब 4-5.00 बजे हुडको में संगठन के ऑफिस में आये थे और बसंत से मिले थे । रात में नियोगी जी और उनके साथ बढ़ई अंजोरी और बाबूलाल पटेल बिजली वाला तथा दो हेल्पर आये और ऑफिस में खाना खाकर मैं और नियोगी जी क्वार्टर नं0-55 में आ गये । रात में हम लोग क्वार्टर नं0-55 में सो गये ।

7. 25 तारीख की सुबह बसंत और घोषाल दादा (नीलरतन घोषाल) 8.00 बजे करीब आये । वे लोग कोई कागज लिये हुये थे । फिर ये लोग नियोगी जी के साथ चले गये । उसके बाद मैं भी ऑफिस गया और अंजोरी ~~और~~ बढ़ई वगैरह को लेकर फिर घर आया और वहां काम करवाया । बढ़ई ने दरवाजा, खिड़की के मरम्मत का काम किया । मैं शाम को बाबूलाल (बढ़ई) अंजोरी राम और दो हेल्पर को बस स्टैंड, दुर्ग में छोड़ दिया । पुनः मैं ऑफिस आ गया । ऑफिस में नियोगी जी को काम के बारे में बताया । शाम को करीब 7-8.00 बजे मैं और नियोगी जी घर आ गये और सो गये ।

8. 26 तारीख की सुबह मैं दूध लेकर आया और नियोगी जी को चाय बना दिया । थोड़ी देर बाद घोषाल दादा और बसंत आये और वे लोग चले गये । मैं भी थोड़ी देर बाद ऑफिस गया और नियोगी जी को बताया कि जीप में मरम्मत करवाना है । मैं जीप बनवाने के लिये पावर हाउस भिलाई ले गया । 3/

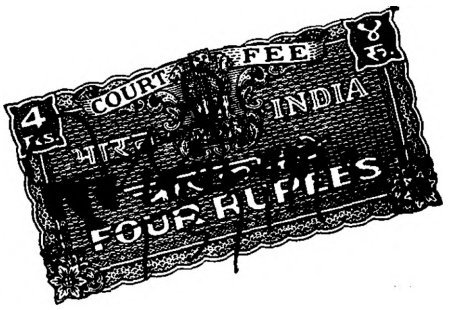

COURT FEE INDIA FOUR RUPEES

गवाह नं0- 64 पेज नं0- 2

वहां के मिस्त्री ने बताया कि 1500-1600/- रूपये खर्चा आयेगा तो मैं जीप को मालवा होटल के बाजू, दुर्ग में स्थित गैरेज में लाकर मरम्मत करवाया। मैं अपने साथ के एक लड़के को मिस्त्री का स्कूटर लेकर नियोगी जी के पास पैसे हेतु भेजा। वह लड़का पैसा लेकर आया, फिर भी गाड़ी का काम नहीं हुआ। जीप को मिस्त्री के पास ही छोड़कर मैं और वह लड़का वापस चले गये। ऑफिस में नियोगी जी को जीप के बारे में बताकर वहां से मैं, नियोगी जी और घोषाल दादा रात में करीब 9.00 बजे क्वार्टर नं0-55 में आ गये। मैं सो गया और वे लोग बात कर रहे थे। नियोगी जी जिस कमरे में सोते थे वहां वे लोग बात कर रहे थे। सुबह जब मैं उठा तो नियोगी जी और घोषाल दादा थे। सबेरे चाय-नाश्ते के समय बसंत आया और बोला कि कोई मिलने के लिये ऑफिस में आया है। फिर तीनों वहां से चले गये। आधे घंटे बाद मैं भी ऑफिस गया और नियोगी जी से कहा कि कार से मुझे गैरेज छोड़वा दो तो उन्होंने कहा कि सरकार बाबू इसको गैरेज छोड़ दो। नियोगी जी की कार जो व्यक्ति चलाता था उसे हम लोग सरकार बाबू कहते थे। वह कार फियट कार थी।

9. मिस्त्री ने कहा कि जीप के टापा का भी काम करवाना है तो मैंने दोपहर करीब 12.00 बजे नियोगी जी पैसे के लिये फोन किया तो उन्होंने कहा कि आकर पैसा ले जाओ तो मैंने लड़के को टैम्पो से पैसा लेने के लिये भेजा। थोड़ी देर बाद कार आकर बोला कि तुमको बुला रहे हैं तो मैं कार में बैठकर ऑफिस चला गया। नियोगी जी ने बसंत से मुझे 400/- रूपये दिलवाया और मैं लौटकर मिस्त्री के गैरेज आ गया। आने के बाद टापा वगैरह का काम कराकर मैं शाम को मिस्त्री और गाड़ी को लेकर ऑफिस आया। नियोगी जी ने खुद जीप को चलाकर देखा और कहा कि ठीक है। फिर जीप को लाकर मैंने चक्के का काम करवाया। जीप करीब शाम को 7.00 बजे तक बन गई और मैं जीप लेकर पुनः ऑफिस चला आया। उस समय 7.30 बजे थे। उस समय नियोगी जी वहां नहीं मिले। मैंने बसंत से पूछा कि नियोगी जी कहां है तो उसने कहा कि नियोगी जी नहीं हैं और घर की चाबी दिये हैं और खाना बनाने के लिये बोले हैं। मैं और दल्लीराजहरा के दो लड़के सायकल से क्वार्टर नं0-55 में आये। दोनों लड़को ने कपड़ा रख दिये और अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं कहकर चले गये। जाते-जाते समय मैं सब्जी, चावल भी खरीदा।

फिर मैं खाना बनाया । रात के करीब 9.00 बजे अनूप जी आये और उन्होंने खाना मांगा तो मैंने कहा कि दो व्यक्तियों का खाना बनाया हूं चलो तीनों खा लेंगे । मैं और अनूप जी खाना खाये उस समय तक 11-11.30 बज गया । अनूप जी से0-2 घर जा रहा हूं कहकर चले गये । उन्होंने निकलते-निकलते कहा कि मैं सुबह नहीं आऊंगा बाबू । नियोगी जी। पूछे तो कह देना कि सिम्पलेक्स फैक्टरी में जो हड़ताल चल रही है वहां जाऊंगा । अनूप जी 11-11.30 बजे चलेगये और मैं क्वार्टर में ही सो गया ।

10. रात के करीब 1-1.30 बजे नियोगी जी आये । नियोगी जी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं दरवाजा खोला । नियोगी जी अंदर आये और ड्रायव्हर सरकार बाबू भी आया । नियोगी जी ने मुझसे पूछा कि खाना खाये या नहीं तो मैंने कहा कि हां खा लिया हूं और उनसे खाना खाने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि वे खाना खाकर आ रहे हैं और खाना नहीं खायेंगे । उन्होंने मुझे सोने के लिये बोला । नियोगी जी ने सरकार बाबू से कहा कि ऑफिस में जाकर सो जाओ और कहीं से फोन आता है तो आकर बताना । सरकार बाबू कार से चले गये । नियोगी जी अंदर तरफ चले गये वे जहां सोते थे और मैं बरामदे में सो गया ।

11. रात के एक-डेढ़ घंटे बाद फटाका फूटने जैसा आवाज सुनाई दिया । इस आवाज से मेरी नींद खुल गई । नियोगी जी मा गो कहकर चिल्लाये, फिर मैं दौड़कर नियोगी जी के कमरे में गया । नियोगी जी हिलडुल रहे थे, उनके कमरे की लाईट जल रही थी, पंखा चल रहा था और मच्छरदानी भी लगा हुआ था । मैं घबड़ा गया और निकलकर सामने वाले घर में गया । मैं सामने वाले घर के लोहे के दरवाजे को पकड़कर हिलाया तो वहां का बुड्ढा बोला कि क्या है तो मैंने कहा कि मेरे दादा कैसे कर रहे हैं उन्हें चलकर देखो तो बुड्ढा और उसका लड़का और मैं तीनों वहां पर आये । क्वार्टर में आये तो बारूद की थोड़ी-थोड़ी बदबू आ रही थी । नियोगी जी करवट लिये । मच्छरदानी उठाकर देखे तो उनके पीठ में खून लगा हुआ था । वृद्ध आदमी ने पूछा कि कोई आवाज सुनाई दी क्या तो मैंने बताया कि एक फटाके की आवाज सुनाई दिया था । वृद्ध आदमी ने कहा कि नियोगी जी को से0-9 अस्पताल ले जाना है, क्योंकि किसी ने गोली मार दिया है । मैं वृद्ध व्यक्ति के लड़के साथ स्कूटर में ऑफिस गया । ऑफिस से बसंत, सरकार दादा और यादव वगैरह निकले जिन्हें लेकर मैं क्वार्टर आया और बताया कि नियोगी जी को गोली मार दिया है। मैं सरकार बाबू की कार से क्वार्टर में आया,

30/7/95

५-१०

गवाह नं0-64 पेज नं0-3

नियोगी जी को हम लोग कार के पीछे सीट में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, बीच में एक एम्बुलेंस आया, जिसमें यादव जी ने नियोगी जी को बिठाकर अस्पताल ले गया । मैं कार से सेo-2 चला गया अनूप जी के पास । मैं अनूप जी को बताया और फिर अनूप जी के साथ मैं घोषाल दादा के घर गया । उन लोगों को मैं सेo-9 अस्पताल लाया । घोषाल दादा और अनूप जी अस्पताल के अंदर चले गये और मैं गाड़ी को पार्किंग करने लगा । मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया । मैं क्वार्टर नं0-55 में पुनः आ गया । मुझे नियोगी जी की हालत के बारे में उस वक्त कुछ पता नहीं चला था । सुबह करीब 5-5.30 को क्वार्टर में पता चला कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है ।

12. क्वार्टर नं0-55 में सामने गेट है उसके बाद सामने परछी है उसके बाद अंदर की तरफ दो कमरे हैं । साइड से लगा हुआ एक कीचन है । पीछे सामने जो दरवाजा है उससे बरामदे में आने का जो दरवाजा है उसके बीच करीब दो-ढाई हाथ का फासला है । नियोगी जी जिस कमरे में सोते थे उसमें एक दरवाजा और

दो खिड़कियां हैं । खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी । मैं जब फटाके की आवाज सुनकर नियोगी जी के कमरे में गया था उस समय खिड़कियां खुली थी । नियोगी जी की आवाज सुनने के बाद जब मैं सामने वाले क्वार्टर में गया था उस समय दरवाजा ।सामने का । बंद था । वह दरवाजा लोहे का है । मैं बरामदे में जमीन में सोया करता था और नियोगी जी कमरे में खाट पर सोया करते थे । खाट में गद्दा रहता था और उसके ऊपर चादर रहता था । गद्दा और चद्दर में खून लगा हुआ था । नियोगी जी सिर्फ चाय पीते थे और उन्हें और कोई नशे की आदत नहीं थी ।

13. सुबह पुलिस वाले क्वार्टर में आये तो मैंने रिपोर्ट लिखवाया । मैंने बोला था और पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखा था । रिपोर्ट पर मैंने हस्ताक्षर किया है । प्रदर्श पी-156 ।156। वह रिपोर्ट है, जिस पर अ से अ भाग पर मेरे पी-156
हस्ताक्षर हैं । इस पर ब से ब भाग पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं । साक्षी को प्रदर्श पी-156 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई । उसने यह रिपोर्ट करना स्वीकार किया ।

14. नियोगी जी के कमरे की गद्दे, चद्दर, बिस्तर, मच्छरदानी पुलिस ने जप्त किया । जप्ती पत्र प्रदर्श पी-157 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे पी-157
हस्ताक्षर हैं । खेमूराम ने भी ब से ब भाग पर मेरे सामने इस पर हस्ताक्षर किया है । पुलिस ने जो नक्शा बनाया था वह प्रदर्श पी-158 है, जिसके अ से अ भाग पी-158
पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

30/7/93

सत्य प्रतिलिपि ... न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

15. आर्टिकल डी वही मच्छरदानी है, जो घटना के समय नियोगी जी के बिस्तर में लगा था और जिसमें छेद हो गया था । मच्छरदानी से बारूद आर्टि0-डी की गंध आ रही थी ।

16. इस घटना के करीब एक महीने पहले नियोगी जी दिल्ली गये थे । वे करीब 15-20 दिन दिल्ली में रहने के बाद वापस आये थे । नियोगी जी दिल्ली से राजहरा आये थे और उनसे मेरी कोई बात नहीं हो पाई । दिल्ली जाने के 2-3 दिन पहले क्वार्टर नं0-55 में खाना खाते समय मेरी नियोगी जी से बातचीत हुई थी । मुझसे नियोगी जी ने कहा कि यदि केडिया या सिम्पलेक्स के गुंडों व्दारा मेरी हत्या करवा दी गई तो तुम क्या कर लोगे । मैंने कहा कि इन सब चीजों की खबर कहां से मिली और क्यों बोल रहे हो । तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है ।

नोट :- उभय पक्षों की सहमति से साक्षी को आर्टिकल्स प्रति-परीक्षण के बाद पुनः परीक्षण के रूप में दिखाया जा सकेगा ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

17. नियोगी जी ने जब मुझसे यह कहा कि केडिया या सिम्पलेक्स के गुंडे उन्हें मार देंगे तो मैंने कुछ नहीं कहा । मैंने सिर्फ यह बोला कि यह सब बातें आप क्यों सोचते हैं और ये खबर आपको कहां से मिलती है । मुझे यह यकीन कैसे हो सकता था कि नियोगी जी मरवाये जा सकते हैं । मैं मुक्ति मोर्चा में लीडर नहीं था, सिर्फ ड्रायव्हर था । नियोगी जी या उनके परिवार से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है । मैं नियोगी जी के साथ रहता था और उनके लिये खाना वगैरह बना लेता था, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझसे यह बात कही ।

18. पुलिस सुबह करीब 5-5.30 बजे क्वार्टर नं0-55 में आ गई थी । पुलिस ने मकान के आसपास यह घूमकर नहीं देखा कि किसी के पैर के निशान तो नहीं हैं । मुझे आज याद नहीं है कि पुलिस ने कमरे से खिड़की के बाहर देखा या नहीं । करीब 10-11.00 बजे पुलिस ने जप्ती किया था । पुलिस वाले कमरे में बाद में गये थे, उन्होंने कमरा बंद नहीं किया था । पुलिस वाले जब 5-5.30 बजे आये थे तो मकान में मैं अकेला था । सुबह 5.30 से 10.30 बजे तक पुलिस मकान में ही रही । जिस समय नियोगी जी को कमरे से

20/x/95

4 Rs. COURT FEE ४ रु. भारत INDIA FOUR RUPEES

4-00

निकालकर अस्पताल ले जाया गया और 10.30 बजे तक जप्ती की गई उस दौरान नियोगी जी के कमरे में कोई गया कि नहीं गया यह मैं नहीं बता सकता। पुलिस वाले कमरे से नियोगी जी के बिस्तर वगैरह निकालकर बरामदे में लाये और मुझे बताये कि इसे जप्त कर ले जा रहे हैं। मैं जप्ती के समय नियोगी जी के कमरे में नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि कारतूस के वेदस पुलिस ने बिस्तर से उठाया या किसी अन्य जगह से लाया। जिस समय पुलिस ने नियोगी जी के कमरे से सामान निकालकर लाये तो उसमें कोई किताब था या नहीं मैं यह नहीं जानता। साक्षी स्वतः कहता है कि नियोगी जी के बिस्तर में किताब रखा था। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने सामानों के साथ कोई अधजला सिगरेटों के टुकड़े निकाले थे या नहीं। यह कहना गलत है कि मुझे यह बात आज सिखाया गया है कि मैं यह बयान दूं कि नियोगी जी के बिस्तर में किताब था। पुलिस वाले माचिस कहां से लाये थे यह मैं नहीं देखा। मैंने माचिस को खाट में पड़ा हुआ देखा था। मैंने यह नहीं देखा कि पुलिस वाले सिगरेट का पैकेट, जिसमें 4 सिगरेट था कहां से लाया था। साक्षी स्वतः कहता है कि सिगरेट का पैकेद और अमृतांजन बिस्तर में मैंने पहले देखा था। ये दोनों चीजें सिरहाने के बाजू में रखी थी। नियोगी जी अमृतांजन रोज नहीं रखते थे, बल्कि कभी सरदर्द होने से रख लिया करते थे। सामान्यतः अमृतांजन की शीशी खिड़की पर रखी रहती थी।

19. जब मैंने आवाज सुना तो मैं यह नहीं समझ पाया था कि यह फटाके की आवाज है या गोली की आवाज है। क्वार्टर नं0-58 में सामने जो लोहे का फाटक है वह कमरे के बराबर है। उस फाटक को कूदकर पार किया जा सकता है। मैं जहां सोया था वहां से चलकर उस खिड़की तक पहुंचा जा सकता है, जहां से गोली चलना कहा गया है। सामने वाले फाटक से भी पैदल चलकर उस खिड़की तक आ सकते हैं, जहां से गोली चलना कहा गया है।

20. यह बात सही है कि घटना दिनांक के पहले नियोगी जी जब कमरे में सोते थे तो बत्ती बंद कर देते थे और खिड़की भी बंद कर देते थे। अब साक्षी कहता है कि मैं उस कमरे में नहीं सोता था इसलिये नहीं बता सकता कि वे बंद करते थे या नहीं। चूंकि नियोगी जी दरवाजा बंद कर लेते थे, इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि उनके कमरे में लाईट जलती रहती थी या बंद रहती थी।

प्रति...
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

यह बात सही है कि पुलिस ने मेरा पहला बयान 1-10-91 को लिया था। अब साक्षी कहता है कि घटना दिनांक के पहले नियोगी जी कमरे का लाईट और खिड़की बंद करके सोते थे। मैंने यह बात पुलिस को सच बताया था कि नियोगी जी घर में जब सोते थे तो कमरे की खिड़की औरलाईट बंद करके सोते थे।

22. सुबह जब धमाका हुआ और मैं नियोगी जी कमरेमें गया तो उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वह दरवाजा सटा हुआ भी नहीं था।

प्रश्न:- जहां तुम सोये थे वहां से नियोगी जी के कमरे वाला दरवाजा कितना दूर होगा ?

उत्तर :- मैं जहां सोया था उसके बाद एक कमरा है उसके बाद नियोगी जी के सोने वाला कमरा था, उसकी दूरी कितनी होगी यह मैं नहीं बता सकता।

23. यह बात सही है कि उस रात वहां मेरे और नियोगी जी के अलावा कोई नहीं था। मैं जब धमाका होने के बाद नियोगी जी के कमरे में गया तो देखा कि लाईट भी जल रही थी और खिड़की भी खुली थी। मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी का केडिया या सिम्पलेक्स से क्या झगड़ा था। मैं तो एक ड्रायव्हर हूं, मुझे इन सब बातों से क्या वास्ता।

24. मैंने फटाके की आवाज के साथ ही नियोगी जी के व्दारा मा गो चिल्लाये जाने की आवाज भी सुनी थी। साक्षी कहता है कि उसने इस बात को 3 बार बता चुका है। ऐसा नहीं है कि नियोगी जी दौड़ो-दौड़ो चिल्लाये थे।

25. बढ़ई और बिजली वाला 24 तारीख को आये थे। बढ़ई ने मेरे सामने खिड़की का नाप लिया। बढ़ई ने लोहे का जाली लगाना है कहकर नाप लिया था। बढ़ई ने कहा था कि लोहे की जाली वह राजहरा से बनवाकर लायेगा और 3-4 दिन में फीट कर देगा।

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया शेषप्रति-परीक्षण हेतु चायकाल पश्चात रखा जाता है।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। 30/1/2

(टी0के0झा)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

गवाह नं0- 64 पेज नं0:- 5

नोट :- चायकाल पश्चात साक्षी का प्रति-परीक्षण पुनः प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

26. मुझे जब कभी रूपये-पैसे आवश्यकता होती थी तो मैं नियोगी जी से मांगता था । 24 तारीख को झारखंड का एक आदमी आया था, जिसकेसाथ मैं मिला था । वह आदमी 24 तारीख के पहले भी आया-जाया करता था । वह संगठन का आदमी था । वह झारखंड संगठन का आदमीथा । मुझे नहीं मालूम कि झारखंड कहां है । मुझे नहीं मालूम कि झारखंड संगठन भी छ0मु0मोर्चा का एक अंग था । उस आदमी का नाम मैं नहीं जानता । मैं नहीं जानता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वह व्यक्ति कोई पदाधिकारीथा या नहीं । मैं यह भी नहीं जानता कि वह झारखंड के किस गांव का रहने वाला था । वह 2 रोज तक मेरे साथ था । वह मेरे घर आना-जाना नहीं करता था । मैंने 2 दिनों के के दौरान उससे उसका नाम नहीं पूछा । मैंने उसे 26 तारीख तक देखा । 26 तारीख के बाद वह कहां चला गया मुझे नहीं मालूम । मैंने उस व्यक्ति को 27 तारीख तक देखा था, उसके बाद वह कहां गया मुझे नहीं मालूम । 27 तारीख को 12-1.00 बजे तक मैंने उसे देखा था । वह व्यक्ति गाड़ी बनवाने के लिये भी मेरे साथ गया था । मैंने किसी व्यक्ति से यह नहीं पूछा कि यह कौन है और कहां चला गया । मैंने उस व्यक्ति से यह भी नहीं पूछा कि तुम क्यों आये हो । उसने भी नहीं बताया कि वह क्यों आया है । मैं नहीं कह सकता कि वह व्यक्ति 27 तारीख को चला गया या रूका हुआ था । यह बात सही है कि 27 तारीख को रात में ही नियोगी जी को गोली लगी थी । 28 तारीख को उस व्यक्ति को मैंने नहीं देखा था ।

27. 27 तारीख को नियोगी जी शाम के 5.00 बजे तक अपने हुडको के ऑफिस में थे । नियोगी जी ने मुझे रायपुर जा रहा हूं कहकर नहीं बताया था । नियोगी जी ने मुझसे यह नहीं कहा था कि वे रात में आयेंगे और खाना तैयार करके रखना । बसंत के साथ 2 आदमी और थे । बसंत राजनांदगांव का रहने वाला है । उसके साथ का एक लड़का दल्लीराजहरा में गैरेज मेंकाम करता था, जो मेरे परिचय का था, दूसरे लड़के को मैं नहीं जानता । नियोगी जी ने बच्चों के लिये जो कपड़े खरीदे थे उसको ऑफिस से घर में लाकर उन लोगों ने छोड़ा था ।

28. रात को जब अनूपसिंह जी खाना खाकर चले गये तो उस समय नियोगी जी के कमरे का खिड़की-दरवाजा बंदथा । बसंत के कहने से मुझे यह मालूम था कि

कार्या. जिला एवं ...
दुर्ग (म.प्र.)

रात में नियोगी जी लौटकर वापस आयेंगे । रात में अनूपसिंह ने यह नहीं पूछा था कि नियोगी जी लौटेंगे या नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि वह भी खाना खायेगा । अनूप जी कभी ऑफिस में खाते थे और कभी घर में आकर खाते थे । अनूपसिंह लूना में आना-जाना करते थे । मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी रात में अपने कमरे में जाने के बाद लाईट जलाये थे या नहीं । नियोगी जी दरवाजे के अंदर घुस गये और मैं लेट गया । मैं जहां लेटा था वहां से मुझे यह नहीं दिख रहा था कि नियोगी जी के कमरे में लाईट जली या नहीं । मैं जब फटाके की आवाज सुनकर नियोगी जी के कमरे में गया तो देखा कि खिड़की खुलीथी और उसका पर्दा गिरा हुआ था । मैंने खिड़की से झांककर नहीं देखा । जब मैं अंदर गया तो मुझे नहीं मालूम था कि नियोगी जी को गोली मार दी गई है । मैंने मच्छरदानी के नज़दीक जाकर नियोगी जी को देखा था । मैंने मच्छरदानी खोलकर नहीं देखा था कि क्या हो गया है । उस समय मुझे नियोगी जी का खून नहीं दिखा था । उस समय मुझे मालूम नहीं हुआ कि नियोगी जी क्यों हिल-डुल रहे हैं । मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि नियोगी जी को कोई चोट लगी है । मैं नियोगी जी को बाबू-बाबू बोला, किंतु वह कुछ नहीं बोला, जिससे मैं घबरा गया । चूंकि मैं घबरा गया था, इसलिये मच्छरदानी खोलकर नहीं देखा था । इसके अलावा मच्छरदानी नहीं खोलने का कोई और कारण नहीं है । मैं नहीं समझ सका कि नियोगी जी क्यों हिलडुल रहे थे । यह बात सही है कि डरावना सपना देखने के बाद आदमी चिल्लाने लगता है । मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया कि नियोगी जी ने कोई सपना देखा है, ताकि मैं उन्हें जगा लूं ।

29. पुलिस वाले जब सुबह आये थे तो मेरे सामने कमरे का फोटो वगैरह नहीं लियेथे । अनूपसिंह को बताने कार से गया था । यह बात सही है कि घोषाल दादा हमारे संगठन के प्रमुख लीडर हैं ।

30. मैंने राजेन्द्र स्याल को आते-जाते देखा है । चूंकि उस संगठन में आते थे, इसलिये मैं सोचता था कि हमारे ही संगठन का आदमी है । वे क्वार्टर नं0-55 में भी आना-जाना करते थे । राजेन्द्र स्याल के आने से नियोगी जी के कहने पर मैं चाय वगैरह भी नियोगी जी के कमरे में पिलाता था ।

31. 28 तारीख की सुबह जब पुलिस आई थी तो नियोगी जी के चप्पल भी जप्त हुये थे । नियोगी जी जहां पर सोते थे उसके साईड में नीचे यह चप्पल पड़ीथी । जब मैं नियोगी जी को गाड़ी में ले जाने के लिये गया था तो कमरे में चप्पल देखा था । मेरा बयान पहले भिलाई के थानेदार ने 1-10-91 को लिया था ।

पेज नं0- 6 गवाह नं0:- 64

32. मुझे नहीं पता कि नियोगी जी उस रात सोये थे तो खिड़की और लाईट बंद करके सोये थे । ऐसी बात नहीं है कि मैं रात में चुपचाप नियोगी जी के कमरे में गया और लाईट जला दिया और खिड़की खोल दिया । ऐसी बात नहीं है कि मुझे यह मालूम था कि नियोगी जी को गोली मार दी गई है, इसलिये मैंने मच्छरदानी उठाकर नहीं देखा । ऐसी बात नहीं है कि हमारे संगठन में ही दो पार्टी थी एक छत्तीसगढ़ वालों की और दूसरी बंगाल वालों ~~की थी । ऐसी बात नहीं है कि इसी~~ वजह से नियोगी जी को गोली मार दी गई । नियोगी जी के घर में आलमारी नहीं थी वे जो भी पैसा रखते थे वे जेब में ही रखते थे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

33. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

34. घोषाल दादा का पूरा नाम नीलरतन घोषाल है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम । मैं उन्हें घोषाल दादा के नाम से जानता था । यह बात सही है कि जब से मैं भिलाई में आया हूं तब से घोषाल दादा को जान रहा हूं । सन् 90 के पहले मैं घोषाल दादा को नहीं जानता था । राजेन्द्र श्याल को मैं दल्लीराजहरा से ही जानता हूं, क्योंकि वह आना-जाना किया करते थे ।

35. अनूपसिंह ने रात के 11-11.30 बजे वापस जाते समय यह कहा था कि यदि नियोगी जी पूछेंगे तो बता देना कि वह नहीं आयेंगे क्योंकि वे हड़ताल की जगह पर जायेंगे । मैंने नियोगी जी के लौटने के बाद यह बात उन्हें नहीं बताई थी । नियोगी जी ने मुझसे अनूपसिंह के बारे में नहीं पूछा इसलिये मैंने यह बात उन्हें नहीं बताई । अनूपसिंह ने यह नहीं कहा था कि नियोगी जी को बता देना कि वह सबेरे नहीं आयेगा, क्योंकि वह जहां हड़ताल चल रही है वहां जायेगा । अनूपसिंह ने यह कहा था कि नियोगी जी के पूछने पर यह बात बता देना । मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि अनूपसिंह ने यह कहा था कि नियोगी जी के पूछने पर ही यह बताना कि सबेरे वह नहीं आयेगा, क्योंकि जहां हड़ताल चल रही है वह वहां जायेगा, यदि यह बात प्रदर्श डी-22 में नहीं लिखी है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । डी-22

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

36. नियोगी जी के कमरे में जाने के एक-डेढ़ घंटे बाद जो फटाके जैसी आवाज मैंने सुना था वह वैसी आवाज थी जैसा दीवाली के समय फटाके की होती है । जब मैं फटाके की आवाज सुनने के बाद नियोगी जी के कमरे में गया तो नियोगी जी की खाट खिड़की तरफ वाले दीवाल से सटी हुई थी । मैंने उस कमरे में जाने के बाद खाट से करीब एक हाथ दूरी से नियोगी जी को देखा था । मैं नियोगी जी को बाबू-बाबू बोला, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । ~~खिड़की वाले दीवाल से नियोगी जी~~ के खाट पर नियोगी जी जहां पर सोये थे वहां से खुली खिड़की की दूरी करीब एक हाथ रही होगी । उस कमरे में दो खिड़कियां थी, जिसमें एक खिड़की खुली थी और एक खिड़की बंद थी । खुली हुई खिड़की में कपड़े का परदा था । बंद खिड़की में भी परदा था । खुली वाली खिड़की का परदा एक तरफ से गिर गया था । उस दिन जब सुबह पुलिस आई थी तो खुली हुई खिड़की से परदा जप्त नहीं किया था । मैंने पुलिस से यह नहीं कहा कि खिड़की का परदा क्यों जप्त नहीं कर रहे हो ।

37. लोहे के गेट से खुली हुई खिड़की की दूरी 5-6 हाथ होनी चाहिये । फटाका की आवाज सुनने के पहले मैंने किसी के कुदने की आवाज नहीं सुना था । फटाके के आवाज के बाद मैंने किसी के कुदने की आवाज नहीं सुनी थी । फटाके के आवाज के बाद मैंने भागने के पैर की आहट नहीं सुनी ।

38. जब मैं सामने वाले व्यक्ति को बुलाने गया उस समय सड़क की लाईट जल रही थी । मैं यह नहीं बता सकता कि फटाके की आवाज गेट के अंदर से आई थी या बाहर से ।

39. मुझे मालूम है कि सामान की जप्ती के बाद नियोगी जी की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था । मैं भी चीरघर में आया था । पोस्टमार्टम के समय राजेन्द्र स्याल आया था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

40. 27 तारीख को जब मैं जीप बनवाने के लिये जा रहा था तो ऑफिस में अनूपसिंह नहीं था । यह बात सही है कि ऑफिस में झारखंड मुक्ति मोर्चा का लड़का था । यह कहना गलत है कि 27 तारीख को अनूपसिंह ने झारखंड वाले लड़के से कहा कि यदि वह बोर हो रहा है तो मेरे साथ जीप

30/8/9?

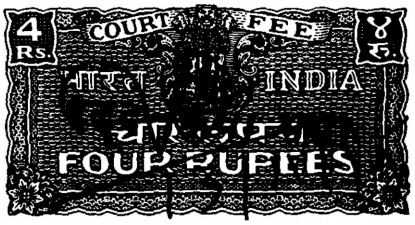

पेज नं0:- 7 गवाह नं0:- 64

बनवाने के लिये चला जाये । अनूपसिंह ने 26 तारीख को उस लड़के को मेरे साथ जीप बनवाने के लिये भेजा था । अनूपसिंह के कहने के बाद ही वह लड़का 26 और 27 तारीख को मेरे साथ था ।

41. रात में जब 9.00 बजे अनूपसिंह आया तब मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि खाना बना लिया है और नियोगी जी आने वाले हैं । यह कहना गलत है कि रात में अनूपसिंह सिर्फ यह पता लगाने आया था कि नियोगी जी आने वाले हैं या नहीं । यह कहना भी गलत है कि मैंने अनूपसिंह को यह बताया था कि रात में नियोगी जी आने वाले हैं । इस घटना के करीब एक-दो महीने बाद सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था । नियोगी जी ने हत्या के एक दिन पहले मुझसे यह नहीं कहा था कि यदि केडिया या सिम्पलेक्स के गुंडे मार देंगे तो मैं क्या करूंगा । यह बात नियोगी जी ने दिल्ली जाने के पहले कहा था । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श डी-23 का अ से अ का बयान (हत्या के पहले एक दिन - - - - नहीं दिया था।) शासन की ओर से यह आपत्ति ली गई कि यह कोई खंडन नहीं है । यह खंडन है या नहीं इसका निराकरण निर्णय के समय किया जायेगा । डी-23

42. मैं किसी कोया को नहीं जानता । यह बात सही है कि नियोगी जी ने क्वार्टर नं0-55 कोया नामक व्यक्ति से खरीदा है । ऑफिस वाला मकान किराये पर था । मैंने फटाके की आवाज कमरे के अंदर सुना था । मैं नहीं समझ पाया कि वह आवाज कमरे के अंदर से आया था या बाहर से आया था ।

नोट :-साक्षी का पुनः परीक्षण स्थगित रखा गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । | मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(टी0के0झा) 30/x/95 | (टी0के0झा) 30/x/95
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) | द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)

43. साक्षी को आज दिनांक 31-10-95 को पुनः शपथ दिलाकर उसका शपथ पर पुनः-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

पुलिस ने 28 तारीख की सुबह क्वार्टर नं0-55 से आर्टि0"इ" का वेदस, "एफ" का माचिस, "जी" का चार्म्स सिगरेट पैकेट, "एच" अमृतांजन की शीशी जप्त किया गया । इन चारों वस्तुओं को पुलिस ने सीलबंद करके उसके उपर मेरे हस्ताक्षर लिये थे । पुलिस ने मच्छरदानी के जले हुये टुकड़े आर्टि0-"आई", दो कॉर्क के टुकड़े आर्टि0-"जे", कागज के गोल टुकड़े "के", "एल" पुट्ठे का छोटा एक गोल टुकड़ा, "एम" तकिया, "एन" चादर, "ओ" गद्दा, "पी" एक हवाई चप्पल जप्त किये थे । आर्टि0 इ से एच आर्टि0 आई से पी

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद, नवीन, चंद्रकांत

44. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

45. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

46. यह बात सही है कि आर्टिकल "इ" पर जलने के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं । फटाके की आवाज सुनकर जब मैं कमरे के अंदर गया था तो आर्टिकल "एन" का चादर और आर्टिकल "ओ" का गद्दा ही खाट पर बिछा था । यही सामानबाद में जप्त हुआ था । आर्टिकल "एन" के चादर पर कहीं कोई छेद का निशान नहीं है यह बात सही है । चादर को न्यायालय में पूर्णतः खोलकर दिखाया गया । आर्टिकल "ओ" के गद्दे पर भी किसी तरह के कोई छेद के निशान नहीं हैं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । | मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर) 31/10/95 | (हस्ताक्षर) 31/10/95
| टी0के0झा | | टी0के0झा |
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग | म0प्र0 | | द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग | म0प्र0 |

सत्यप्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 2/11/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

दिनांक 12.2.96 को प्रतिलिपि आवेदक आर.जी. पाण्डे न्यायालय [illegible] द्वारा [illegible] के न्यायालय में सत्र क्रमांक 233/92 में अभिलिखित बयान [illegible]

म.प्र. शासन विरुद्ध चन्द्रकान्त शाह वगैरह

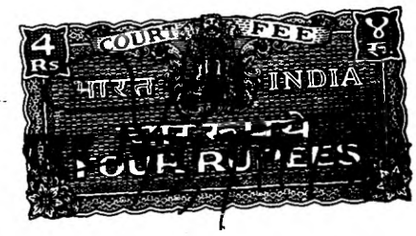

COURT FEE 4 Rs INDIA भारत FOUR RUPEES

GRPI-153-7Lakhs-8-92

H-157 C.T.

Witness No. 65 for अभियोजन Deposition taken the 30-10-95 day of .... Witness's apparent age 39 वर्ष

States on affirmation my name is आर0जी0 पाडे

son of श्री चंद्रभूषणप्रसाद पाडे occupation उप-श्रमायुक्त

address भोपाल, पुराना सचिवालय.

शपथपर्वक :-

1. वर्तमान में मैं उप-श्रमायुक्त के पद पर भोपाल में पदस्थ हूं। 25-6-90 से मैं ~~ठ~~ 29-7-94 तक रायपुर में सहायक श्रमायुक्त के पद पर पदस्थ था। मेरा कर्तव्य विभिन्न श्रमिक कानूनों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, संविदा श्रमिक अधि0, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, स्थाई आदेश अधिनियम आदि का प्रवर्तन कराना था। पंजीकृत श्रमिक संघोंव्दारा जो शिकायत और विवाद लाये जाते हैं उसमें उभय पक्षों को सुनने के बाद समझौता कराना तथा आवश्यक होने पर शिकायतों की जांच कराना तथा उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना होता है। श्रमिक संघों का पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स व्दारा किया जाता है। उसका पंजीयन हमारे कार्यालय में नहीं होता। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के यहां से मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की सूची हमारे यहां आ जाती है। जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करते हैं वहां ठेकेदार को लायसेंस लेना पड़ता है और संस्थान का पंजीयन कराना पड़ता है। ठेकेदार को लायसेंस और संस्थान का पंजीयन हमारे कार्यालय में होता है। संस्थान में हाजिरी, वेतन पंजीऔर एक नियोजन पंजी रखना पड़ता है। श्रमिकों को नियोजन पत्रक तथा वेतन पत्रक देना पड़ता है।

2. यदि श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान का अभियोजन किया जा सकता है। हमारे कार्यालय में छ0श्रमिक संघ, प्रगतिशील इं0श्रमिक संघ एवं प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ का पंजीयन हुआ था। प्रगतिशील इं0श्रमिक संघ का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स व्दारा इंजीनियरिंग उद्योग के लिये किया गया था। सिम्पलेक्स ग्रुप के श्रमिक संघों का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स व्दारा हुआ था, जिसकी सूची हमारे पास थी।

3. प्रगतिशील इं0श्रमिक संघ व्दारा दिनांक 15-10-90 को मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था

30/10/95

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

इसके पूर्व दिनांक 31-8-90 को छ0श्रमिक संघ की ओर से भी मांग-पत्र मिला था। पहले तो सिर्फ मांग-पत्र आया था, किंतु बाद में इन संघों द्वारा जो श्रमिक काम से बाहर किये गये थे उनकी सूची दी गई थी। मांग-पत्र के बाद सिम्पलेक्स कास्टिंग और भिलाई वायर्स में औद्योगिक अशांति हुई, जिसके कारण हमने बैठक बुलाया। इस बैठक में यूनियन के प्रतिनिधि आये। प्रबंधन पक्ष अनुपस्थित रहा। यह मीटिंग 31-10-90 को तथा दूसरी मीटिंग 8-11-90 को तथा तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग क्रमशः 14-11-90 तथा 27-11-90 तथा अंतिम बैठक 10-12-90 को बुलाई गई थी। पांचों बैठकों में यूनियन पक्ष के प्रतिनिधि आते रहे, किंतु प्रबंधन पक्ष अनुपस्थित रहे।

4. चूंकि श्रमिक संघों ने वैधानिक कार्यवाही पूरा नहीं किया था, इसलिये हमने इसे कंसीलेशन के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। चूंकि श्रमिक संघों ने यह शिकायत किये थे कि श्रमिक कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिये हमने निरीक्षण कराये और संस्थानों का अभियोजन कराये।

5. उस समय सिम्पलेक्स ग्रुप के 32 निरीक्षण किये गये, जिसमें 27 प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। सिम्पलेक्स ग्रुप के संविदा श्रमिक अधि0 में 9अभियोजन पेश किये गये तथा 11 निरीक्षण किये गये थे। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई है। भिलाई वायर्स में न्यूनतम वेतन अधि0 के 5 मामलों के निरीक्षण किये गये और 3 मामलों में अभियोग-पत्र पेश किया गया था। छ0डिस्टलरीज संविदा श्रमिक अधि0 में 4 मामलों में निरीक्षण कर 4 अभियोग-पत्र पेश किये गये। बी0ई0सी0 में न्यूनतम वेतन अधि0 में 12 निरीक्षण कर 12 अभियोजन किये गये। जनरल फेब्रिकेटर्स में न्यूनतम वेतन अधि0 में 4 निरीक्षण 4 अभियोजन किये गये। विश्व विशाल में न्यूनतम वेतन में एक निरीक्षण एक अभियोजन पेश तथा संविदा श्रमिक अधि0 में 3 निरीक्षण तथा 3 अभियोजन किये गये। खेतावत केबल्स एवं खेतावत वायर्स में न्यूनतम तथा संविदा दोनों में एक-एक निरीक्षण तथा एक-एक अभियोजन किये गये।

6. मेरे पास सिम्पलेक्स ग्रुप, केडिया ग्रुप, बी0ई0सी0, बी0के0, भिलाई वायर्स के द्वारा जो श्रमिक निकाले गये थे उनकी सूची थी, जो न्यायालय में पेश है।

<u>नोट</u> :- न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है; इसलिये साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।
टी. के. [illegible] 30/4/95
द्वितीय [illegible] न्यायाधीश [illegible]

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया गया
[illegible] सही होना पाया।
टी. के. [illegible] [illegible] DURG (M.P.)

COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA FOUR RUPEES

7. प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 31-10-95 को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

चूंकि मैं उस अवधि में रायपुर में पदस्थ था, इसलिये रिकार्ड के आधार पर मुझे ये सब जानकारियां हैं । यह बात सही है कि संविदा श्रमिक अधि0 के प्रावधानों के अनुसार मजदूरों से कार्य कराना ठेकेदारों के लिये विधिसम्मत है । यह बात सही है कि भारतीय खादय निगम केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, जिसमें भी संविदा श्रमिक अधि0 के आधार पर कार्य कराया जाता है । जो ठेकेदार 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करता है उसे हमारे विभाग से अनुज्ञप्ति दी जाती है । यह सही है कि ठेकेदार के जो मजदूर होते हैं उन्हें ठेकेदार ही नौकरी पर लगाता है और वह ही उन्हें नौकरी से निकालता है । यह सही है कि अनुज्ञप्ति की शर्तें ठेकेदार पर यह बंधन लगाती हैं कि नियमों का पालन करे । यह बात सही है कि प्रबंधन या संस्थान की जिम्मेदारी संविदा श्रमिक अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों से नियंत्रित होती हैं । यह बात सही है कि संस्थान या प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि ठेकेदार नियमों का पालन करे ।

8. छ0श्रमिक संघ पंजीकृत है, किंतु मान्यता प्राप्त नहीं है यह बात सही है । यह बात सही है कि हमें ट्रेड यूनियन की तरफ से नोटिस ऑफ चेंज नहीं मिला था । इसी लिये हमने कंसीलिएशन की व्यवस्था नहीं किया था । यह सही है कि मैंने विवाद होने के कारण श्रमिक संघों की और प्रबंधन की अनौपचारिक मीटिंग बुलाया था । मैंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया था । उस समय मैंने सिम्पलेक्स और भिलाई वायर्स के प्रबंधन की मीटिंग बुलाया था । भिलाई वायर्स से कोई नहीं आया था ।

9. श्रमिक संघों द्वारा जो मांग-पत्र आये थे वे नोटिस ऑफ.चेंज के रूप में नहीं थे । अलग-अलग नियोजकों के लिये अलग-अलग मांग-पत्र दिया था, किंतु मांग-पत्रों में काफी समानता थी । यदि बाकायदा कंसीलिएशन कार्यवाही होती है और वह असफल हो जाती है तो उसकी सूचना हम शासन को देते हैं । इसके अलावा हमारे स्तर पर और कोई कार्यवाही नहीं होती । सिम्पलेक्स और भिलाई वायर्स के प्रतिनिधि नहीं आने के कारण इसकी सूचना मैंने शासन को दिया था । नवम्बर-दिसम्बर 91 में मैंने जो मीटिंग बुलाया उसमें सिम्पलेक्स और दूसरे उदयोगों के प्रतिनिधि भी आते रहे ।

10. नवम्बर-दिसम्बर '91 के पहले कोई मीटिंग नहीं हुई थी । पांच मीटिंग बुलाने के बाद एवं नवम्बर-दिसम्बर 91 की मीटिंग के बीच में मैंने भिलाई क्षेत्र के सभी उद्योगों की एक साथ मीटिंग नहीं बुलाई थी । हम लोग यह प्रयास करते रहे कि प्रबंधक और श्रमिक संघों के बीच कोई समझौता हो जाये । इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारे स्तर पर यही कार्यवाही की जाती है ।

11. यह सही है कि जो अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदार होते हैं उनके जहां-जहां श्रमिक होते हैं वहां-वहां कार्य कराते रहते हैं । यह बात सही है कि ठेकेदार अपने श्रमिकों की नियुक्ति करता है, उन्हें वेतन देता है और उन्हें नौकरी से निकालता है । यह बात सही है कि ठेकेदार की यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने श्रमिकों से जहां चाहे वहां काम ले सकता है । यह बात सही है कि हमारे पास जो मांग-पत्र आया था उसमें कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की और ठेकेदार की मजदूरों से संबंधित थी, लेकिन अधिकांश ठेकेदार मजदूरों के संविदा श्रमिक अधि0 से संबंधित थीं ।

12. यह बात सही है कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने का कोई भी प्रकरण मेरी जानकारी में दर्ज नहीं हुआ था । मुझे जो अनियमितता मिली थी वह वेतन कार्ड न देना, रजिस्टर, नियोजन पत्रक रिकार्ड में न होना, रिटर्न न भेजना, नोटिस बोर्ड बराबर न होना आदि थी । अनियमिततायें थीं, पर यह गंभीर थी या नहीं यह देखना न्यायालय का कार्य है । सामान्यतः इस तरह की अनियमितताओं के लिये अर्थदंड का ही प्रावधान है । यह बात सही है कि सिम्पलेक्स और भिलाई वायर्स दोनों फैक्टरी में न्यूनतम वेतन अधि0 के प्रावधानों के अनुसार वेतन दिया जाता था । चूंकि इस अधि0 का पालन हो रहा था, इससे यह दर्शित होता है कि इससे अधिक वेतन दिया जाता था ।

13. उस समय अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन क्या था यह मुझे आज याद नहीं है । मुझे यह भी याद नहीं है कि अर्द्धकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन क्या था । अर्द्धकुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक से 4/- रूपये दैनिक वेतन अधिक मिलता है । मुझे यह भी याद नहीं है कि उस समय कुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन क्या था ।

14. यह बात सही है कि मैंने सिम्पलेक्स से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका उन्होंने जवाब भेजा था । यह पत्र प्रदर्श डी-24 है, जिसे एस0एन0शर्मा, डी-24
महाप्रबंधक (वाणिज्य) ने लिखा था । उस पत्र में प्रबंधन ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया है ।

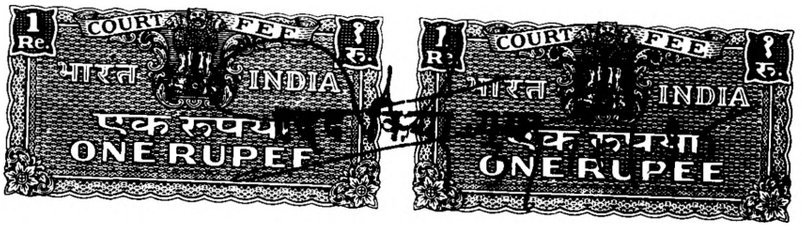

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

गवाह नं0:- 65 पेज नं0:- 3

15. प्रश्न:- सिम्पलेक्स ग्रुप के खिलाफ जितने भी मामले पेश किये गये थे वे सभी ठेकेदारों के विरूद्ध थे ?

उत्तर :- मामले ठेकेदार और सिम्पलेक्स दोनों के विरूद्ध पेश किये गये थे ।

मैं आज अपने साथ उन सभी केसेस की फाइलें नहीं लाया हूं । मैं आज अपने याददाश्त के आधार पर बता रहा हूं कि मामले ठेकेदार और सिम्पलेक्स दोनोंके विरूद्ध पेश किये गयेथे । यह बात सही है कि आज मेरे पास अभियोजन पेश करने का कोई रिकार्ड नहीं है, जिसके आधार पर मैं यह कह सकूं कि प्रबंधक भी उनमें पक्षकार हैं । यह कहना गलत है कि मुझे सिर्फ अभियोजन पेश करना याद है, न्यूनतम वेतन याद नहीं है । यह कहना गलत है कि मुझे सह सिखाकर लाया गया है कि मुझे सिम्पलेक्स के प्रबंधन के खिलाफ बोलना है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभयसिंह, अवधेश, चंद्रकेश एवं बलदेव.

16. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि छ0मु0मोर्चा की राजहरा में 17-18 सहकारी संस्थायें हैं । मुझे यह मालूम है कि राजहरा में लौहअयस्क निकलता है । चूंकि राजहरा क्षेत्र मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं था और मैं वहां गया भी नहीं हूं इसलिये मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लौहअयस्क निकालना और उसे इकट्ठा करना ठेकेदार का काम है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि छ0मु0मोर्चा की सहकारी समितियां ठेके पर लौहअयस्क निकालना, एकत्र करने का कार्य करती है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ठेकेदार मजदूरों से यह कार्य कराते हैं । सिम्पलेक्स के निरीक्षण ज्यादा हुये और अभियोजन भी ज्यादा हुये, किंतु मैं प्रतिशत के आधार पर यह नहीं बता सकता कि यह दूसरे संस्थाओं की तुलना में प्रतिशत के आधार पर कम है या ज्यादा है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

17. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

18. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सत्यप्रतिलिपि
3/11/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on	6-11-95
2 Applicant told to [illegible] on	9-11-95
3 [illegible]	13-11-95
4 [illegible]	6-11-95
5 [illegible]	10-11-95
6 [illegible] for [illegible]	
7 [illegible] for [illegible]	13-11-95
8 [illegible] (7) [illegible]	13-11-95
9 [illegible]	13-11-95
10 [illegible]	15-11-95
11 [illegible] realised	10-00

दुर्ग (म.प्र.)

एस०सी०/०४/०५नं०

प्रतिलिपि - - - - - - - - - - - - - - - - जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. श्याम मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० शिवकुमार सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- शिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- शिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

कि० आवे० 4224/15 प्रतिलिपि आ० मा० कु० नुरुद्दीन, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग सत्र प्र० 233/92 से अभिप्रमाणित प्रकाश निम्न है।

अ० प्र० शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह वगैरे – ५-००

GRPJ-153-7Lakhs-8-92 II-157

C.T.

सत्र प्र०क्र०- 233/92

Witness No. 66 for अभियोजन Deposition taken

the 31-10-95 day of .... Witness's apparent age 40 साल

States on affirmation my name is नुरुद्दीन

son of हाजिर जकरुद्दीन occupation बंदूक की दुकान

address रायपुर

शपथपूर्वक :-

1. सदर बाजार, रायपुर में हम लोगों की आर्म्स की दुकान है, जिसका नाम बदरूद्दीन मुल्ला समसुद्दीन है। दुकान पर मैं और मेरे पिताजी बैठते हैं। प्रदर्श पी-148 के रजिस्टर के दिनांक 14-9-91 पेज नं0- 29 के ए से ए और बी से बी का इंद्राज मेरे पिताजी व्दारा किया गया है। मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। इस इंद्राज के समय मैं दुकान पर ही बैठा था। ये सामान लेने बीरेन्द्रकुमार और उसके साथ एक लड़का और आया था। ये लोक दिन के करीब 12.30 से 1.00 बजे के बीच आये रहे होंगे। उन्होंने (बीरेन्द्र कुमार ने) लायसेंस दिखाया और खरीदने के लिये बंदूक मांगा। इसके बाद बीरेन्द्र कुमार ने कहा कि उसके पहचान का एक आरमोरर है, जिसे वह बुलाकर लाता है। बीरेन्द्रकुमार एक लड़के को हमारी दुकान पर छोड़ दिया और स्वत: मोटरसायकिल पर आरमोरर को बुलाने के लिये चला गया। उसने लायसेंस को हमारे पास छोड़ दिया था। 15-20 मिनट बाद बीरेन्द्रकुमार और आरमोरर आ गये। आरमोरर ठाकुर ने एक बंदूक पसंद किया। आरमोरर ठाकुर को हम इसलिये जानते थे कि उसने पहले हमारी दुकान से बंदूक लिया था। आरमोरर ने सिंगल बेरर 12 बोर की बंदूक उस दिन पसंद किया। बंदूक का दाम तय किया गया और इंद्राज कराया गया। मेरे पिताजी ने सेल रजिस्टर में और बीरेन्द्रकुमार के लायसेंस में इसका इंद्राज किया। पिताजी ने इंद्राज बीरेन्द्रकुमार के नाम पर किया गया है। बीरेन्द्रकुमार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया है। उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। बीरेन्द्रकुमार ने बंदूक के साथ 5 कारतूस शादस लिये।

2. बीरेन्द्र कुमार ने सत्यनारायणसिंह नामक व्यक्ति का लायसेंस दिखाया और कुछ शादस और कुछ एल0जी0 कारतूस खरीदा, जिसका इंद्राज मेरे पिताजी ने किया और रजिस्टर में हस्ताक्षर बीरेन्द्रकुमार ने किया।

31/X/95

4 RS. COURT FEE INDIA चार रुपये FOUR RUPEES ४

3. बीरेन्द्रकुमार आरमोरर के साथ जब लौटकर आया तो वह लड़का हमारी दुकान में ही बैठा था । जब बंदूक और कारतूस लिये गये तब भी वह लड़का वहीं पर बैठा था । सत्यनारायण के लायसेंस पर बीरेन्द्रकुमार ने 3 एल0जी0कारतूस और 10 शाट्स कारतूस लिये थे । अ से अ और ब से ब भाग पर बीरेन्द्रकुमार ने ही हस्ताक्षर किये हैं । सामान खरीदने के बाद बीरेन्द्रकुमार आरमोरर को छोड़ने गया और वह लड़का हमारी दुकान पर ही बैठा रहा । बीरेन्द्रकुमार आरमोरर को छोड़कर आया और उसलड़के के साथचला गया । वे लोग हमारी दुकान पर करीब 1.30 -1.45 बजे तक रहे और चले गये । मैं उस लड़के को पहचान सकता हूं, जो बीरेन्द्रकुमार के साथ था । साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन को छूकर बताया कि यह लड़का ही बीरेन्द्र कुमार के साथ मेरी दुकान में आया था ।

4. सी0बी0आई0 के अधिकारियों ने मेरा बयान लिया था । सी0बी0आई0 के अधिकारियों ने मुझे उस व्यक्ति का फोटो दिखाया था, जो बीरेन्द्रकुमार के साथ मेरी दुकान में आया था । प्रदर्श पी-159 के पी-159 के लायसेंस के पीछे का इंद्राज और हस्ताक्षर मेरे पिताजी व्दारा किया गया है । यह लायसेंस जयनारायणसिंह के नाम पर है । लिखावट थोड़ा फीका हो गया है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री ~~...~~ तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

5. मैं करीब 15 सालों से इस दुकान में बैठ रहा हूं । किसी महीने में लायसेंस मिलने पर लोगों को 8-8, 10-10 बंदूक बेचदेते हैं और किसी महीने में एक भी बंदूक नहीं बिकती । मैं यह नहीं बता सकता कि अंदाज से एक महीने में हमारी दुकान के कितने कारतूस बिक जाते हैं । 14-9-91 को बंदूक बेचने वाला रजिस्टर सी0बी0आई0 ने हमसे जप्त किया था । यह रजिस्टर दिनांक 1-4-91 से शुरू होता है । अप्रैल 91 में इस रजिस्टर के अनुसार हमारी दुकान से 9 बंदूक बिक्री हुई थी । मई में 9, जून में 11, जुलाई में 11 अगस्त में 3 बंदूकें बेची गई हैं । सितम्बर 91 में 8 बंदूक बेची गई है । यह बात सही है कि हमारी दुकान में औसत 11-12 बंदूके बिक जाती है । अगस्त महीने में 52 खरीददारों ने कारतूस, बारूद इत्यादि आयुध खरीदे थे ।

Sh.
31/x/95

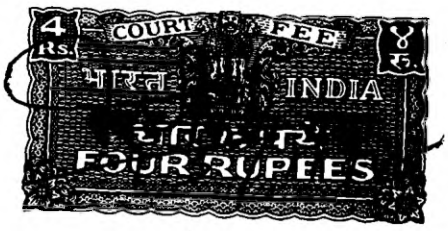

4 Rs. COURT FEE भारत INDIA FOUR RUPEES

गवाह नं0:- 66 पेज नं0:- 2

सितम्बर 91 में करीब 100 व्यक्तियों ने कारतूस, बारूद इत्यादि आयुध हमारी दुकान से खरीदे थे । मैं उन सभी व्यक्तियों को पहचान सकता हूं, जो अगस्त-सितम्बर 91 में मेरी दुकान से कारतूस वगैरह मेरी दुकान से खरीदे थे । मैं आदमी को देखकर पहचान सकता हूं । इसके अलावा पहचानने का मेरे पास और कोई आधार नहीं है ।

6. सी0बी0आई0 ने जब मेरा बयान लिया और फोटो दिखाया उसके पहले मैंने वह फोटो नहीं देखा था । 14-9-91 के पहले वह लड़का हमारी दुकान में नहीं आया था । 14-9-91 के बाद बीरेन्द्रकुमार के साथ आने वाला लड़का हमारी दुकान में नहीं आया था । मैंने उस लड़के को जब न्यायालय में आया तब देखा है । न्यायालय में उस लड़के को देखने के पहले और 14-9-91 के बाद उस लड़के को आमने-सामने देखने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला था । भिलाई की स्थानीय पुलिस ने उस लड़के की पहचान मुझसे नहीं कराई थी । सी0बी0आई0 ने लड़के का फोटो दिखाने के अलावा 10-12 व्यक्तियों के बीच में उस लड़के की शिनाख्ती मुझसे नहीं कराई थी । 14-9-91 के करीब दो महीने बाद सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था । सी0बी0आई0 ने मेरा बयान भिलाई में लिया था । सी0बी0आई0 वालों ने बीरेन्द्रकुमार के साथ आने वाले लड़के का फोटो मुझे रायपुर में दिखाया था । पहले मुझे फोटो दिखाया गया था और बयान बाद में लिया गया था । फोटो दिखाने के दूसरे दिन मेरा बयान लिया गया था । आज मैंने वह फोटो नहीं देखा, जो सी0बी0आई0 वालों ने मुझे दिखाया था ।

7. मैं आज यह नहीं बता पाऊंगा कि 14-9-91 को बीरेन्द्र ने और उस लड़के ने क्या कपड़े पहने थे । मैंने उस लड़के के चेहरे पर ऐसा कोई खास निशान नहीं देखा, जिसके आधार पर उस लड़के की पहचान की जा सके ।

8. प्रदर्श पी-148 का इंद्राज अ से अ और ब से ब को मैं पढ़ सकता हूं । पेज -291 यह बात सही है कि इस इंद्राज में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि बीरेन्द्रकुमार के साथ कोई अन्य लड़का आया था । ऐसी बात नहीं है कि सी0बी0आई0 अधिकारियों ने जिस दिन मेरा-बयान लिया उसी दिन मुझे फोटो दिखाया ।

9. सी0बी0आई0 वालों ने उस लड़के का फोटो मुझे 2 बार दिखाया था । यह बात सही है कि सी0बी0आई0 वालों ने जिस लड़के का फोटो मुझे दिखाया था उस लड़के को मैं यह कहते हुये पहचान रहा हूं कि वह कुर्ता-पायजामा पहना है । मैंने पुलिस को यह नहीं कहा था कि आज जिसका फोटो दिखाया गया है उस लड़के को मैंने पहचाना था । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श डी-25 का अ से अ ‡आज - - - दिखाये हैं‡ नहीं दिया था । मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता कि सी0बी0आई0 ने यह क्यों लिखा है कि फोटोग्राफ मुझे आज दिखाया गया । बयान होने के बाद से आज तक सी0बी0आई0 ने मुझे उस लड़के का कोई दूसरा फोटो नहीं दिखाया है । सी0बी0आई0 ने मुझे 2 व्यक्तियों के फोटो दिखाये थे । उनमें से मैंने सिर्फ एक फोटो को पहचाना था । दूसरा फोटो वाला लड़का हमारी दुकान में कभी सामान खरीदने नहीं आया था । मैंने सी0बी0आई0 यह बताया था कि बीरेन्द्र कुमार और वह लड़का हमारी दुकान में 12-12.30 बजे आया था और हमारी दुकान में डेढ़-पौने दो बजे तक रुका था । यदि समय की यह बात प्रदर्श डी-25 में नहीं लिखा है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता ।

10. मैंने पुलिस को यह नहीं बताया कि बीरेन्द्रकुमार जब आरमोरर को छोड़ने गया तो उस दौरान वह लड़का मेरी दुकान में बैठा था । मैं आज यह बात पहली बार बता रहा हूं । मैंने सी0बी0आई0 को यह नहीं बताया था कि ठाकुर आरमोरर को छोड़ने के बाद बीरेन्द्रकुमार हमारी दुकान में पुनः आया था । यह बात भी मैं आज पहली बार बता रहा हूं । मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि आरमोरर को छोडने के बाद बीरेन्द्रकुमार हमारी दुकान में आया और उस लड़के को लेकर चला गया ।

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

‡ टी0के0झा ‡
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ‡म0प्र0‡

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

‡ टी0के0झा ‡
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ‡म0प्र0‡

नोट :- चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

4-

गवाह नं0:- 66 पेज नं0:- 3

11. बीरेन्द्रकुमार के साथ जो लड़का मेरी दुकान पर आया था वह दुबला-पतला था । मैं उस लड़के की उम्र नहीं बता सकता । उस लड़के की दाढ़ी-मूँछें नहीं थी । मैंने आज जिस लड़के को न्यायालय में पहचाना है उसकी दाढ़ी व मूँछें हैं । अब साक्षी कहता है कि उसने ऊपर जिस लड़के को दुबला-पतला होना कहा है वह बीरेन्द्रकुमार को होना कहा है । मैं बीरेन्द्रकुमार यदि होगा तो उसे आज पहचान लूंगा । मैं उसका हुलिया आज नहीं बता सकता । वीरेन्द्रकुमार के साथ जो लड़का 14-9-91 को आया था उसकी दाढ़ी-मूँछें नहीं थी । सी0बी0आई0 ने मुझे 2 बार दो फोटो दिखाये थे । उन फोटों में कोई भी दाढ़ी-मूंछ वाला लड़का नहीं था ।

12. प्रदर्श पी-148 के अ से अ भाग वाले में पहले जो नाम लिखा है उसमें अंग्रेजी का टी शब्द मुझे नहीं दिख रहा है । यह नाम श्री जयनारायणसिंह नहीं लिखा है, बल्कि सत्यनारायणसिंह है । जिस लायसेंस में व्यक्ति के नाम के आगे श्री लिखा रहता है तो हम भी अपने रजिस्टर में उस व्यक्ति के नाम के आगे श्री लिख देते हैं । दि0 3-10-91 का स से स भाग पर जो इंद्राज है वह जयनारायणसिंह से संबंधित है ।

13. पहले दिन जब सी0बी0आई0 वाले रायपुर आये तो मेरे पिताजी का बयान लिये और मुझे भिलाई बुलाये । मेरे पिताजी का बयान रायपुर में ही लिया गया है । मेरे पिताजी का बयान हमारे दुकान में लिये थे । उस बयान के समय मैं मौजूद था । मेरे पिताजी को भी 2 फोटोग्राफ दिखाये गये थे । मैं नहीं बता पाऊंगा कि जो मेरे पिताजी को फोटोग्राफ दिखाये गये थे वे किन व्यक्तियों से संबंधित थे और उनका मेरे दुकान से क्या संबंध था । मैं भी उन फोटोग्राफ को देखा था । दो में से एक फोटोग्राफ अभियुक्त पलटन का था, दूसरे फोटो वाले आदमी को मैं नहीं पहचानता । मैंने दूसरे फोटो वाले व्यक्ति को पहले नहीं देखा था, इसलिये मैं नहीं बता सकता कि वह दूसरा फोटो वाला व्यक्ति आज न्यायालय में उपस्थित है या नहीं ।

14. दिनांक 3-10-91 को जिस समय जयनारायणसिंह हमारे दुकान में आया था उस समय मैं दुकान पर नहीं था । प्रदर्श पी-148 में मेरे व्दारा किया गया इंद्राज हिंदी में है । इसका अर्थ यह हुआ कि इस रजिस्टर में जो इंद्राज मेरे व्दारा किये गये हैं उस समय मैं दुकान में मौजूद था । दिनांक 1-4-91

31/x/95

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

को. मेरे व्दारा दो व्यक्तियों को सामान बेचने की जो इंद्राज किया गया है उन व्यक्तियों का हुलिया मैं आज नहीं बता सकता । इसी तरह दिनांक 2-4-91 को विजय कुमार वर्मा से संबंधित इंद्राज और 3-4-91 के चारों इंद्राज मेरे व्दारा किये गये हैं । मैं आज यह नहीं बता पाऊंगा कि 1-4-91, 2-4-91 और 3-4-91 को जो व्यक्तियों को सामान बेचा हूं उनका हुलिया क्या था और उनके पहचान के निशान क्या थे । साक्षी कहता है कि यदि व्यक्ति उनके सामने आ जायें तो वह पहचान कर सकता है । मैं नहीं बता सकता कि 1-4-91 एवं 2-4-91 एवं 3-4-91 को जो लोग सामान खरीदने आये थे वे अकेले आये थे या उनके साथ कोई और था । मैं यह भी नहीं बता सकता कि ये लोग पैदल आये थे या मोटरसायकिल से अथवा अन्य वाहनों से आये थे । दिनांक 20-4-91 को मेरे व्दारा राम इकबालसिंह को कारतूस बेचने का इंद्राज किया गया है, उसका हुलिया मैं आज नहीं बता सकता । इस रजिस्टर के मुताबिक राम इकबाल सिंह का पता भिलाई वायर्स लि0, नंदिनी रोड, भिलाई लिखा है । दिनांक 4-5-91 को मेरे व्दारा पिमोहन टोक को 10 कारतूस बेचने का इंद्राज है, जिसका हुलिया मैं नहीं बता सकता । रजिस्टर के अनुसार उसके पिता का नाम रेकसिंह और पता कवर्धा, तह0-जिला-राजनांदगांव लिखा हुआ है ।

15. मेरे पिताजी को जो दो फोटोग्राफ दिखाये गये थे उनके पीछे में मेरे पिताजी ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे । मुझे आज याद नहीं है कि मुझे जो फोटो दिखाया गया है उसके पीछे मैंने हस्ताक्षर किया था या नहीं । मुझे याद नहीं है कि मैंने सी0बी0आई0 को अपने बयान में यह बताया था या नहीं कि फोटो के पीछे मैंने हस्ताक्षर किया है या नहीं ।

16. मैं हिंदी लिखना-पढ़ना जानता हूं । मैंने प्रदर्श डी-25 में ब से ब का बयान मैंने - - - - दस्तखत किये हैं नहीं दिया था । मैं इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता कि यह बात मेरे बयान में क्यों, कैसे लिखा गया है । सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिखने के बाद वह बयान मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था । मैंने भी यह नहीं बोला कि मेरा बयान क्या लिखे हो मुझे पढ़कर सुना दो । यदि किसी फोटो के पीछे मेरे दस्तखत हों तो वह मेरे फर्जी दस्तखत होंगे ।

17. यह बात सही है कि मैं पिछले 3-4 पेशी में गवाही देने के लिये आया था, किंतु मेरी गवाही नहीं हो सकी थी और मैं दिन भर रूकने के बाद वापस चला गया था ।

2k
31/x/15

4 Rs. COURT FEE भारत INDIA FOUR RUPEES

4-0

गवाह नं0:- 66 पेज नं0:- 4

18. इन 3-4 पेशियों में जब मैं न्यायालय आया था तो, इस प्रकरण के सभी अभियुक्तों को देखने का मुझे मौका मिला था । मुझे जो दो फोटो दिखाये गये थे वे श्याम-श्वेत थे । दोनों फोटो छोटे-बड़े थे । मैंने उस फोटो में वीरेन्द्र सिंह के साथ आने वाले लड़के के रूप में जिसे पहचाना था वह फोटो बड़ा था । वह बड़ा फोटो पासपोर्ट साइज से बड़ा था । यह कहना गलत है कि मुझे सी0बी0आई0.वालों ने इस केस से संबंधित कोई फोटो नहीं दिखाया था । यह कहना गलत है कि मैंने जब 3-4 पेशियों में न्यायालय आया तो सी0बी0आई0 के कहने से उस लड़के को पहचाना जो आज इस न्यायालय में कुर्ता-पायजामा पहने हुये है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रप्रकाश एवं बल्देव.

19. हम लोग जो सामान बेचते हैं वे लायसेंस होल्डर को ही बेचते हैं । यदि बिना लायसेंस वाला व्यक्ति यदि हमारे दुकान में कारतूस या बंदूक खरीदने आये जो उसे हम लोग बंदूक या कारतूस नहीं देंगे । यह बात सही है कि जिस व्यक्ति के पास लायसेंस नहीं है उसे हम अगर बंदूक या कारतूस बेचें तो यह अपराध होगा । यह बात सही है कि 14-9-91 को सत्यनारायणसिंह हमारी दुकान में नहीं आया था, फिर भी हमने सत्यनारायण के लायसेंस पर बीरेन्द्रकुमार को कारतूस बेचे थे । हमने बीरेन्द्रकुमार को सत्यनारायणसिंह के लायसेंस पर आरमोरर व्दारा पहचान किये जाने पर कारतूस बेची । यह बात सही है कि बंदूक या कारतूस खरीदने वाले के लिये लायसेंस की जरूरत है पहचान की नहीं । आरमोरर यदि किसी अन्य व्यक्ति को लाता और उसे गोली बेचने के लिये कहता और यदि उस व्यक्ति के पास लायसेंस नहीं होता तो हम उसे गोली नहीं बेचते । यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने यह कहा कि हमने सत्यनारायण के उपस्थित हुये बिना उसके लायसेंस पर बीरेन्द्रकुमार को कारतूस बेच दिया है, जो अपराध है । यह कहना भी गलत है कि पुलिस वालों ने यह कहा कि वह उनके बताये अनुसार बयान दे तो वे उसका अभियोजन नहीं करेंगे । यह कहना गलत है कि आज न्यायालय आने के पहले मुझे मेरा बयान पढ़कर सुनाया गया था ।

20. यह बात सही है कि सत्यनारायण के लायसेंस पर बीरेन्द्र को गोली बेचने के संबंध में पुलिस ने हमारे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है ।

Sd/- 31/x/95

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

यह बात सही है कि सन् 92-93 में पुलिस ने हमारी दुकान में छापा मारा था । यह कहना गलत है कि पुलिस का यह आरोप था कि हमारे दुकान के रिकार्ड में अनियमितता थी । इस छापे के बाद हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद, नवीन, चंद्रकांत शाह:

21. हमारे दुकान का लायसेंस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना पड़ता है । यह बात सही है कि यदि पुलिस विभाग हमारे दुकान के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी लिख दे तो पुनः नवीनीकरण नहीं हो सकता । यह कहना गलत है कि पुलिस के डर के मारे मैं झूठा बयान दे रहा हूं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
31/X/95	31/X/95
। टी०के०झा ।	। टी०के०झा ।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म०प्र० ।	दुर्ग । म०प्र० ।

सत्यप्रतिलिपि
13/11/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on 6-11-95
2 Applicant told to ... 9-11-95
3 ... 13-11-95
4 ... 6-11-95
5 ... 10-11-95
6 ...
7 Application ... notice for further ... 13-11-95
8 Notice ... (7) complied with on 13-11-95
9 Copy ready on 13-11-95
10 Copy delivered or sent on 13-11-95
11 Court-fee realise ...
13/11/95

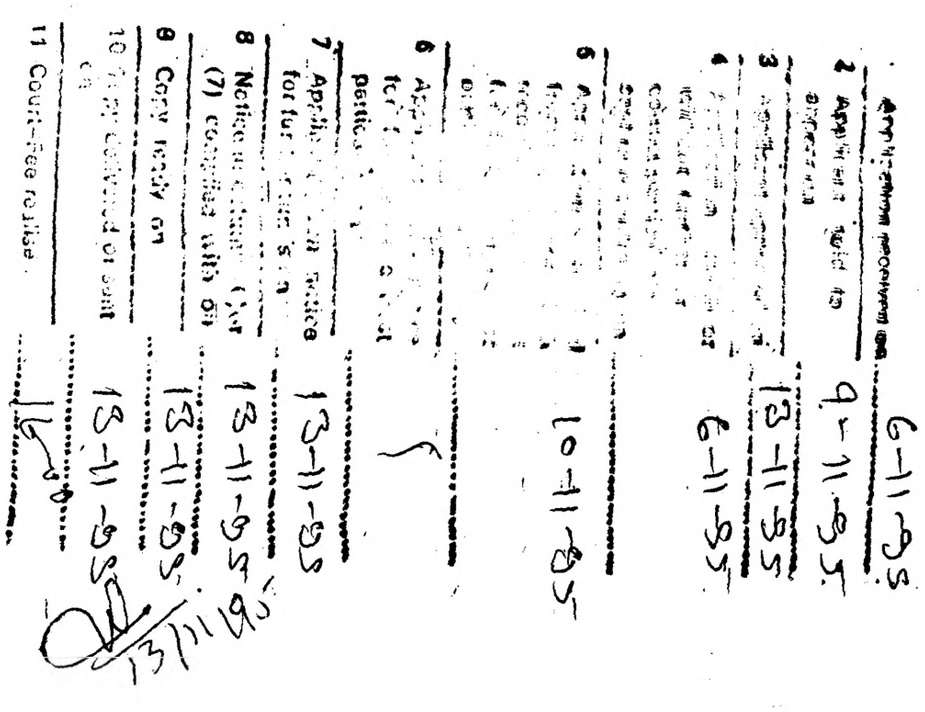

दि० [illegible] प्रतिलिपि क्रांति गुहा नियोगी का बयान [illegible] दि० [illegible] सत्र प्र० 233/92 के अभिलेख [illegible]

म०प्र० शासन विरुद्ध चन्द्रकांत शाह वगैरह

GRPI-153-7Lakhs-8-92

H-157
C.T.

Witness No. ......67......... for .... अभियोजन .... Deposition taken the .....31-10-95.... day of .... Witness's apparent age .19. वर्ष ....

States on affirmation my name is . क्रांतिगुहा नियोगी ....

son of ....श्री शंकर गुहा नियोगी .... occupation ...पढ़ाई...

address......दल्लीराजहरा. .... ।बी०एस०सी० प्रथम वर्ष।

शपथपूर्वक :-

1. स्व०शंकर गुहा नियोगी मेरे पिताजी थे । मेरी मां का नाम आशागुहा नियोगी है । मेरा एक भाई जीत गुहा नियोगी है तथा उससे छोटी बहन है, जिसका नाम मुक्ति है । मैं राजहरा कॉलेज में बी०एस०सी० प्रथम वर्ष में पढ़ रही हूं । हमारा परिवार आजकल राजहरा में रह रहा है । मेरे परिवार में मेरी मां संरक्षक है और हम तीनों भाई-बहन उनके साथ रहते हैं । हम लोग शुरू से ही राजहरा में रह रहे हैं । निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजहरा में मैंने अपनी पढ़ाई की है । राजहरा में हम लोग भगोलीपारा में रहते हैं ।

2. मेरे पिताजी यूनियन के नेता थे । वे राजहरा में रहकर यूनियन का काम करते थे । सन् 1990 में मेरे पिताजी ने यूनियन का ऑफिस भिलाई में बनाया । भिलाई के हुडको में यूनियन के ऑफिस में वे रहते थे । उनकी हत्या भिलाई में क्वार्टर नं०- एम०आई०जी० 1/55 में हुई थी । ऑफिस हुडको के एम०आई०जी०-2 में था । क्वार्टर नं०-55 मेरे पिताजी रहनेके लिये लिये थे । मैंने अपने पिताजी के हत्या के पहले क्वार्टर नं०-55 देखा है । गर्मी की छुट्टियों में हम लोग पूरा परिवार क्वार्टर नं०-55 में ही थे । सन् 90-91 में मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी । मैं स्कूल सायकिल से जाया करती थी । मेरे पिताजी ने यह कहा था कि सायकिल सावधानी से चलाया करो और कोई कार आते-जाते दिखे तो सावधान हो जाया करो । यह बात मेरे पिताजी ने हत्या होने से पहले बोला था, किंतु कितने दिन पहले बोला था यह मैं बहुत दिन होने के कारण नहीं बता सकती । मेरे पिताजी की हत्या दिनांक 28-9-91 को हुई थी । हम लोग राजहरा में उस समय थे ।

3. मैं श्याल को जानती हूं । ।राजेन्द्र श्याल। वे रायपुर में रहते हैं । मैंने उनका घर देखा है । मैं उनके घर अपने पिताजी के साथ एकाध बार गई हूं ।

[illegible] 31/10/95

COURT FEE भारत INDIA FOUR RUPEES 4 Rs

प्र...
प्रति...
कार्या. जिला एव ...
दुर्ग (म.प्र.)

उस समय मैं छोटी थी, इसलिये यह ध्यान नहीं दे पाई कि मेरे पिताजी राजेन्द्र दयाल से क्या बात कर रहे हैं । मेरे पिताजी यह कहते थे कि उद्योगपतियों से उन्हें जान का खतरा है । उन्होंने टेप में अपनी बात एक बार टेप किया था । मैं उस समय घर के अंदर आंगन में खेल रही थी । मेरे पिताजी गाने वाले कैसेट में दूसरे तरफ अपनी बात टेप किये थे । जिस समय पिताजी अपनी आवाज टेप कर रहे थे तो हमने उनकी आवाज़ तो सुनी, किंतु यह ध्यान नहीं दिये कि वे क्या टेप कर रहे हैं । मुझे आज याद नहीं है कि मेरे पिताजी ने अपनी हत्या के कितने दिन पहले अपनी आवाजटेप किया था ।

4. मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिताजी ने वह कैसेट कहां रख दिया था । यदि मुझे कैसेट बजाकर सुनाया जाये तो मैं अपने पिताजी की आवाज़ पहचान जाऊंगी । साक्षिनी को आर्टिकल "सी" का कैसेट बजाकर सुनाया गया । साक्षिनी ने बताई कि इसमें उसके पिताजी की आवाज टेप है, जो अंग्रेजी और हिंदी में है । कैसेट बीच-बीच में कुछ समय में नहीं आया है, क्योंकि वह ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था । साक्षिनी ने यह व्यक्त की कि वह इस कैसेट को दुबारा सुनना चाहती है । साक्षिनी को कैसेट दुबारा सुनाया गया । मेरे पिताजी [illegible] । मैं [illegible] इस कैसेट में जो गाना चल रहा है वह वो गाना नहीं है, जिसे मैंने सुनाथा । इस गाने को मैंने पहले नहीं सुना था । मैंने दुबारा कैसेट सुना है, इसमें मेरे पिताजी की आवाज हिंदी और अंग्रेजी में है ।

<u>नोट</u> :- न्यायालय का समय लगभग समाप्त होने के कारण साक्षिनी का परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर) 31/7/95
। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

(हस्ताक्षर) 31-7-95
। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

नोट :- साक्षिनी को आज दिनांक 1-11-95 को पुन: शपथ दिलाकर साक्षिनी का शपथ पर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

5. साक्षिनी को एम्प्लीफायर से आर्टिकल "सी" का कैसेट सुनाया गया । साक्षिनी कहती है कि यह आवाज उसके पिताजी की है । यह आवाज मुझे साफ-साफ सुनाई दी ।

6. दिनांक 3-10-91 को को जब पुलिस ने मेरा बयान लिया था उस समय कैसेट नहीं मिली थी । जब बाद में मेरी मां ने कैसेट निकाली तो हमारे परिवार के सभी लोग थे और डॉ0 गुन थे । कैसेट मां ने ट्रंक से निकाली थी । मां ने राजहरा के घर के ट्रंक से यह कैसेट निकाली थी । उसी समय हम लोगों ने यह कैसेट सुना था । हम लोगों ने इसी कैसेट को उस समय भी सुना था ।

नोट :- अभियुक्तों की ओर से श्री अवस्थी, अधि0 ने यह आपत्ति उठाई कि अंतिम प्रश्न सूचक प्रवृत्ति का है । आपत्ति निरस्त की जाती है ।

7. प्रदर्श पी-93 की डायरी के पेज क्र0-17 एवं 18 में मेरे पिताजी की लिखावट है, जो हिंदी में है । पेज नं0-19 से 26 तक की लिखावट मेरे पिताजी की है, जो अंग्रेजी में है । पेज क्र0-27 से 33 तक की लिखावट मेरे पिताजी की है, जो हिंदी में है । पेज क्र0- 34 से 167 तक के पन्ने कोरे हैं । पेज क्र0- 168 की लिखावट हिंदी में है, जो मेरे पिताजी की लिखावट नहीं है, मैं नहीं बता सकती कि यह लिखावट किसकी है । पेज क्र0- 169 से पेज क्र0- 174 तक की लिखावट मेरे पिताजी की है, जो [illegible] अंग्रेजी में है । पेज क्र0- 175 एवं 176 कोरे हैं । इसके पश्चात् डायरी समाप्त है ।

8. साक्षिनी को आर्टिकल "ए" की लूंगी और "बी" की बनियान दिखाई गई । साक्षिनी इन कपड़ों को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि यह उनके पिताजी की है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

10. पेज नं0- 24 वाली बातें मेरे पिताजी ने जेल में सन् 91 में फरवरी में लिखे थे । उस समय मैं घर में थी, जेल में नहीं थी ।

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

मेरे पिताजी ने यह कविता मेरे सामने नहीं लिखे थे । डायरी के बाकी पन्ने मेरे पिताजी ने घर में लिखे हैं । मेरे पिताजी ने डायरी घर में मेरे सामने लिखे थे । ।साक्षिनी ने 5-7 मिनट सोचने के बाद यह उत्तर दिया है ।

11. घर में जब हमने कैसेट सुना था तो उसे टेप में सुना था, एम्प्लीफायर में नहीं सुना था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री शरीफ अहमद, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

। टी०के० झा ।
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म०प्र० ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी०के० झा ।
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म०प्र० ।

सत्यप्रतिलिपि
13/11/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

Application received on 6-11-95
2 Applicant told to appear on 9-11-95
3 Applicant appeared on 13-11-95
4 Application ... without further ... 6-11-95
5 ... sent to ... on
6 ... record ... 6-11-95
6 Application ... particulars on
7 Application ... for further ... 13-11-95
8 Notice ... (7) complied with on 13-11-95
9 Copy ready on 13-11-95
10 Copy delivered or sent on 13-11-95
11 Court-fee realised
13/11/95

[illegible] 28.2.95 [illegible] 233/92 के अभि-
-लिखित [illegible] है
[illegible] — [illegible] 148 [illegible]

4 Rs. COURT FEE भारत INDIA FOUR RUPEES

GRPI-153-7Lakhs-8-92

त्र प्र0क्र0- 233/92 — II-157 C.T.

Witness No. 69 for अभियोजन Deposition taken the 1-11-95 day of .... Witness's apparent age 50 वर्ष

States on affirmation my name is श्री रामसिंह

son of श्री रामसुंदर सिंह occupation सिक्यूरिटी गार्ड

address भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं बरिया जिला (उ0प्र0) का रहने वाला हूं । सन् 62 में मैं 11वीं बटालियन में भर्ती हुआ था । मैं 6 वर्ष तक एम0पी0एस0एफ0 में कार्य किया उसके पश्चात सन् 68 में सी0आर0पी0एफ0 में चला गया, वहां मैं सन् 76 तक कार्य किया । उसके बाद मैं नौकरी छोड़कर घर चला गया । मैं 6 वर्ष तक अपने घर में रहा । उसके बाद सिक्यूरिटीगार्ड के रूप में सिक्यूरिटी ब्यूरो ऑफि इंडिया, शक्तिनगर (कोरबा) जिला बिलासपुर में काम करने लगा । वहां मैं करीब 4 साल तक काम किया । फरवरी 91 में मैं भिलाई में बी0ई0सी0 में नौकरी ज्वाईन किया । मैं सिक्यूरिटी गार्ड के रूप में काम करता था ।

2. फरवरी 91 में बी0ई0सी0 में जेम्स साहब जनरल मैनेजर थे । मैं बंदूक रखता था और मेरे पास लायसेंस भी था । मेरी बंदूक एक बेरल की थी । अगस्त 91 में जेम्स साहब के बंगले में सांप निकला था । मुझे उनका लड़का लाईन से बुलाकर ले गया था । सांप जेम्स साहब के बंगले के पेड़ में लटका हुआ था । जेम्स साहब ने कहा कि सांप को मारना है तो मैंने सांप को मारने के लिये दो छर्रा चलाया । 15 अगस्त को मैंने शो परेड में दो छर्रा फायर किया था ।

3. बी0के0 सिंह हमारे सिक्यूरिटी विभाग में एरिया ऑफिसर था । जेम्स साहब ने मुझसे यह कहा कि ये छर्रे इस्तेमाल हो गये हैं, तो इनका बिल बनाकर ऑफिस में दे दो तो इनका भुगतानहो जायेगा । मैं बिल बनाकर ऑफिस में ले गया तो केशियर ने कहा कि भुगतान नहीं होगा, वहां बी0के0 सिंह भी थे, जो वे बिल मुझसे लेकर पॉकिट में रख लिये और कहा कि बाद में दे देंगे । उसके बाद मुझे पैसा बी0के0 सिंह ने नहीं दिया और बाद में 4 छर्रा दिया । बी0के0 सिंह जब गन खरीदकर लाये थे तब उसके बाद मुझे छर्रा दिया था । बी0के0 सिंह जब अपने लायसेंस पर कारतूस

सत्य प्रतिलिपि
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

खरीदकर लाये थे तब मुझे छर्रा दिये थे । बी0के0सिंह पुलिसवालों के साथ आया तो मैंने बताया था कि बी0के0 सिंह ने मुझे छर्रे दिये हैं । फिर मैं थाना कोतवाली आकर अपने 3 कारतूस, बंदूक और बी0के0सिंह व्दारा दिया गया 4 कारतूस पुलिस के पास जमा कर दिया । पुलिस ने मुझे बाद में मेरा बंदूक, लायसेंस और 3 छर्रे वापस कर दिये ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. यह बात सही है कि मैं जिस बी0ई0सी0कंपनी में काम करता था उसके मालिक बी0आर0जैन थे । बी0के0सिंह भी उसी कंपनी में काम करता था । पुलिस ने मुझसे 7 छर्रे लिये थे, जिसमें से 3 छर्रे वापस किये हैं 4 छर्रे आज तक मुझे वापस नहीं किये हैं । पुलिस ने मुझे छर्रों की कोई रसीद नहीं दिया था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

5. मैंने जो छर्रे कहा है उसका मतलब कारतूस है । यह कारतूस 12 बोर के हैं । बी0के0सिंह की मृत्यु हो चुकी है । मुझे नहीं मालूम कि बी0के0सिंह की मृत्यु कैसे हुई है । मुझे नहीं मालूम कि बी0के0सिंह जब गिर गये तो उनके साथ वाला सी0बी0आई0 का अफसर भाग गया था । मुझे यह भी नहीं मालूम कि बी0के0सिंह की मृत्यु के संबंध में समाचार-पत्र में क्या छपा था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री शरीफ अहमद, अधिवक्ता वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
।टी0के0झा।	।टी0के0झा।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

13/11/95

13.11.95 13.11.95 13.11.95 13.11.95 10.11.95 9.11.95 13.11.95 9.11.95 9.11.95

1—00

प्रतिलिपि प्रक0नं0
1970/95

प्रतिलिपि बयान- [illegible] - - - को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. [illegible] मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1. रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- [illegible]- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 [illegible] सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- [illegible] थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेंपू आ0 रावेल सिंह टेंपू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ...... अभियुक्त

2-50

CRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. ......39............ for ......अभियोजन की ओर से............Deposition taken the 19-4-95.......... day of .... Witness's apparent age . 42. वर्ष......

States on affirmation my name is ......शैबाल जाना......

son of ......श्री ......जाना...................................... occupation ..डॉक्टर..

address ......दल्लीराजहरा...

शपथपूर्वक :-

1. सन् 78 में मैंने कलकत्ता से एम०बी०बी०एस० पास किया था । मैं शहीद अस्पताल, दल्लीराजहरा में 83 से कार्यरत हूं । एक साल मैंने इंटर्नशिप कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से तथा 6 महीना कलकत्ता मेडिकल नेशनल कॉलेज में हॉस्टलशिप किया तथा इसके बाद एक साल एस०एस०के०एम० हॉस्पिटल में हॉस्टलशिप किया । मेडिकल टीम लेकर मेडिकल स्टूडेंट होने के दौरान व इसके बाद भी प्राकृतिक विपदा वगैरह आती थी वहां पर मैं जाता था और सहायता करता था । जब पेपर में मैंने पढ़ा कि दल्लीराजहरा में मजदूर लोग अपना एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं तो उस अस्पताल में काम करने की दिलचस्पी मेरा उपरोक्त प्रवृत्ति के कारण हुई ।

2. सन् 82 में मैं दल्लीराजहरा आया था, उस वक्त ये शहीद अस्पताल नहीं बना था । डॉ० आशीष कुंडू मेरे क्लास मेट थे, जो कि छ०मु०मोर्चा से संबंधित थे । मैंने दल्लीराजहरा में पहले पुष्पा हॉस्पिटल में काम किया तथा शहीद अस्पताल की डिस्पेन्सरी खुलने पर वहां काम किया । छ०मु०मोर्चा के जो आंदोलन करने वाले मजदूरों को देखने के लिये मैं भिलाई, बालोद वगैरह भी जाता था ।

3. शंकर गुहा नियोगी को मैं जानता हूं । सन् 91 में जब भिलाई आंदोलन चल रहा था उस समय शंकर गुहा नियोगी ने जान का खतरा होना बताया था । नियोगी ने बताया था कि उन्होंने जिस उद्योगपतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वे बदमाश हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं । एक दिन मैं नियोगी जी और छ०मु०मोर्चा के कार्यकर्ता लोग उनके निवास एम०आई०जी० 55 में बैठे थे तो बात-बात में नियोगी जी खिड़की देखकर बताया कि इस खिड़की से कोई गोली मार सकता है । मैंने उनको बताया कि खिड़की में जाली या ग्रिल लगा दीजिये तो उसमें गोली नहीं मार सके ।

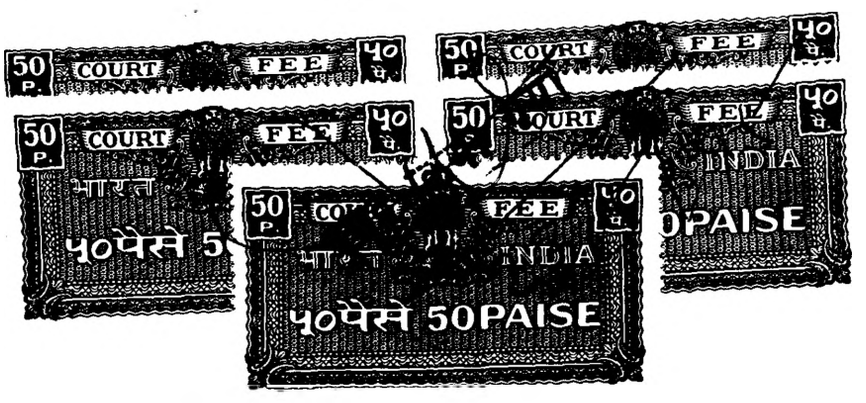

4. नियोगी जी सितम्बर 91 में दिल्ली गये थे । नियोगी जी भिलाई आंदोलन के सिलसिले में मजदूरों के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिये दिल्ली गये थे । नियोगी जी के दिल्ली से वापस आने के बाद मेरी उनसे भेंट हुई थी, तारीख मुझे याद नहीं है शायद 22 या 23 तारीख सितम्बर हो सकता है ।

5. अनूपसिंह छ0मु0मोर्चा का कार्यकर्ता है । मैं रविवार को क्लिनिक चलाने के लिये भिलाई आता था । नियोगी जी की हत्या के पूर्व जो मंगल था उस दिन अनूपसिंह नियोगी जी से मिला था और मिलने के बाद उन्होंने आकर मुझे बताया कि अगले मंगल को 4.00 बजे नियोगी जी घासीदास नगर में मीटिंग लेंगे । मुझे चोपाल को बताने के लिये यह बात अनूपसिंह ने बताई थी । यह सूचना मैंने भिलाई आने के बाद पोपाल को दिया था । उसके बाद मैं उरला भी क्लिनिक चलाने के लिये गया था, वहां भी आंदोलन करने वाले मजदूर थे । उसके बाद मैं हुडको ऑफिस भिलाई-273 में वापस आया था । मेरी नियोगी जी से भेंट नहीं हुई थी ।

6. 28 तारीख की सुबह 5-5.30 बजे मुझे पता चला कि नियोगी जी की हत्या कर दी गई है । बिहारीलाल ने मुझे आकर बताया था कि नियोगी जी को किसी ने पाकिस्तानी मार दिया है तो यह बात मैंने डॉ0 गुन को बताया था । मैं नियोगी जी की अंत्येष्टि में शामिल हुआ था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह.

7. मैं कलकत्ते से राजहरा सन् 82 में आया था । मैं नौकरी करने के इरादे से यहां नहीं आया था । मेरा सी0बी0आई0 वालों ने बयान लिया था । आशीष ने मुझसे कहा था कि नौकरी करना हो तो राजहरा चले जाओ । यह बात उसने मुझसे जनवरी 82 में कहा था । जब आशीष ने मुझसे यह बात कही तो जनवरी 82 में मैं राजहरा आ गया । राजहरा आकर मैं मिशन हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा । कैथोलिक, फादर एवं नन्स हॉस्पिटल चलाया करते थे । 1,100/- रुपये की तनख्वाह पर मैंने नौकरी शुरू की । इस हॉस्पिटल का नाम पुष्पा हॉस्पिटल था । मैंने दो बयान सी0बी0आई0वालों को दिया, किस तारीख को दिया याद नहीं है । अब कहता है कि एक बयान सी0बी0 आई0 को और एक बयान पुलिसवालों को दिया । दोनों बयानों में दो-ढाई महीनें का अंतर था । मैंने दोनों बयानों में यह बात बताई था कि मैं मजदूरों की सेवा करने के लिये ~~आया हूं, परंतु पुलिस और सी0बी0आई0 वालों ने नहीं लिखा ।~~

2-50

गवाह नं:- 37   पेज नं0:- 2

दोनों मकानों में यह बात क्यों नहीं लिखी गई मैं नहीं बता सकता ।
दोनों बयान मुझे पढ़कर सुनाये गये थे और मुझसे दस्तखत भी लिये गये थे ।
मैंने यह नहीं कहा कि इसमें लेवा वाली बात क्यों नहीं लिखा । हिन्दी में दिया गया बयान डी-13 है तथा अंग्रेजी में दिया गया बयान डी-14 है । डी-13, 14
सितम्बर 82 में मैं पुष्पा हॉस्पिटल छोड़कर सी0एम0एम0 के डिस्पेंसरी में आ गया । 85 में मेरा तनख्वाह 1,000/- रुपये हो गया । सी0एम0एम0 डिस्पेंसरी में आने के लिये मैंने नियोगी जी से कहा था । लगभग रेगुलर मैं चंदा देता था । अस्पताल के नाम से एक ट्रस्ट से प्राप्त आय और पेशेन्ट से प्राप्त पैसे से तनख्वाह दी जाती थी ।

8.   राजेन्द्र स्याल को मैं जानता हूँ । राजेन्द्र स्याल से मेरी एक-दो बार मुलाकात हुई है । 77 में आंध्र में प्राकृतिक विपदा में गया था । 78 में बंगाल में प्राकृतिक विपदा में गया था । दोनों समय मैं मैं स्टूडेंट था । दोनों बार कॉलेज के स्टूडेंट के आर्गेनाइजेशन से गया था ।

9.   वेस्ट बंगाल में भी बहुत से लेबर आर्गेनाइजेशन हैं । सन् 77 से लेकर 82 तक वहाँ पर मजदूरों का बहुत आंदोलन चला । मैं इन हड़तालों में भाग नहीं लिया । वेस्ट बंगाल में मदर टेरेसा का एक बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन है । उस आर्गेनाइजेशन में मैंने कभी भाग नहीं लिया ।

10.   नियोगी जी एक बार मेरे घर में और एक बार उनको निवास में अपने जान के खतरे की बात बताई थी । उस समय सी0एम0 एम0 में 50 हजार सदस्य थे । मैं नियोगी जी को सिक्यूरिटी करने की सलाह दी थी । उसके बाद नियोगी जी के साथ 2-3 मजदूर हमेशा रहते थे । नियोगी जी के साथ सुरक्षा में कौन मजदूर रहेगा, इसे कौन कॉर्डिनेट करता था मुझे नहीं मालूम । नियोगी जी ने खिड़की में जाली या ग्रिल नहीं लगवाया था । नियोगी जी का इरादा ग्रिल लगाने का था और ग्रिल वगैरह लगाने के लिये नाप ले जा चुके थे । ग्रिल और जाली लगने के बाद उस मकान में बाहर से गोली मारना संभव नहीं था । बहुत जल्दी खिड़की में जाली लगना है यह बात मुझे, अनूपसिंह और चन्द्रलाल को भी मालूम थी ।

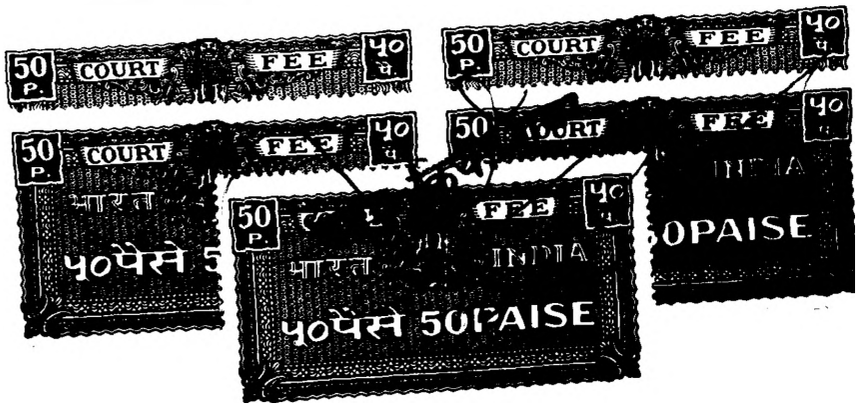

11. घोषाल, अनूपसिंह भिलाई में रहते थे और भिलाई सी०एम०एम० मजदूरों के संगठन का काम करते थे । जनकलाल उस समय ज्यादातर दल्लीराजहरा में ही रहता था ।

12. बिहारीलाल जनकलाल का भाई है । सी०एम०एम० का रुपया-पैसा भिलाई में नियोगी के पास रहता था और राजहरा में केशियर के पास रहता था । मंगलवार को अनूपसिंह नियोगी जी से आकर मिला कि वे भिलाई कब आयेंगे । मंगलवार की बात 24 या 25 तारीख होनी चाहिये । मंगल की रात को ही मुझे मालूम हो गया था कि नियोगी जी भिलाई सुबह चले जायेंगे । यह बात मुझे डॉ० गुन ने बताई थी । डॉ० गुन ने यह भी बताया था कि नियोगी जी के साथ साबूलाल भी गया है । साबूलाल इलेक्ट्रीशियन है । अनूपसिंह नियोगी जी के जाने के पहले ही भिलाई गया था ।

13. मैंने सी०बी०आई० को बयान में नहीं बताया था कि अनूपसिंह और साबूलाल नियोगी जी के साथ भिलाई गये थे । मैंने साबूलाल और अंजोरसिंह नियोगी जी के साथ गये हैं बताया था । अनूपसिंह के जाने की बात कैसे लिख ली गई मुझे नहीं मालूम । मुझको अपने बयान की कापी दी गई है, जो मैंने आज सुबह पढ़ी है, उसमें अंजोरसिंह लिखा हुआ है । सी०बी०आई० वालों ने इस बयान की कापी मुझे दी थी ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

14. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

15. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

16. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
Sd/-	Sd/-
(के०के०एस०राजपूत)	(के०के०एस०राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
23/5/93
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

एस0सी0/एस0पी0ई0
8664/12

प्रतिलिपि [illegible] जो कि श्री
जे.के.एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामअशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सन्धू आ0 रावेल सिंह सन्धू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

(2)

C A No 4794/95

71 अभियोजन

28-11-95 44 वर्ष

नरेन्द्रकुमार सिंह

स्व0श्री शीतलप्रसाद सिंह पत्रकार

244 सुप्रीमइनक्लेव मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली.

शपथपूर्वक
कथन।

1. मैं सन् 1972 से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं । मैं बी0ए0 हूं । मैंने बी0ए0 सन् 1970 में किया है । मैं अभी इंडिया टुडे का विशेष संवाददाता हूं । मैं इंडिया टुडे में 1986 से काम कर रहा हूं । 1972 से 1986 तक मैं इंडियन एक्सप्रेस, नई दुनिया, इतवार, रविवार, डेमोक्रेसी में और प्रपत्र में काम करता था ।

2. संवाददाता होने के नाते मेरा कार्य है कि खबरें इकट्ठी करना और उन पर रिपोर्ट लिखना है । सामान्यतः हम लोग घटनास्थल पर जाते हैं और लोगों से जानकारी इकट्ठा करके समाचार बनाते हैं । सामान्यतः हमारे साथ एक फोटोग्राफर भी रहता है । प्रशांत पंज्यार पहले इंडिया टुडे में फोटोग्राफर थे और वर्तमान में आउट लुक में ओं डिटर फोटोग्राफर हैं । सन् 92 में प्रशांत पंज्यार इंडिया टुडे में काम कर रहे थे । सितम्बर 91 में मैं म0प्र0 के बस्तर जिले में भूमि हड़पने के मामले पर और छत्तीसगढ़ में आसवानी के प्रदूषण के मामले पर रिपोर्ट तैयार करना चाहता था । उस समय मैं भोपाल में था । इसलिये म0प्र0 के खबरें और राजस्थान की खबरें प्रकाशन हेतु इंडिया टुडे को देता था । सामान्यतः रिपोर्ट के लिये विषय हम लोग ही चुनते हैं और संपादक की सहमति होने पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु आगे कार्यवाही करते हैं ।

3. जहां तक मुझे याद आता है 21-9-91 को मैं राजस्थान में था और 24-9-91 के आसपास बस्तर म0प्र0 पहुंचा था । मेरे साथ हमारे फोटोग्राफर प्रशांत पंज्यार थे । हम लोग दिल्ली से पहले रायपुर आये, वहां से बस्तर गये और वापसी में दल्लीराजहरा होते हुये दुर्ग आये । दुर्ग हम लोग 27-9-91 को करीब दोपहर में पहुंचे थे । जब हम लोग दुर्ग पहुंचे तो दोपहर का खाना खाने का समय था । हम लोग रायपुर से टेक्सी लेकर दौरा कर रहे थे और उसी टेक्सी से दुर्ग आये थे । हम लोग दुर्ग में रेल्वे स्टेशन के सामने किसी होटल में खाना खाये थे । चूंकि हमें आसवानी के प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करना था, इसलिये हमने ए0डी0एम0 को फोन किये (केडिया) । दोनों जगहों पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिले । इसके बाद हम लोगों ने छ0मु0 श्रमिक संघ के कार्यालय में नियोगी को फोन किये । नियोगी मिले और बातचीत करने के लिये उन्होंने हमें अपने कार्यालय में बुलाया । मैं और पंज्यार नियोगी जी के पास गये ।

उस समय दोपहर के करीब 2-2.30 बजे का समय रहा होगा । नियोगी जी से हमारी मुलाकात हुई । नियोगी जी उस समय यहां श्रमिकों का आंदोलन चला रहे थे उसके संबंध में बताया और यह भी बताया कि जिन कारखानों में वे प्रदूषण के बारे में लिखना चाहते हैं वहां भी श्रमिकों का आंदोलन चल रहा है । नियोगी जी का आंदोलन करीब एक साल से चल रहा था, जिसे लेकर वे काफी चिंतित थे । खासकर आंदोलन को लेकर जिस तरह हिंसा हो रही थी उसे लेकर वे चिंतित थे । उन्होंने यह भी बताया कि यहां के कारखानों के मालिकों ने मिलकर काफी उपद्रव मचा रखा है । उन्होंने बताया कि ये लोग मजदूरों को आये दिन मारते-पीटते हैं और धमकियां देते हैं । उनका कहना था कि यहां के उद्योगपतियों ने अपनी निजी सेना गठित कर रखी है और उसके गुंडों का इस्तेमाल वे मजदूर आंदोलन के दमन के लिये करते हैं । नियोगी जी ने यह भी बताया कि उनकी जान को खतरा है । उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सुना है कि उद्योगपतियों ने उन्हें मरवाने के लिये किराये के गुंडे लाये हैं । मैंने जब इस संबंध में जानकारी चाही तो नियोगी जी ने बताया कि सिम्प्लेक्स के शाह लोग और केडिया उनको मरवाना चाहते हैं । नियोगी से हमारी बातचीत करीब 45 मिनट से एक घंटे तक हुई थी, क्योंकि हमें कारखाना देखने की जल्दी थी, इसलिये हम लोग वहां से जल्दी चले गये ।

नियोगी जी के पास से हम लोग करीब 3-3.30 बजे निकले । मेरे साथ फोटोग्राफर प्रशांत पंवार था । चूंकि हम लोग इस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, इसलिये कारखाना दिखाने के लिये नियोगी जी ने हमारे साथ एक मजदूर भेज दिया था । पहले हम लोग केडिया डि० पहुंचे । वहां के प्रबंधक ने हमारे फोटोग्राफर को अंदर जाने की अनुमति दी । यह कारखाना देखने के बाद हम लोग सिम्प्लेक्स डिस्टलरी गये । वहां हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, इस लिये हमने कारखाने से निकलकर जो प्रदूषित पानी गांव के नदी में जाता है उसे देखा । दुबारा लौटकर हम लोग केडिया डि० आये तो उस समय तक कैलाशपति केडिया वहां आ चुके थे, उस दिन कैलाशपति केडिया से हमारी बातचीत नहीं हो सकी, और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन सुबह बातचीत करेंगे ।

वहां से करीब शाम के 7.00 बजे हम लोग पिकाडली होटल, रायपुर चले गये । मुझे आज याद नहीं है कि पिकाडली होटल के किस नंबर के कमरे में हम लोग रुके थे । मैंने रायपुर पहुंचकर अपने मित्र राजेन्द्र दयाल के पास टिकट के लिये फोन

किया । करीब 3 दिन पहले जब मैं इस केस के टाईम के लिये रायपुर पहुँचा तो हवाई अड्डे से फोन करके श्रीमती श्याल को मैं टिकट के लिये बोल चुका था

6. पिकाडली होटल से मैंने जब फोन किया तो मेरी बातचीत राजेन्द्र श्याल से हुई । उन्होंने बताया कि मेरी टिकट वेटिंग लिस्ट में है, किंतु उसके कन्फर्म होने की पूरी संभावना है । उन्होंने मुझे यह जानकारी दिया था कि नियोगी जी रायपुर आये हुये हैं, इस पर मैंने उन्हें कहा कि आप और नियोगी जी दोनों होटल आ जाओ और साथ में ही भोजन करेंगे । इसके पश्चात रात के करीब 9-9.30 बजे राजेन्द्र श्याल और नियोगी जी पिकाडली होटल आये । थोड़ी देर हम लोग बाहर में पंज्वार, राजेन्द्र श्याल और नियोगी जी अपने कमरे में ही बातचीत करते रहे । उसके पश्चात हम लोग डायनिंग हाल में खाना खाने गये ।

7. चूंकि नियोगी जी मजदूर आंदोलन चला रहे थे, इसलिये बार-बार इस बात को ही छेड़ते थे । नियोगी जी की प्रशांत पंज्वार से राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई । रात में भी चर्चा के दौरान नियोगी जी ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने दोपहर में कही थी । उन्होंने फिर से कहा कि उनके आंदोलन को दबाने के लिये किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है । उन्होंने इस प्रकार का क्रिया-कलाप उद्योगपति उनको मारने के लिये किस प्रकार की साजिश कर रहे हैं । डायनिंग हाल में भी खाना खाने के दौरान भी यही बातें चलती रही । रात के करीब 11-11.30 बजे नियोगी जी होटल से निकले । मैं और पंज्वार होटल पिकाडली में अलग-अलग कमरा बुक करवाये थे । नियोगी जी और श्याल के जाने के बाद मैं और प्रशांत अपने-अपने कमरों में सोने गये ।

8. सुबह 5 बजे के करीब मुझे राजेन्द्र श्याल का फोन आया कि सुनते हैं कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दिया है । फोन पर काफी घबराये हुये थे । उन्होंने कहा कि वे भिलाई जायेंगे । इस पर मैंने उनसे कहा कि आप के साथ मैं और पंज्वार भी उनके साथ चलेंगे । मैंने फौरन प्रशांत पंज्वार को भी जाकर बताया । प्रशांत पंज्वार तैयार हो रहे थे इसी दौरान राजेन्द्र श्याल का दोबारा फोन आया कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है । वे फोन पर फूट-फूटकर रो रहे थे । थोड़ी देर बाद श्याल पिकाडली होटल पहुंचे और

मैं तथा पंज्यार उनके साथ भिलाई आये । भिलाई में हम लोग से0-9 अस्पताल आये, नियोगी जी की लाश मरचुरी में रखी थी, इसलिये उनकी लाश देखना संभव नहीं था । थोड़ी देर भिलाई रुकने के बाद मैं और पंज्यार वापस होटल पिकाडली आये ।

9. मैं शंकर गुहा नियोगी को सन् 77 से जानता था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह,

10. यह बात सही है कि मैं महाराष्ट्र में भूमि हड़पने के मामलों की रिपोर्ट तैयार करने और भिलाई में आसपास से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के मामलों में रिपोर्ट तैयार करने के लिये आया था । इसी दौरे में मैंने प्रदूषण के मामले की रिपोर्ट तैयार किया था । उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर किया से और शाह लोग से युक्त किया था । मुझे याद नहीं आ रहा है कि नियोगी जी ने किसी शाह का नाम बताया था या नहीं, लेकिन नियोगी जी ने शाह लोग कहा था ।

11. ... को ... सी0बी0आई0 ने मेरा बयान लिया था । सी0बी0आई0 ने मुझे बयान पढ़कर सुनाया था । यह बात सही है कि नियोगी ने शाह लोग कहा था, किसी ... शाह का नाम नहीं लिया था । जहाँ तक मुझे याद है कि नियोगी जी ने हमारे साथ कारखाना दिखाने के लिये एक ही मजदूर भेजा था ।

12. दूसरे दिन मेरी मुलाकात भिलाई में कैलाशपति केडिया से उनके घर में हुई थी । मैं कारखाने में नहीं गया, चूंकि हम लोग नियोगी जी की हत्या के समाचार कवरेज में व्यस्त हो गये थे, इस लिये कारखाना नहीं जा सके । इसके बाद कभी भी मैं ... लि0 या केडिया लि0 नहीं गया । मैं इसके पश्चात कभी भी पर्यावरण या प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिये ... लि0 या ... लि0 नहीं आया ।

13. यह बात सही है कि पिकाडली होटल में नियोगी जी ने यह कहा था कि वे केडिया लि0 के संबंध में और अपने आंदोलन के संबंध में समाचार-पत्रों की कटिंग देंगे । मैंने सी0बी0आई0 को यह नहीं कहा था कि नियोगी ने सिर्फ केडिया लि0 की कटिंग देने की बात कही थी । ~~मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श डी-29 का ... में ... कर ...~~ । नियोगी जी ने केडिया लि0 और श्रमिक आंदोलन दोनों की कटिंग देने की बात कही थी, यदि प्रदर्श डी-29 के बयान में श्रमिक आंदोलन वाली बात नहीं लिखी है, तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । डी-29

नियोगी जी ने जो कागजात देने की बात कही थी वह सिर्फ प्रदूषण के बारे में नहीं था, बल्कि उनके श्रमिक आंदोलन के बारे में भी था। यदि प्रदर्श डी-30 में श्रमिक आंदोलन से संबंधित कागजात की बात नहीं लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। डी-30

14. हम लोग भिलाई से जब पिकाडली होटल, रायपुर पहुंचे तो हमारे पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद केडिया डि0 के डायरेक्टर डॉ0 शिवेन्द्र श्रीवास्तव पहुंचे थे। मैं डॉ0 श्रीवास्तव के पिकाडली होटल पहुंचने का समय अंदाज से भी नहीं बता सकता। डॉ0 श्रीवास्तव मेरे पास बैठे नहीं, बल्कि 5-10 मिनट बात करके मेरे कमरे से निकल गये। हम लोग दूसरे दिन केडिया डि0 देखने के लिये जाने वाले थे उसी का समय तय करने के लिये डॉ0 श्रीवास्तव हमारे पास आये थे। दूसरे दिन सबेरे 8-8.30 बजे केडिया डि0 देखने का समय तय किया गया था। मैंने उन्हें बताया था कि उनके डि0 से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के बारे में मुझे लेख लिखना है तथा यह भी बताया कि उनके कारखाने की तस्वीर भी लेंगे। हमने डॉ0 श्रीवास्तव से यह नहीं कहा कि उनके कारखाने से बहुत ही गंदा पानी निकलता है। हम लोग डि0 के अलावा किसी ऐसे दूसरे कारखाने में नहीं गये जहां से प्रदूषित पानी निकलता हो।

[redacted]

नोट:- सायंकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।	मेरे निर्देशन पर टंकित।
(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)

नोट:- चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 बलटन.

15. इंडिया टुडे के कुछ संस्करण प्रकाशित होते हैं, जिसमें एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में भी होता है। यह जरूरी नहीं है कि हम लोग जो लेख भेजते

...लिपिक
जिला एवं सत्र न्या.
दुर्ग (म.प्र.)

हैं वे सभी संस्करणों में प्रकाशित हो । यह बात सही है कि इंडिया टुडे के अंग्रेजी संस्करण में जो लेख प्रकाशित होते हैं वे हिंदी संस्करण में भी प्रकाशित होते हैं ।

16. नियोगी जी ने मुझे उद्योगपतियों से खतरा एवं गुंडे इकट्ठे करने की जो बात बताई थी उसके बारे में मैंने लेख लिखा था । नियोगी जी से भिलाई व रायपुर होटल, रायपुर में मेरी जो चर्चा हुई थी उसके संबंध में मैंने विशेष लेख लिखा था ।

17. मैं डॉ0 देवीदास को जानता हूं, मैं उनसे एक-दो बार मिला हूं । डॉ0 देवीदास ने न तो मुझे कोई इंटरव्यू दिया था और न ही मुझे कोई स्टेटमेंट ही दिया था इसलिये डॉ0 देवीदास के संदर्भ में कोई लेख छापने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । मुझे आज याद नहीं है कि डॉ0 देवीदास के संदर्भ से मैंने इंडिया टुडे में ऐसा कोई लेख छापा था या नहीं छापा कि नियोगी की हत्या में केडिया का हाथ नहीं है ।

18. यह बात सही है कि मैं 27 तारीख को भिलाई आया था उसका उद्देश्य केडिया डि0 और ब0 डि0 से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से संबंधित था । यह बात सही है कि केडिया डि0 और ब0 डि0 के मालिकों में से एक कैलाशपति केडिया हैं । हमें ब0 डि0 में जाने से इस आधार पर मना कर दिया था कि उस समय कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था । शहर में जो डि0 (केडिया डि0) पड़ती है वहां हम पहले गये और उसके बाद ब0 डि0 गये थे । यह बात सही है कि ब0 डि0 राजपुर मार्ग पर कुम्हारी गांव के पास स्थित है । केडिया डि0 में हमें जाने की अनुमति मिल गई थी । मैं ऑफिस में ही बैठा रहा और अंदर हमारे फोटोग्राफर पंज्यार गये थे । मुझे आज याद नहीं है कि पंज्यार ने केडिया डि0 का 27-9-91 को कोई फोटो खींचा या नहीं । इस बारे में पंज्यार ही बता सकता है । यह कहना गलत है कि केडिया डि0 में हमें अंदर जाने की और फोटो खींचने की अनुमति इस आधार पर नहीं मिली थी कि केडिया नहीं है ।

19. मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श डी-29 का अ से अ का बयान नहीं दिया था । साक्षी यह कहता है कि हो सकता है कि केडिया डि0 और ब0 डि0 का नाम बताने में कुछ भ्रम हो गया हो । हो सकता है यह बयान नाम के भ्रम के कारण लिखा गया हो । यह बात सही है कि ब0 डि0 से निकलने वाले प्रदूषित पानी का कारखाने के बाहर पंज्यार ने फोटोग्राफ लिये थे । उस समय मैं भी मौजूद था ।

मैं यह नहीं बता सकता कि डिवाइस से जो पानी निकल रहा था वह प्रदूषित था या नहीं। यह बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही बता सकता है। उस पानी का सैम्पल पंज्यार ने एकत्र नहीं किया था। यह बात सही है कि हम लोग लौटकर दुबारा जब 80 डिवाइस गये तो हमारी मुलाकात कैलाशपति केडिया से हुई, किंतु मुझे आज यह ध्यान नहीं है कि कैलाशपति केडिया ने दूसरे दिन दोपहर के एक बजे का समय हम लोगों को दिया था। यह बात सही है कि जब हम लोगों की कैलाशपति केडिया से मुलाकात हुई तो उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि हम लोग उनके डिवाइस से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर इंडिया टुडे में लेख लिखने वाले हैं। जब हमारी मुलाकात कैलाशपति केडिया से हुई तो वहां पर डॉ० शिवेन्द्र श्रीवास्तव भी खड़े थे। यह बात सही है कि डॉ० श्रीवास्तव जब पिकाडली होटल में हमारे पास आये तो उसके पूर्व ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हम लोग डिवाइस से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर लेख लिखने वाले हैं। पिकाडली होटल, रायपुर डॉ० श्रीवास्तव हमारे पास यह बताने के लिये आये [illegible] केडिया डिवाइस सुबह चलना है। मुझे आज याद नहीं आता कि 80 डिवाइस में कैलाशपति केडिया से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने दूसरे दिन दोपहर के एक बजे मिलने का समय तय किया था या नहीं। केडिया जी से हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें दो तरह की मीटिंग का कार्यक्रम था, कारखाना देखने व फोटो खींचने का एक कार्यक्रम था और दूसरा कार्यक्रम केडिया से व्यक्तिगत मिलने का था। साक्षी को प्रदर्श डी-29 का ब से ब भाग दिखाया गया। साक्षी ने कहा कि सी० बी० आई० को बयान देते समय उसे समय याद था, इसलिये यह बयान दिया था। यह बात सही है कि केडिया जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारे प्लांट घूमने का और फोटोग्राफ्स लेने का इंतजाम करने के लिये सहमत हो गये थे।

29.8.75 जब 27 तारीख की रात में स्याल और नियोगी मेरे कमरे में आये तब मैंने राजेन्द्र स्याल से यह पूछा कि डॉ० श्रीवास्तव उनसे मिले या नहीं अर्थात दिखे या नहीं। राजेन्द्र स्याल ने कहा था कि डॉ० श्रीवास्तव नहीं दिखे। यह बात सही है कि जब पिकाडली में मुझसे डॉ० श्रीवास्तव मिले तो उसके कुछ घंटों बाद भिलाई में मुझे नियोगी ने यह कहा था कि उनकी जान को शाह लोगों से और केडिया से खतरा है। यह बात सही है कि जब राजेन्द्र स्याल और नियोगी मेरे पास आये थे तो नियोगी ने मुझसे यह पूछा था कि डॉ० श्रीवास्तव किस सिलसिले में आये थे। मैंने नियोगी को डॉ० श्रीवास्तव के आने का उद्देश्य बताया

था । यह बात सही है कि डॉ० श्रीवास्तव के आने के बाद नियोगी जी ने मजदूर आंदोलन और विशेषकर केडिया के संबंध में कार्य किया था । मुझे यह नहीं पता कि मैंने डा० श्रीवास्तव के आने का जो उद्देश्य बताया था उससे नियोगी जी संतुष्ट थे या नहीं ।

21. रात के करीब 11.30 बजे जब नियोगी जी और राजेन्द्र सायाल पिकाडली होटल से निकले तो मुझे यह अंदाज था कि नियोगी जी रात में भिलाई वापस जायेंगे । मैंने नियोगी जी को यह सलाह नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है और रात के करीब 11.30 बजे हैं इसलिये वे रायपुर में ही रुक जायें और दूसरे दिन सुबह भिलाई निकलें । ऐसी परिस्थिति में पिकाडली होटल में ऐसी कोई सलाह राजेन्द्र सयाल ने नियोगी जी को नहीं दिया था । मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी राजेन्द्र सयाल के साथ वापस बंगला जाने वाले थे । यह बात सही है कि पिकाडली होटल में सयाल ने मुझे इस बात की जानकारी दिया था कि माननीय उच्च-न्यायालय ने केडिया डि० के संबंध में स्टे आर्डर पारित किया है । मैंने उस आदेश की कापी सयाल से मांगी थी । मुझे यह याद नहीं है कि नियोगी जी ने सयाल से उस आदेश की कापी मांगी थी और कहा था कि दूसरे दिन उस आदेश को वे जिला-दंडाधिकारी दुर्ग और पुलिस-अधीक्षक को पेश करेंगे । यह बात सही है कि 28 तारीख को न तो हम लोग डि० जा पाये और न ही फोटोग्राफ ले सके और न ही लेख के संबंध में किसी व्यक्ति से ही मिल पाये । 28 तारीख की दोपहर को कैलाशपति केडिया से हमारी मुलाकात हुई । हमने केडिया को बताया कि नियोगी जी की हत्या हो जाने के कारण हम लोग उनके कारखाना नहीं जा पाये । नियोगी जी की हत्या से कैलाशपति केडिया भी दुखी थे ।

22. अक्टूबर 91, में मैंने इंडिया टुडे में नियोगी जी की हत्या के बारे में लेख लिखा था । अभियुक्त की ओर से 15 अक्टूबर 91 का इंडिया टुडे हिन्दी संस्करण पेश किया गया, जिसे डी-30 अंकित किया गया । यह बात सही है कि डी-31 प्रदर्श डी-31 के लेख में मैंने पृष्ठ 30-36 में यह लिखा है कि दूसरे दिन अर्थात 28-9-91 को केडिया जी से मुलाकात उनके बंगले पर हुई थी । इस लेख में यह नहीं लिखा है कि केडिया जी ने यह कहा था कि वे दुखी हैं, बल्कि यह लिखा है कि यह चिंता का विषय है ।

23. यह बात सही है कि सन् 91 में मैं पी0यू0सी0एल0 का सदस्य था । मुझे यह आज याद नहीं है कि राजेन्द्र सयाल ने उच्च-न्यायालय के जिस आदेश की बात कही थी उसकी कापी मुझे बाद में मिल पाई या नहीं । उच्च-न्यायालय में पर्यावरण के संबंध में जो याचिका लंबित थी और जिसमें स्टे आर्डर दिया जाना बताया गया था उसमें मैंने बाद में हस्तक्षेप नहीं किया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव, अवधेश, अभयसिंह.

24. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

Sd/-

। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Sd/-

। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

एस०टी०एस०नं०
860/92

प्रतिलिपि ______________ जो कि श्री जे० के० सिंह, पीठासीन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटेलाल,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- सिमरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सिद्धू आ० रावेल सिंह सिद्धू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

(১)

Cस० 4794/95

72 अभियोजन की ओर से

28-11-95 44 वर्ष

जयनारायण त्रिपाठी
सामाजिक कार्यकर्ता

श्री हरगोविंद त्रिपाठी
बिलासपुर.

शपथपूर्वक :- .

1\. हम तीन दो भाई थे । मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है । मेरी शादी भिलाई में प्रभुनाथ मिश्रा के यहां हुई है । प्रभुनाथ मिश्रा और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा मेरे साले हैं । अभि० ज्ञानप्रकाश मिश्रा न्यायालय में उपस्थित है ।

2\. मैं बिलासपुर में रहता हूं । मैं बिलासपुर में बचपन से रह रहा हूं । मेरे पिताजी उत्तरप्रदेश से बिलासपुर आये थे । बिलासपुर में मेरा कार्य दुकानें बनाकर किराये पर देना है । यह काम मैं सन् 75 के बाद से आपातकाल के बाद से कर रहा हूं ।

3\. मेरे पास दोनाली 12 बोर बंदूक का लायसेंस सन् 1980 से है । मेरे गन लायसेंस जिला दंडाधिकारी बिलासपुर से लिया था । शुरू में मैं यह लायसेंस म०प्र० और उ०प्र० राज्य के लिये लिया था । बाद में जब ज्ञानी जी राष्ट्रपति बने उस दौरान सिर्फ म०प्र० के लिये लायसेंस हो गया था । मेरे द्वारा आवेदन देने पर पुनः दोनों प्रदेशों के लिये लायसेंस बनाया गया । प्रदर्श पी-159 मेरा बंदूक का लायसेंस है । इसमें मेरा ही फोटो लगा है । मैं बंदूक के लिये कारतूस बिलासपुर से भी लेता था और यहां न मिलने पर रायपुर से लेता था । एक-दो बार बिलासपुर से और यहां न मिलने पर 2-3 बार रायपुर से लिया हूं । मैं रायपुर में 2-3 दुकानों से कारतूस लिया था । किन-किन दुकानों से कारतूस लिया था यह मुझे याद नहीं है । आखरी में मैंने अल्ला जी की दुकान से कारतूस खरीदा था । यह बात सही है कि जब भी मैं कारतूस खरीदने जाता था लायसेंस साथ लेकर जाता था । यह बात सही है कि जब भी मैं कारतूस खरीदता था दुकान वाले मेरे लायसेंस में उसका इंद्राज करते थे । संभवतः मैंने आखरी बार रायपुर के अल्ला के दुकान से सितंबर 1991 में कारतूस खरीदा था । अल्ला जी के दुकान का नाम मुझे नहीं मालूम । यह दुकान रायपुर के बीच बस्ती में है । रायपुर में अल्ला की दुकान से मैंने [illegible] और 3 छर्रे वाले कारतूस लिया था । मैंने जो कारतूस खरीदा उसका इंद्राज उस दुकान वाले ने किया था । यह बात सही है कि मेरे लायसेंस प्रदर्श पी-159 में 3-10-91 को इंद्राज है । इस इंद्राज के बाद से लायसेंस मेरे पास ही रहा है । बंदूक दुकान वाले ने मेरे से

अपने रजिस्टर पर भी दस्तखत करवाया था । रजिस्टर प्रदर्श पी-148 पेज नं0-33 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने यह हस्ताक्षर उसी समय किया जब मैंने कारतूस खरीदा था । हो सकता है कि मुझे कारतूस खरीदने का बिल दिया गया हो । मैंने दिनांक 2-10-91 को कोई कारतूस नहीं खरीदा था । महीने में दुकानदार सिर्फ एक बार ही कारतूस बेचता है, साल में सिर्फ 50 कारतूस मिलता है और एक बार में 10 कारतूस से ज्यादा नहीं मिलता । मैंने 9-8-91 को 8 कारतूस नहीं लिया था ।

4. यह बात सही है कि सी0बी0आई0 वाले मुझसे बंदूक, कारतूस और लाइसेंस ले गये हैं । सी0बी0आई0 वाले अंदाज से मुझसे 30-40 कारतूस ले गये थे । सी0बी0आई0 वालों ने इसका जप्ती-पत्र बनाया था और एक कापी मुझे भी दिया था और मेरे हस्ताक्षर भी लिये थे । प्रदर्श पी-160 के पी-160 अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अ से अ दो स्थानों पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैं छर्रेवाले और बॉल दोनों कारतूस लेता था । प्रदर्श पी-161 से 169 पी-161 169 तक के फोटोग्राफ मेरे साले प्रभुनाथ की शादी के अवसर के हैं । अभियुक्तों की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि इन फोटोग्राफ के निगेटिव नहीं हैं, इसलिये इन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता । इन फोटोग्राफों को अस्थायी रूप से साक्ष्य की सुविधा के लिये प्रदर्शित किया गया है, इनकी साक्ष्य में ग्राह्यता और उपयोगिता के संबंध में अंतिम निर्णय के पहले निराकरण कर दिया जायेगा । प्रदर्श पी-161 में मेरा और अभियुक्त अवधेश राय का फोटो है । पी-162 में मेरे साले और उसके परिवार व पड़ोसियों का फोटो है । प्रदर्श पी-163 में मेरा और अवधेश राय का फोटो है । पी-164 में मेरा फोटो है । पी-165 में मेरा फोटो और मेरे परिवार का फोटो है । इस फोटो में नंबर एक जो अंकित है वह किसका फोटो है वह मैं नहीं जानता । प्रदर्श पी-166 में प्रभुनाथ मेरे साले का फोटो है । पी-167 में नंबर एक में किसका फोटो है मैं नहीं जानता । पी-168 में मेरा फोटो है । पी-168 में नंबर 5 पर अभियुक्त अवधेश राय का फोटो है । पी-169 के क्र0-1 पर कौन व्यक्ति है यह पहचान में नहीं आ रहा है ।

5. 3-10-91 को कारतूस खरीदने के लिये मैं बिलासपुर से रायपुर आया था । उस समय घर में मेरे पास 10 या 12 कारतूस बचे थे । साक्षी स्वतः कहता है कि सामने दीवाली थी और दीवाली में ब्लैंक कारतूस ही फोड़े जाते हैं,

गवाह नं0 :- 72   पेज नं0 :- 2

इसलिये मैं ब्लैक कारतूस खरीदने रायपुर आया था । दि0 3-10-91 को, मैं अकेले ही बिलासपुर से रायपुर ट्रेन से आया था । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अक्सर 8-10 दिन में अपनी बहन अर्थात मेरी पत्नी से मिलने के लिये बिलासपुर आया करता था । मैं यह नहीं बता सकता कि सन् 91 में दीवाली के कितने दिन पहले अभियुक्त ज्ञानप्रकाश बिलासपुर आया था । अभियुक्त अभयसिंह को मैं नहीं जानता, उसका नाम सुना हूं । नियोगी हत्याकांड के बाद मैंने अभियुक्त अभयसिंह का नाम पेपर में पढ़ा और बाद में मुझे सी0बी0आई0 ने भी उसका नाम बताया था । नियोगी हत्याकांड के सिलसिले में मैंने पेपर में अभि0 पलटन, ज्ञानप्रकाश और कई लोगों का नाम पढ़ा । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश का नाम पढ़ने के बाद मैं उससे नहीं मिला ।

6. मुझे नहीं मालूम कि 3-10-91 को जो मैंने कारतूस लिये थे वे किस मेक के थे । सी0बी0आई0 वाले मुझसे जो कारतूस बरामद करके ले गये थे उसे मैं, आज पहचान सकता हूं, यदि वे सही-सलामत हों ।

नोट :- कारतूस पेश न होने के कारण और न्यायालय का समय समाप्त होने के कारण साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर अंकित ।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 29-11-95 को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी का शपथ पर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

7. साक्षी को 26 कारतूस गिनकर दिखाये गये । वह कहता है कि सी0बी0आई0 उससे 26 कारतूस जप्त करके ले गये थे । इन 26 कारतूसों को आर्टिकल क्यू (26) अंकित किया गया । कारतूस के कैप पर जो लिखा है उसे मैं नहीं पढ़ सकता ।   आर्टि-क्यू

8. सी0बी0आई0 वाले ने मुझसे पूछताछ किया था । मेरा दुर्ग में न्यायिक दंडाधिकारी के पास बयान हुआ था । साक्षी का दंड प्र0सं0 की धारा 164

प्रतिलिपि
विधि विभाग
... एवं ... न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

के अंतर्गत अभिलिखित बयान का सीलबंद खोला गया और उसे अभिलेख में लिया गया। इस बयान प्रदर्श पी-170 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बयान पी-171 पी-170 के अ से अ भाग पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं। पी-171 के दो स्थानों पर अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं, उसके नीचे दिनांक भी मैंने लिखा है। पी-171 के पीछे पेज पर भी अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, उस पर दिनांक मैंने ही लिखा है। पी-171 के पेज क्र0-3 के दो स्थानों पर अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं, उसके नीचे दिनांक भी मैंने लिखा है। प्रदर्श पी-171 का बयान मेरे सामने टाईप किया गया था, साक्षी ने स्वतः कहा कि सी0बी0आई0 वाले मेरा बयान बोलते गये, जिसे न्यायिक दंडाधिकारी ने टाईप करवा दिया और मेरे हस्ताक्षर ले लिये। मेरा जब बयान टाईप कराया गया उस समय न्यायालय कक्ष में दंडाधिकारी, उनके साक्ष्य लेखक, मैं और सी0बी0आई0 वाले थे, बाकी सब लोगों को बाहर कर दिया गया था। एक बंदूकधारी पुलिस वाला भी न्यायालय कक्ष में था। मजिस्ट्रेट साहब मेरे सामने ही बयान को पढ़ते गये और साक्ष्य लेखक टाईप करता गया और बाद में मेरे हस्ताक्षर ले लिये गये। मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा नाम पूछा था। मजिस्ट्रेट साहबने सिर्फ मेरा नाम पूछा था, मेरा पता भी नहीं पूछा था। 3-10-91 को ज्ञानप्रकाश और अभियुक्त अभयसिंह बिलासपुर में मेरे घर नहीं आये थे।

9. मैंने यह नहीं पूछा था कि क्यों आये हो। कि0 3-10-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश अपनी बहन से मिलने मेरे घर नहीं आया। यह कहना गलत है कि अभि0 ज्ञानप्रकाश ने यह कहा था कि उसे 12 बोर के 3 एल0जी0कारतूस चाहिये

नोट :- श्री त्रिवेदी, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई।

10. यह बात सही है कि सी0बी0आई0 के अधिकारी ने मुझे न्याय0दंडा0 दुर्ग के समक्ष पेश किया था, उस अधिकारी का नाम मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि जब मुझे न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय कक्ष में सिर्फ मैं, न्यायिक दंडाधिकारी और साक्ष्य लेखक थे, इनके अलावा और कोई नहीं था। यह बात सही है कि सी0बी0आई0 के अधिकारी ने जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तो मैं समझ गया था कि मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ा हूं।

सी0बी0आई0 वालों ने मुझे यह नहीं बताया था कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान देना है। मुझसे दंडाधिकारी ने यह प्रश्न नहीं किया कि नियोगी हत्याकांड के बारे में मैं क्या जानता हूं। यह कहना गलत है कि मैं नियोगी हत्याकांड के बारे में जो कुछ जानता था उसके बारे में पूरा-का-पूरा बयान दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने जैसा बयान दिया मजिस्ट्रेट साहब ने वैसा ही बयान साक्ष्य लेखक से टाईप करवाया। जब मजिस्ट्रेट साहब ने बयान टाईप करा लिया तो उन्होंने उस बयान को एक सिपाही को दिया और कहा कि थोड़ा दूर ले जाकर मुझसे हस्ताक्षर करवा ले। यह कहना गलत है कि बयान मुझे पढ़कर सुनाया गया था और सही होने से स्वीकार करने के बाद ही मैंने हस्ताक्षर किया था।

11. प्रदर्श पी-171 का ब से ब।मैं ग्राम कोहिला ---- जा चुका है। सही लिखा है, किंतु मैंने यह बयान नहीं दिया है। प्रदर्श पी-171 का स से स।दिनांक 3-10-91 ---- बच जायेंगे। का बयान मैंने नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि स से स का यह बयान मेरे कहने से लिखा गया है। मैंने पी-171 का द से द का बयान।तब मैंने ----- बिलासपुर चले गये। नहीं दिया था। जब मेरा न्यायिक दंडाधिकारी के सामने बयान लिया गया तो बंदूक दुकान का रजिस्टर और मेरा लायसेंस वहां पर नहीं था। यह कहना गलत है कि बंदूक दुकान वाले मुल्ला जी का रजिस्टर और मेरा लायसेंस मुझे दिखाया गया था। मैंने पी-171 में ड से ड का बयान। पुलिस ने ---- मेरे हस्ताक्षर हैं। नहीं दिया था।

12. मैंने प्रदर्श पी-171 का क से क। जब ज्ञानप्रकाश ---- 19,000/- रुपये दिये हैं। मैंने नहीं दिया है।

13. मैंने मजिस्ट्रेट साहब से यह नहीं कहा कि मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था। बयान पर हस्ताक्षर करने के पहले मैंने मजिस्ट्रेट साहब को यह बताया था कि सी0बी0आई0 वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और यह मेरा बयान नहीं है, मेरे साथ न्याय किया जाये, इस पर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि यहां कोई न्याय नहीं होगा, हाईकोर्ट में जाइये। मेरा बयान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, श्रीमती मैथ्यी माथुर ने अभिलिखित की थी। यह बयान होने के बाद जब 6 दिन के पश्चात मुझे सी0बी0आई0 वालों

[illegible] दुर्ग (म.प्र.)

ने मुझे छोड़ा तो मैंने न्यायिक दंडाधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च-न्यायालय में आवेदन पेश किया था । माननीय उच्च-न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि मैं दुर्ग, रायपुर या बिलासपुर के न्यायालय में दांडिक या व्यावहारिक विधिक कार्यवाही कर सकता हूं । मैंने बिलासपुर में सी0बी0सिंग साहब के न्यायालय में फरियाद पेश किया था, कुछ समय पश्चात् श्रीमती माथुर की प्रदस्थापना उसी न्यायालय में हो गई । यह कार्यवाही चलती रही उस दौरान बिलासपुर के उस न्यायालय में आग लग गई और लगभग सारे रिकार्ड जल गये । रिकार्ड जल जाने के बाद में कोई कार्यवाही नहीं कर सका, क्योंकि मैं चुनाव कार्य में व्यस्त हो गया ।

14. जिस दिन मुझसे कारतूस की जप्ती बनाई गई है उसी दिन ही सी0बी0आई0 वालों ने मुझे घर से पकड़ा था । सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा, जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था । यह बात सही है कि सी0बी0आई0वालों ने मुझसे नियोगी हत्याकांड के बारे में पूछताछ किये थे । नियोगी हत्याकांड के बारे में मैंने सी0बी0आई0वालों को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं ।

15. सी0बी0आई0वालों ने मेरे साले प्रभुनाथ मिश्रा के शादी के फोटोग्राफ नहीं दिखाये थे, इन्हें मैंने न्यायालय में पहली बार देखा है । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-172 का अ से अ का बयान। नियोगी हत्याकांड - - - - बिलासपुर चले छुड़वा देंगे । नहीं दिया था । मैंने प्रदर्श पी-172 का ब से ब ।ज्ञानप्रकाश - - पी-17 रह गये थे। नहीं दिया था ।

16. सन् 1971-72 में मुझे बिलासपुर में 7 महीने तक जेल में रखा गया था । मुझ पर भा0दं0सं0 की धारा 402 का आरोप था, किंतु यह कहना गलत है कि सन् 72 में मुझे बिलासपुर के सत्र न्यायालय से भा0दं0सं0 की धारा 385, 511, 147, 149 के आरोप में 4 महीने की सजा हुई थी । सिविल लाईन थाने बिलासपुर में मेरे भाई श्रीप्रकाश त्रिपाठी के खिलाफ जो मामले पंजीबद्ध थे उसे उनकी हत्या के बाद पुलिस ने मेरे नाम से पंजीबद्ध कर दिया था । मेरे खिलाफ सिविल लाईन थाना, बिलासपुर में कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं था । यह बात सही है कि मेरे भाई के मामले जो मेरे विरुद्ध पंजीबद्ध कर दिये गये थे उनका विचारण न्यायालय में हुआ था । मेरे विरुद्ध सिटी कोतवाली, बिलासपुर में जितने भी मामले पंजीबद्ध थे वे सब राजनीतिक गतिविधियों के कारण थे क्योंकि मैं भा0ज0पार्टी का महामंत्री था ।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मेरा साला है, इसलिये मैं आज न्यायालय में गलत बयान दे रहा हूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अधि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अमरेश, चंद्रशेखर एवं कामदेव.

17. यह बात सही है कि सभी गोलियां एक जैसी ही होती हैं, इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि आर्टिकल क्यू 26 वही गोलियां हैं जो सी०बी०आई० को मैंने सुपुर्द किया था। मैंने जब से लायसेंस लिया था तब से कभी भी एल०जी० कारतूस नहीं खरीदा हूं। मेरे लायसेंस प्रदर्श पी-159 में भी कभी भी मेरे द्वारा एल०जी० कारतूस खरीदने का इंद्राज नहीं है। नियम के अनुसार तो जब भी कारतूस खरीदे जावे दुकान वाले को लायसेंस में इंद्राज करना चाहिये, हो सकता है कि कुछ दुकान वाले इंद्राज न भी करते हों, किंतु मैंने जब भी कारतूस खरीदा है अपने लायसेंस में उसका इंद्राज कराया है। यह बात सही है कि रायपुर में मुल्ला जी की जो बंदूक दुकान है वहां ऐसा सिस्टम है कि कारतूस खरीदने वाला व्यक्ति दुकान के सामने खड़ा रहता है, वह अंदर नहीं जा सकता और मुल्ला जी ग्राहक से करीब 10-12 फीट दूर पर बैठकर इंद्राज करते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे लायसेंस में कारतूस खरीदने का इंद्राज दिनांक 3-10-91 को ही किया गया है। दिनांक 3-10-91 के इंद्राज में भी एल०जी० कारतूस खरीदने का इंद्राज नहीं है। मेरे लायसेंस में 2-10-91 का जो इंद्राज है उसमें 2 एक ओवरराइटिंग है, जिसे ओवरराइटिंग से बनाया गया है। यह ओवरराइटिंग किसने किया है मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि जो 2-10-91 का इंद्राज दिख रहा है वह वास्तव में 3-10-91 का इंद्राज ही, जिसे 2-10-91 किया गया हो। हो सकता है कि मेरे लायसेंस में 3-10-91 का जो इंद्राज है उसे बाद में लिखा गया हो। चूंकि कारतूस का इंद्राज लायसेंस में कराना जरूरी नहीं होता, किंतु मैं ब्लैंक कारतूस का इंद्राज भी अपने लायसेंस में कराता था, क्योंकि कारतूसों का हिसाब रखना भी जरूरी होता है।

18. सी०बी०आई० वाले बिलासपुर में मुझे मेरे घर से उठाकर सिविल लाईन थाने बिलासपुर लाये। मुझे वहां करीब 4-30 घंटे रखा गया और उसके पश्चात विशाखापटनम हॉस्टल भिलाई ले आये। यहां लाकर मुझे एक अंधेरे कमरे

में बंद कर दिया गया । वहां मुझे मारा-पीटा गया और मुझे प्रताड़ित किया गया था । मेरे कपड़े पूरे निकाल दिये गये थे । मुझे ऐसी आवाजें भी सुनाई जाती थी और यह कहा जाता था कि बाजू के कमरे में पिटाई चल रही है वैसी पिटाई मेरी भी की जायेगी । मैंने पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो तो सी0बी0आई0 वालों ने कहा कि वे ऐसा चाहते हैं अगर मैं वैसा बयान दे दिया तो वे लोग मेरा बंदूक, कारतूस लौटा देंगे, मुझे प्रमाण-पत्र दे देंगे और मुझे वापस मेरे घर पहुंचा देंगे । सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे कहा कि मैं यह बयान दूं कि तुमने ज्ञानप्रकाश को 3 एल0जी0 कारतूस दिया और उस गोली से पलटन ने नियोगी को मारा, किंतु मैं यह बयान देने के लिये तैयार नहीं हुआ । इसके पश्चात् भी सी0बी0आई0 वालों ने मुझे प्रताड़ित किया, करेंट लगाया, खाना-बिस्तर नहीं दिया ।

19. जिस समय मुझे दुर्ग में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लाया गया उस समय मैं काफी भयभीत थी । न्यायालय में बयान टाईप कराने के बाद सी0बी0आई0 वालों ने मुझे 6 दिन बाद छोड़ा था । न्यायालय में टाईप किये हुये बयान पर मेरा हस्ताक्षर कराया गया था । 6 दिन तक मुझे भिलाई के [illegible] होटल, भिलाई में रखा गया था । सी0बी0आई0 वालों ने मुझे यह धमकी दिये कि मैं म0प्र0 छोड़कर उ0प्र0 चले जाऊं । सी0बी0आई0 द्वारा छोड़ने के बाद मैं बिलासपुर गया और अपने मित्र से सलाह लेने के बाद मैं उच्च-न्यायालय जबलपुर गया । मैंने माननीय उच्च-न्यायालय, जबलपुर में सी0बी0आई0 वालों के विरुद्ध याचिका दायर किया था । मैंने उस याचिका में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग श्रीमती मैत्री माथुर को भी पक्षकार बनाया था । मैंने सी0बी0आई0 के अधिकारी और नगर-निरीक्षक राजेश तिवारी को भी पक्षकार बनाया था । जब मैंने बिलासपुर के न्यायालय में परिवाद पेश किया तो सी0बी0आई0 वाले मुझे उठा ले जाते थे और बोलते थे कि अगर मैं मामला उठा लूं तो वे लोग मुझे 6 लाख रुपये देंगे । बिलासपुर में श्रीमती मैत्री माथुर ने अधिवक्ता विश्वास और [illegible] के माध्यम से मुझे बुलाई थी, किंतु मैं डर के कारण नहीं गया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 नवीन शाह

20. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अग्रवाल, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानचंद शाह

21. मैंने 7-12-91 को विविध आ0प्र0प्र0- 37[illegible]/91 जयनारायण त्रिपाठी
(3747/91)

कन्ज्यूमर यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य-9 द्वारा किया गया । मैंने इस याचिका के समर्थन में अपना शपथ-पत्र भी दिया था । इस याचिका में मैंने सारे तथ्य सही-सही लिखा दिया था । मैंने यह प्रार्थना किया था कि मेरे दं0प्र0सं0 की धारा 161 एवं 164 के बयान को रद्द कर दिया जाये, क्योंकि ये मुझसे बलपूर्वक, डरा-धमकाकर अभिलिखित किये गये थे । यह याचिका दं0प्र0सं0 की धारा 482 के अंतर्गत पेश किया गया था । यह सही है कि उक्त याचिका पर आदेश दिनांक 11-12-91 को हो गया था । इसमें यह आदेश हुआ कि सी0बी0आई0 के अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जाये ।

22 दिनांक 16-12-91 को मैंने माननीय उच्च-न्यायालय में एक रिट याचिका क्र0 एम0पी0नं0-4342/1991 ज्ञानाराम एवं त्रिपाठी वि0 द डायरेक्टर जनरल सी0बी0आई0 एवं 4 अन्य दायर किया, जिसमें मैंने न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती मैत्रेयी माथुर को भी पक्षकार बनाया था । इसका निराकरण दिनांक 17-12-91 को हो गया था । इस निर्णय में भी यह कहा गया कि मैं सक्षम सिविल या दांडिक न्यायालय में कार्यवाही करूं । इसके पश्चात मैंने बिलासपुर न्यायालय में कार्यवाही किया, जो कि अभी लंबित है ।

23 । रिविजन आर0क्र0-3747/91 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोप्रति को अभियोजन की सहमति से प्रदर्श डी-32 अंकित किया गया । रिट याचिका क्र0 एम0पी0नं0-4342/91 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-33 है । इस याचिका डी-32, 33 पर हुए आदेश दिनांक 17-12-91 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-34 है । डी-34

(24) सी0बी0आई0 वालों ने जो अत्याचार किये थे उसका विवरण मैंने उक्त याचिका में किया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शा

25. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

सी0बी0आई0 वालों ने, विशाखापट्टनम हॉस्टल (भिलाई) से मुझे दुर्ग न्यायालय में लाकर पेश किये थे । 24-11-91 से मैं उसी हॉस्टल में था । 24-11-91 से मैं हॉस्टल में अपनी मर्जी से नहीं था, बल्कि बंदूक की नोक पर रखा गया था । 24-11-91 से मुझे न्यायालय लाते तक मेरे परिवार वालों को

मुझसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी । मैंने सी0बी0आई0 वालों से यह कहा था कि मेरे घर खबर कर दो तो उन्होंने खबर नहीं किया । मुझे बिलासपुर के अपने मकान से 24-11-91 को शाम को 6.00 बजे लाया गया था । मुझे जो लाया गया था और मुझे कहां रखा गया था उसकी जानकारी मेरे घरवालों को नहीं थी ।

बिलासपुर के एस0पी0 ने जब यह कहा था कि इसे कहां ले जा रहे हो तो सी0बी0आई0 के अधिकारी ने उस एस0पी0 को डांट दिया था । सी0बी0आई0 वालों ने बिलासपुर के एस0पी0 को भी नहीं बताये थे कि वे मुझे कहां ले जा रहे हैं ।

बिलासपुर से सी0बी0आई0 वाले जब मुझे भिलाई की तरफ लाने लगे तो मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किये थे । मुझे सिविल लाईन थाने बिलासपुर से रात के करीब 11.00 बजे निकाले थे और भिलाई ~~पहुंचते~~ पहुंचते सबेरे के 3-4.00 बज गये थे । उस दिन 25 तारीख हो गई थी । 25 तारीख को सुबह से शाम तक मुझे किसी भी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के ~~सामने~~ सामने में पेश नहीं किया गया था । धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान के लिये मुझे पेश करने के पहले दुर्ग के किसी भी दंडाधिकारी को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि मुझे बिलासपुर से भिलाई लाया गया है । सी0बी0आई0 वाले मुझे बिलासपुर से भिलाई लाये इसकी सूचना किसी भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी को नहीं दिये थे ।

बिलासपुर से जब मुझे भिलाई लाया गया तो न्यायालय में बयान के लिये पेश किये जाने के पूर्व जनता को यह नहीं मालूम था कि मैं कहां हूं और कैसा हूं ।

27. मुझे भिलाई हॉस्टल से जब दुर्ग ~~न्यायालय~~ लाया गया तो जिस जीप में मैं सवार था उसमें सी0बी0आई0 के 5-7 अधिकारी रहे होंगे । उसी जीप के आगे-पीछे दो गाड़ियां आईं, जो दुर्ग अदालत तक आईं । जो सिपाही मेरे बयान टाईप किये जाने के समय न्यायालय कक्ष में उपस्थित था वही सिपाही मेरे जीप में बंदूक लिये हुये आया था । मुझे भिलाई हॉस्टल से अदालत लाया गया उससे यह दिखाया जा रहा था कि बहुत बड़ा अपराधी अदालत लाया जा रहा है । मैं कोई अपराधी नहीं था । मुझे दुर्ग के न्यायालय प्रांगण में दोपहर के 12.30 से 1.00 बजे के बीच लाया गया था । दुर्ग न्यायालय आने पर जीप को सत्र न्यायालय के सामने वाले मैदान में रोका गया । जीप से उतरकर सी0बी0आई0 के अधिकारी न्यायालय परिसर में फैल गये । मुझे जीप में बैठे रहने दिया गया । दुर्ग न्यायालय में सी0बी0आई0 वालों की एक गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे और एक पीछे खड़ी थी । सी0बी0आई0 के जो अधिकारी उतरकर न्यायालय परिसर में फैले थे वे मेरी गाड़ी के आगे

और पीछे की गाड़ी के थे । मेरी गाड़ी से सिर्फ एक अधिकारी उतरा था बाकी लोग गाड़ी में ही बैठे थे । गाड़ी से उतरने के बाद वह अधिकारी किससे मिला, कहां गया मुझे नहीं मालूम । वह अधिकारी थोड़ी देर बाद लौटकर आया और फिर मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाया गया । मुझे करीब 45 मिनट या एक घंटे बाद बयान के लिये जीप से उतारकर न्यायालय ले जाया गया । जब मुझे न्यायालय में गाड़ी में रखा गया था तो मैं किसी भी व्यक्ति से न तो मिल सकता था और न ही कोई बात ही कर सकता था । उस दौरान मैं अपनी मर्जी से लघुशंका के लिये नहीं जा सकता था । जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया तो समय क्या था मैं यह ठीक से नहीं बता सकता, अंदाज से 2-2.15 का समय रहा होगा । जो अधिकारी मेरी जीप से उतरकर गया था उसके हाथ में कागजों का फाईल था । उस फाईल में कुछ कितावें और संभवतः मेरा बयान था । जब सी0बी0आई0 का अधिकारी लौटकर जीप के पास आया तो उसके हाथ में फाईल नहीं थी और उसने मुझसे कहा कि अब चलो । दिनांक 28-11-91 को जब मुझे भिलाई के हॉस्टल से निकाला गया तो मुझे यह नहीं बताया गया कि मुझे कहां और क्यों ले जाया जा रहा है । जब मुझे निकाला गया तो मेरी यह हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछ सकूं कि मुझे कहां और क्यों ले जाया जा रहा है । जब मेरी गाड़ी और साथ की दोनों गाड़ियां न्यायालय परिसर तक पहुंच गई तब भी मुझे यह नहीं बताया गया कि मुझे कहां लाया गया है और क्यों लाया गया है । उस समय भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं कि मुझे कहां और क्यों लाया गया है । जो अधिकारी जीप के पास लौटकर आया वह अपने साथियों से कहा कि अब लेकर चलो । उस समय भी मुझे नहीं बताया गया कि मुझे कहां और क्यों ले जा रहे हैं । मैं नहीं जानता कि यह नहीं बताने का क्या कारण था कि मुझे कहां और क्यों ले जाया जा रहा है । मैं इसलिये नहीं पूछ पाया कि मुझे जरूरत से ज्यादा भयभीत कर दिया गया था ।

28. मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के पहले मुझे सरकारी वकील के कार्यालय में ले जाया गया, जहां कम-से-कम 60-70 सी0बी0आई0 एवं अन्य पुलिस अधिकारी अपने हाथों में स्टेनगन और बंदूक लिये हुये मौजूद थे । वहां का माहौल देखकर मैं और भी अधिक भयभीत हो गया । वहां का माहौल देखकर मेरी सास

प्रतिलि. जिला एवं दुर्ग (म.प्र.)

करने की क्षमता भी समाप्त हो गई थी । मेरा बयान जब टाईप किया गया उसके पूर्व, उसी दिन या उसके पहले मुझे दुर्ग के किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था । मैं यह ठीक से नहीं बता सकता कि जब बयान टाईप किया गया उस समय न्यायालय का कार्यकाल का समय था या नहीं । मुझे जब बयान के लिये पेश किया गया तो वह कोर्ट रूम नहीं था, बल्कि न्यायाधीश का चेम्बर था ।

जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने चेम्बर में पेश किया गया तो वहां मजिस्ट्रेट साहब और उनकी टायपिस्ट मौजूद थी तथा टाइपराइटर रखा हुआ था, उसमें कुछ कागज भी फंसा हुआ था । मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे बयान देने या न देने के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया । मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने यह भी नहीं बताया कि सी0बी0आई0 ने कलमबंद बयान देने के लिये मुझे पेश किया है । मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने यह भी नहीं बताया कि यदि मैं गलत बयान दूंगा तो मेरे खिलाफ फौजदारी मामला चल सकता है । मुझे मजिस्ट्रेट साहब ने शपथ भी नहीं दिलाया था, मुझसे यह भी नहीं कहा गया था कि मैं जो बोलूंगा सच-ईमान से कहूंगा और उसके सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा । बयान पूरा टाईप होने के बाद वह बयान मुझे पढ़ने के लिये नहीं दिया गया था । मुझे बयान पढ़कर भी नहीं सुनाया गया । मैं इतना भयभीत हो गया था कि मैं मजिस्ट्रेट साहब से भी नहीं पूछ पाया कि क्या बयान टाईप हुआ है या बयान मुझे पढ़ने के लिये दिया जावे । जिस सिपाही ने मुझसे हस्ताक्षर कराया था उसने मुझे यह नहीं बताया कि इस कागज में क्या टाईप है ।

मुझे उस कागज पर हस्ताक्षर करने में जितना समय लगा उसके अलावा सिपाही ने मुझे और कोई समय नहीं दिया कि मैं देख सकूं कि उस कागज में क्या लिखा है ।

29. मैंने दोनों याचिकाओं में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया था कि जिस बयान पर मेरे हस्ताक्षर लिये गये हैं वे मेरे बयान नहीं हैं । माननीय उच्च-न्यायालय में दोनों याचिकायें मेरे निर्देश पर ही मेरे अधिवक्ता ने फाईल किया था । मुझे एक समय सी0बी0आई0 वालों ने धमकी दिया था कि मारकर ऐसी जगह डाल देंगे, जहां कोई नहीं जान पायेगा । ये धमकी दिनांक 24-11-91 से मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान टाईपिंग के बीच दिया गया था । इसका उल्लेख मैंने माननीय उच्च-न्यायालय में दोनों याचिकाओं में किया हूं ।

30. मैं एन0के0 सिंह या पलटन नामक व्यक्ति को नहीं जानता हूं । मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान के समय भी मैं इन लोगों को नहीं जानता था ।

गवाह नं0:- 72   पेज नं0:- 7

मैं किसी बी0के0 सिंह को भी नहीं जानता हूं ।

31. दिनांक 24-11-91 को जब मुझे लाया गया तो उसी समय मेरा बंदूक और लायसेंस भी लाया गया था । दिनांक 24-11-91 से आज तक लायसेंस मेरे कब्जे में नहीं दिया गया है । यह लायसेंस सी0बी0आई0 के कब्जे में था और मुझे आज मालूम हुआ कि यह लायसेंस न्यायालय में पेश किया गया है । यदि मेरे लायसेंस में एल0जी0कारतूस खरीदने का कोई इंद्राज है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में सी0बी0आई0 वाले ही बता सकते हैं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

Sd

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Sd

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

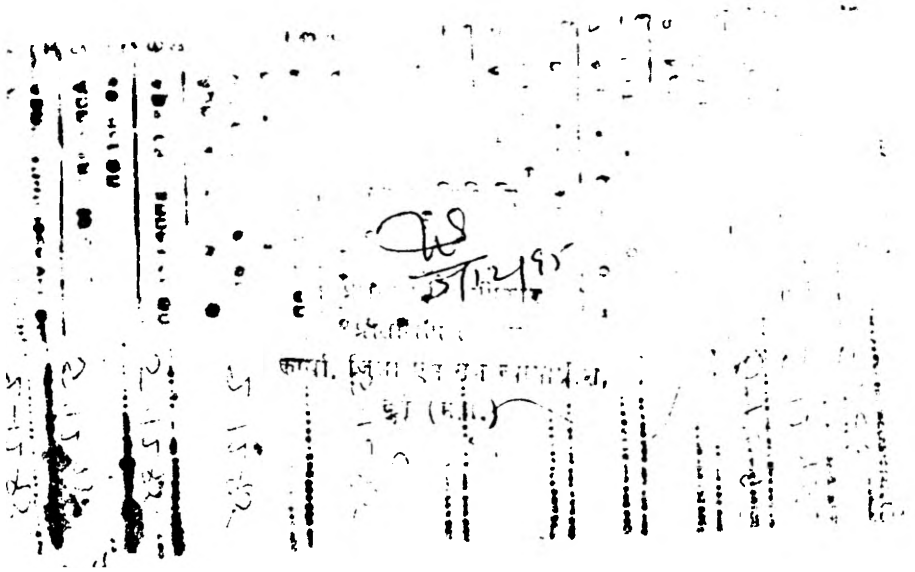

(२)

एस0टी0ओ0एस0नं0 ________ प्रतिलिपि बेराज डो. चन्द्रशेखर दौर्य ______ जो कि श्री
8/6/84/94 ~~जे.के. एस.~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैः-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामनारायण राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जो, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह रेधू आ0 रावेल सिंह रेधू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

Case - 4794/95 (35)

गवाह सं० 173 — अभियोजन की ओर से

दिनांक :- 29-11-95 — गवाह की उम्र :- 56 साल

गवाह का नाम :- डॉ० चंद्रशेखर घोष — पिता का नाम :- श्री बी०एन० घोष

पेशा :- सीनियर मेडिकल ऑफिसर — पता :- से०-9 अस्पताल, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

दिनांक 28-9-91 को मेरी ड्यूटी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल से०-9 अस्पताल भिलाई में केजुअलटी विभाग में नाईट शिफ्ट में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर थी। मेरी ड्यूटी 27 से 28 के रात में थी। सुबह करीब 4.00 बजे शंकर गुहा नियोगी की लाश को अस्पताल लाया गया था। मैंने जांच करने पर पाया कि शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर मैंने ब्राड डेड फॉर्म प्रदर्श पी-173 तैयार किया। यह फॉर्म मेरे द्वारा भरा गया है और इस पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस व्यक्ति ने शंकर गुहा नियोगी की लाश को अस्पताल लाया था और पहचान किया था उसका नाम मैंने इस फॉर्म में एन०एल० यादव भरा है। शंकर गुहा नियोगी के शव को फिर मैंने शवगृह भिजवा दिया और इसका उल्लेख मैंने उक्त फॉर्म में किया है। मैंने एक फॉर्म भरकर भिलाई के से०-6 पुलिस थाना में इसकी सूचना भेजा था, जो प्रदर्श पी-174 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। चूंकि वहां बहुत अधिक भीड़ हो गई थी, इसलिये हमने नियोगी की लाश को तत्काल मृत घोषित नहीं किया और उसे गहन चिकित्सा विभाग ले गये। उसके पश्चात वरिष्ठ डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके नियोगी की मृत होने की सूचना संभवतः एन०एल० यादव को दे दिया था। मैंने केजुअलटी में देखा था कि संभवतः नियोगी जी के बायें [redacted] के पास चोट थी।

(जि०) प्रतिपरीक्षण द्वारा :- श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

2. मैंने सुबह करीब 4.15 बजे शंकर गुहा नियोगी को मृत होने का प्रमाण-पत्र दिया था। मैं शंकर गुहा नियोगी की लाश को गहन चिकित्सा विभाग में पहुंचाकर वापस केजुअल्टी आ गया था, इसलिये मैं निश्चित नहीं बता सकूंगा कि नियोगी की लाश को कितने समय तक गहन चिकित्सा विभाग में रखा गया था।

3. शवगृह से0-9 अस्पताल के पीछे है । यह बात सही है कि किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद उसे शवगृह में रखा जाता है । यह बात सही है कि 5.30 बजे मैंने प्रदर्श पी-173 का फार्म भरकर पुलिस थाना भिजवाया था । मैं यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी-173 के फार्म की एक कापी नियोगी की लाश को लाने वाले व्यक्ति को कितने बजे दिया था । असामान्य मृत्यु की दशा में पहले पुलिस को सूचना भेजी जाती है और मृतक के शव को उसके संबंधी लोग और वार्ड बॉय शवगृह में ले जाते हैं । मुझे यह ध्यान नहीं है कि सन् 91 में केजुअल्टी के बाहर पी0एन0टी0 का फोन था या नहीं । मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि उस समय एस0टी0डी0 था या नहीं । केजुअल्टी में और से0-6 थाने में बी0एस0पी0 का फोन है । बी0एस0पी0 के फोन से रायपुर या बाहर फोन नहीं किया जा सकता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधिवक्ता वास्ते अभि0 नवीन शाह.

कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अर्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना माना ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(टी0के0झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग म0प्र0

(टी0के0झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग म0प्र0

[illegible]

एस0टी0 प्र0नं0 8608/94 प्रतिलिपि ------------------ जो कि श्री ~~जे. के. शर्मा~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शा[illegible] मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- [illegible] आदर्श बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह.
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवास, (म0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सिद्धू आ0 रावेल सिंह सिद्धू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

(37)

74 अभियोजन सत्र प्र0प्र0- 233/92
29-11-95 की ओर से 37 वर्ष

पी0के0 बंसल

श्री एच0एस0 बंसल सीनियर मेडिकल ऑफिसर
से0-9 अस्पताल, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. 28-9-91 को सुबह 7.00 बजे से 2.00 बजे तक मेरी ड्युटी केजुअल्टी में थी । उसी दिन दोपहर के 12.00 बजे प्रदर्श पी-175 की रिपोर्ट के साथ शंकर गुहा नियोगी की लाश को शवगृह में रखने ।सुरक्षित रखने। के लिये लाया गया था, मैंने लाश पी-175 को शवगृह में रखने की अनुमति दे दिया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक पाठक, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधिवक्ता वास्ते अभि0 नवीन शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पल्टन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा। ।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
5/12/95
प्रभारी प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

एस०सी०पी०ई०नं० 2 दि. सं. ____ प्रतिलिपि आदेश डी. पी. आर. मेमो ... जो कि श्री
१८/८/९८ ~~जे. के. एस.~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- वा.र आदर्श बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामनारायण राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० भोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्भी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बख्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैनी आ० रावेल सिंह सैनी,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

(35)

75. Prosecution.

29th Day Novt. 95. Ex 45

Dr.V.R.Meshram

Shri M.M.L.Meshram Asstt.Surgeon

Dist.Hospital Durg.

I am working as an Asdtt.Surgeon in the Dist.Hospital Durg dsince 1983.

On 28.9.91 my duty hour was 8 a.m. 5 p.m. for conducting post mortem. I received at 10.20 A.M. arequsition for post mortem of deceased Shankar Guha Niyogi. This requsition was sent from Police. The requsition was in the prescribed form. It was sp cial instruction that the P.M. was to be conducted by a Team of doct in which there should be at least 2 doctors. The team was consisted of Dr. A.D.Urgaonkar, Dr.M.C.Manotte and myself. The dead body was lying in the Mortuary. We immediately went to the Mortuary. At 10.30 A.M. we started the post mortem.

It was a dead body of a man. It was fresh. Good built and hight. Eyes we e closed. Pupil dilated. Mouth closed. Tongue inside the mouth. Rigor mortis was present on both the limbs. Blood stains on the left side of the back.

On examination we found there was gun shot injury. on the upper and medial part of the left scapular region. 12 C.M. from the meddile part of the left clavicle and 14 c.m. from the tip of shoulder joint.

5. Six numbers of entry wounds of Gun shot we e

were olaced in the teangular area as shown in the diagram in the Post mortem. I have shown this entry wounds as A B C.D.and F. Each wound was 3/4c.m. in diamater round in shape with inverted margins and having circular zone of abrasion and charring of skin. Blood trickling from the entr y wounds.

6. 3 numbers of superficial burn semilunar inshape ½" x 1/4" each present on the uppex of the rangular with contavity towards the gun short wound area. ~~Multtple~~

6. Multiple marks of charred skin of pin head size blackish in colour present over the napeof the neck. upper thoracic region and left scuoular area.

7. Gun shot wound Nos B C D are communicating with the left therasic cavity. through its posterior and upper part.

8. Injury No.B has penetrated through and through the body of the scuapular bone. The direction of the wounds were forwards -downwards and medially. Wounds No.A E F had pentrated the scupular and p ara -vertebreal muscle

9. Muscles of the lape scupular region and neck contused with extra va ssation of blood.

10. Left therasic c avity was full of blood.

11. Two laceration present on the left upper pole of the lung measuring ½"C.M. x ½ c.m. with colapse of left lung.

(40

Witness No.75 for prosecution.

12. Tear present in the posterior part of the peri cardium with massive haemopericordium (½ C.M. x ½ c.m.)

13. One puctured wound ½ c .m. and ½ C.M. x left ventricalar cavity is present on the left ventricular of hea rt. All the chambers of the heart were empty.

14. 8 metalic pallets recovered from the left thorasic cavity lying in the lower portion of the thorasic cavity.

15. All the above prescribed injuries were antemortem in nature and could be caused by fire arms. In our opinion the cause of death was haemorrhage and shock as a result of antemortem gun shot injuries. Duration of death was within 24 hours from the time of post mortem. Injury No.B, C and D were sufficient to cause death in the ordinary course of nature.

16. 3 Mettalic pallets round shape recovered from the body and handed over to the police under sealed and cover bottle advised so sent for Expert (Ballestic Expert).

17. Skin flat containing the gund shott wounds prese ved and handed over to the police under sealed and cover with advise to sent for Expert (Ballestic) .

18 We have also preserved p ortions of the lungs, liver spleen , Kidney, small gud and stoamach which the cotents preserved in rectified spirit advised to send to Chemical Examina ion. handed ov2r to the police with duly sealed and covered with smaple of spirit.

19. All the internal organs were pale. IX

20. I have prepared the the post mortem report with my hand xxx writing. Post mortem report is Ex.P. 176. On page No.4 P-176 which bears my signature A to A. At the end of P.M. report age Page 6X I signed from A to A. Dr.M.C.Mannot and Dr.A.V.Urgaonkar also signge from B to B and C to C positively. Their opinion were concurring with me. Both the doctors signed in my presence and I am acquainted with their signatures. I started entering the injuries from Page No.3 in the xxxx prescribed column for want of space I attached a separate sheet and described further injuries in this separate sheet. All the 3 doctors have also signed on the separate sheet I signed from A to A . Dr.M.C.Mannot and Dr.A.V.Urgaonkar also signed on this sheet from B to B and C to C respectively.

20. The bottle is one in which the pallets were sent The separate seal covered with the cloth cover is not legible. Therefore I cannot say that the same seal with put on the bottle. I do not remember the seal with what marks were put on the bottle. Bo tle , 3 pallets and broken seal were marked as Art.R. आर्टि-R
(Cross-examination is d ddd differed for want of time.)

(41)

3

This witness is administered on oath on 30.11.95.

Cross-examination by Shri Ashok Yadav for Accused Dhyanprakash, Awdesh, Abhay, Chandrabux and Baldev.

21. If there are entry wounds in the dead body and there is no exit wound then it is definite that all the pallets must be in the body. We found 3 pallets in the body. We found only 3 pallets in the left thorasic cavity except that there were no pellets inside the body. I cannot say where the other pallets. They might be in the muscles of the body. The dead body should be xrayed in order to find out other pallets if any in the body. The body of the deceased was not x-rayed. In the cases of gun shot it is necessary to ascertain the line of direction of the pallets. The line of the pallets going inside the body could be told only by the Ballets Expert and not by me.

22. Rigor mortis is found in every type of dead body. In our contry rigor mortis starts from 1 to 3 hours from the death. It comences in the dead body from proximal end to distal end within 12 hours after the death. It is wrong to say that the rigour mortis starts after 2 hours and completes in 24 hours.

23. It is not correct to say that the direction of the pallets can be ascertained only with the help of X-ray. Superficial burns were not because of the gun shot but by the flames of the pallets. I cannot say the flame of the pallets passing through the cloths will travel to what distance. If the pallets pass through the banian it would certain burn the Baniyan. The duration of the death cannot be ascertained from the presence of food in the body but can be ascertained only by rigor mortis.

24. Normally food is digested after 4 hours. If the semi digested food is present in the stomach or in the intestine it is not necessary that the deceased would have taken food within 4 hours. It is sure that after the death digestion process ceases.

Cross-examination by Shri R.N.Tiwari for the accused Paltan.

25. I was the leading doctor of the team who conducted the post mortem. Dr.Urgaonkar and Dr.M.C.Mannur were not only observing but assisting me. Assisting does not mean that some of the organ of the body xxx was post morem by me and rest was, xxxxx post mortem by other doctors. I had myself opened the entire body for the purpose of post mortem and other doctors we e assisting me. By the word assisting I do not mean that in respect of every injury mentioned in the p.mortem we had discussions and there after same was mentioned in the post mortem report. By the word assisting I mean that every injury that I observed were also observed by other 2 doctors. By the word assisting I mean that all the 3 doctors conducting the P.M. coinsided their opinion with one mentioned in the post mortem. And in respect of coinsiding the opinion mentioned in the report we all the doctors put their signature in the post mortem report.

26. xxxxxxx Doctor Urgaon and Dr.Mannot have basic knowledge of fire arms. I also know the basic knowledge of fire arms. I agree that the doctor who conducts the P.M. xshould have some basic knowledge of fire arms if the injuries wer said to be caused by fire arms. I do not posses any fire arms. I never used fire arms. I agree that in every fire arms there is barrel there is a but and a trigger and the same is used by projectiles. like bullet or xxxxxx. cartrodges. It is not true to say that in case of bullets made of matalic substance there is only one pallets of a bigger size. I cannot say the details of the pallets inside the bullets which is made of matalic substance. Similarly I am not in a position to say anything about the diamention including the wei ht of such pallets of matalic subst nce. I cannot say anything about the number of pallets usally found inside the cartidge, it can only be said by Ballestic expert. I cannot say that in case of projection of fire arm the direction of the barrel, the pressure exerted over the but and the direction of the barrer places an important role to ascertain the direction of the injury. I cannot say that in case of projection of the ire arm the grip over the but places an important role. I cannot anser the question that a person who uses a fire arm from the right hand will have the same or similar direction in comparsion with another one who is a left hander and uses the fire arm from the left hand.

P.W.75 for Prosecution.

Looking to the dirgram mentioned in the po st mortem report Ex.P.176 I cannot say anything about the angle of the barrel at the time of project on.

27. I have some basic knowledge of the injury caused by fire arms. The charectristcs of the entry wound and exit wound differ from one another. If there is exit woound the margins are everted. In cases of entry wound the margins are inverted. In cases of entry wound the margins are inverted and never everted. In case of exit wound the margins are always everted and never inverted. It is true that the nature of inverted margins in a wound depends upon the distance from which the fire arms is projected. I cannot say from which distance the fire arm was projected after seeing the injuries mentioned in the post mortem report. It is true that in this case there was no exit wound found in the body of the deceased. In addition to the injuries we have mentioned in the P.M.report we had not found any other injuries on any part of the body including the muscular region.

Question: The injuries mentioned in your post mortemreport are or in the muscular region of the body?

Answer: The whole human body is muscular. Injury No.B C and D are communicating with the therasic cavity through its posterior and upper part. Injury No.B has penet rated through and through the body of the scapula bone.

28. The posterior and upper part of the thorasic cavity is the muscular region in a human body. From the injuries No. B C & D s own in the diagram we had found 3 pallets which we had handed over to the Police. It is true that from injury A, E & F no pallets were disvoered or recovered by us. We had serarched for the pallets in respect of injury No.A E and F but we have no recovered any pallets from these injuries. When we had found 6 entry wounds and recovered only 3 pal ets the question of ambeding the remain 3 pallets in any other portion of the body excepti g the other portion does not arise

We did not consider it ~~xxxxxxxx~~ necessary to refer the body for the X.ray. It is not correct to say that because in respect of injries No.B C & D we had recovered 3 pallets and in respect of injury No.A E and F we tried to search out for the pallets and they were not found and ther fore the body was not sent for the X.ray examination. Injury No. A E and F were only muscle deep and they had not penetrated inside the body therefore we did not consider it necessary for X.ray examination. When I say that injury A E & F were muscle deep the pallets who might have caused those injuries may be or may not be emboded in those muscles. It was the opinion of total team of the doctors.

29. In the requisition for Ex.P.176 sent by the police it was specifically mentioned that the pallets found in-side the body should be preserved and handed over to the Police. It is not true to say that from injury No.A E & F there was no possibility of recovery of pallets was the only reason why the body was not sent for the x-ray examination.

30. From injury No. C to D the distance shown in the diagram is 2 [illegible] and the distance of injury No.A to C is shown to be 2". Similar was the distance of injry No. A to D. Distance of injury No.E and F are shown to be [illegible] from injury No.D. I cannot say from the Diagram that all these 6 injuries were within a circumference of 2.5". All these 6 injuries mentioned in the P.M. report were inside the shape of tranguler area whose every arm was of the distance of 2" or 2½".

31. By writing rigor mortis is present in both the limbs we mean the the process of rigor mortis was not completed. When the process of rigor mortis is completed we write rigor mortis was passed off. According to us the process of rigor mortis completes in both the limbs within a period of 12 hours. The process of rigor mortis completes from the body within 36 hours from the time of death. It is true that we found rigor mortis on the limbs therefore the death of deceased could have been within 12 hours prior to the time of commencement of post mortem.

43

5

because the r gor mortis was fond present on both the limbs the period of which commences from 0 hours to 12 hours therefore the time of death of the deceased could have been anything from 10.30 P.M. of the previous night to the time of conduction of post mortem examination.

Cross-examination by Shri Sangi Adv.for accused Navin Shah.

Nil.

Cross-examination by Shri Awasthy Adv.for accused Moolchand Shah.

Mmxxx Nil.

Cross-examinatann by Shri Trivedi Adv.for accused Chandra kanth Shah.

Nil.

Read over and accepted to be correct.

Sd/
(T.K.Jha)
IIndSessions Judge, Durg.

Sd/
(D.K.Jha)
IInd Addl.S.Judge Durg.

सत्य प्रतिलिपि
12/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)